IW 29032321O

महावीर प्रसाद शर्मा
Mahaveer Prasad Sharma

प्रमुख सचिव
राजस्थान विधान सभा
जयपुर - 302005
Principal Secretary
Rajasthan Legislative Assembly
Jaipur - 302005
Telefax : 0141-2744326 (O)
0141-2701801 (R)
Mobile : 94142 51528

IDMS No. 4219
Date 29/3/2023
Sent No. ....

IDMS

D43

29/03/2023

अ.शा. पत्र क्रमांक- एफ 9(28) स्थानीय नि.प.राज/विस/2023/ 10015

जयपुर, दिनांक 28 मार्च, 2023

प्रिय श्री डा० जोगारामजी,

पन्द्रहवीं विधान सभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23 का 18 वां प्रतिवेदन, जिसका उपस्थापन सदन में दिनांक 15.03.2023 को हो गया है, की दो कम्प्यूटराइज प्रति इसके साथ प्रेषित कर लेख है कि इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक सूचना महालेखाकार (स्थानीय निकाय) (लेखा परीक्षा-ii), राजस्थान, जयपुर से संवीक्षा कराकर 30 प्रतियाँ निर्धारित प्रारूपानुसार जिसकी प्रति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.(2) वित्त/ अंकेक्षण/96, दिनांक 11 अप्रैल, 1996 द्वारा प्रेषित की गई है, के प्रपत्र - II के अनुसार भिजवाने की व्यवस्था कराने का श्रम करें ।

F A9

9-3-2023

सिफारिशों की परिपालना के संबंध में जारी किये गये आदेशों/ परिपत्रों आदि की प्रतियां भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें ।

निर्धारित प्रक्रियानुसार इन सिफारिशों की क्रियान्विति उक्त प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर अपेक्षित है। यदि इस अवधि में इसकी परिपालना नहीं हो सके तो इसकी पूर्व सूचना संबंधित कारणों का उल्लेख करते हुए समिति के अवलोकनार्थ इस सचिवालय को प्रेषित करायें।

उक्त प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर यथासमय प्रेषित कर दी जायेगी ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

सद्भावी,

27.3.23

(महावीर प्रसाद शर्मा)

S/ AO

डॉ. जोगा राम,
शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

31/3/23

Pls discuss today
Related AAO I / AAO II
5/4/23

विधानसभा / अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- dlbrajasthan@gmail.com
Fax No.- 0141-2222403
Tel No.- 0141-2222403, 2226722

क्रमांक : प.6 (ड़)(293) लेखा / सीएजी / डीएलबी / 2017–18 / 2176 – 2186 दिनांक : 21-04.23

आयुक्त
नगर निगम
जयपुर ग्रेटर / हैरिटेज, जोधपुर उत्तर / दक्षिण,
कोटा उत्तर / दक्षिण, भरतपुर, बीकानेर
अजमेर / उदयपुर,

विषयः– भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.11) पर समिति की सिफारिशों की पालना बाबत।

संदर्भः– प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा के अ.शा. पत्र क्रमांक– एफ. 9(28) स्थानीय नि. प.राज / विस / 2023 / 10015 जयपुर दिनांक 28.03.2023

उपरोक्त विषय में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.11) पर राजस्थान विधानसभा (15वीं विधानसभा) की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022–23 का 18वां प्रतिवेदन का उपस्थापन सदन में दिनांक 15.03.2023 को किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर निवेदन है कि इस प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक सूचना / अनुपालना इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करे। जिससे महालेखाकार एवं प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा को प्रेषित की जा सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.6(ड़)(293) लेखा / सीएजी / डीएलबी / 2017–18 / 2187 – 2529 दिनांक : 21.4.23
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा को उनके अ.शा.पत्र क्रमांक एफ. 9(28) स्थानीय नि.प. राज / विस / 2023 / 10015 जयपुर दिनांक 28.03.2023 के क्रम में।
3. आयुक्त / नगर परिषद / पालिका समस्त / अधिशाषी अधिकारी

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार

सत्यमेव जयते

राजस्थान विधान सभा

स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23

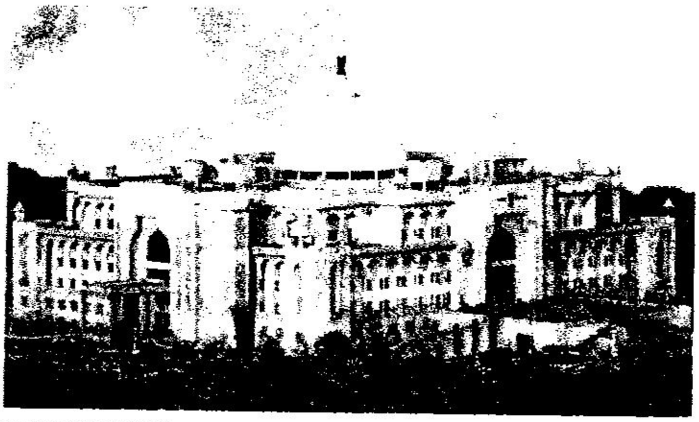

(पन्द्रहवीं विधान सभा)

18वाँ प्रतिवेदन

(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.11 पर समिति का प्रतिवेदन)

(यह प्रतिवेदन सदन में दिनांक 15 मार्च, 2023......को उपस्थापित किया गया)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय,

जयपुर

राजस्थान विधान सभा

स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23

क्रं.सं	माननीय सदस्य का नाम	पद
1.	डॉ. राजकुमार शर्मा (136)	सभापति
2.	श्री अमित चाचाण (5)	सदस्य
3.	श्री नारायण सिंह देवल (79)	सदस्य
4.	श्री पृथ्वीराज (90)	सदस्य
5.	श्री बलवान पूनियाँ (98)	सदस्य
6.	श्री बिहारी लाल (104)	सदस्य
7	श्री रफीक खान (130)	सदस्य
8.	श्री राजकुमार रोत (135)	सदस्य
9.	श्री राम लाल मीणा (147)	सदस्य
10	श्री सुभाष पूनिया (185)	सदस्य
11.	श्री सुरेश टांक (198)	सदस्य
12.	श्री हरेन्द्र निनामा (196)	सदस्य

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	सचिव
2.	श्री संजीव कुमार शर्मा	उप सचिव (सदन)
3.	श्री बनवारी लाल मीणा	सहायक सचिव (स्था.निकाय)
4.	श्री नरेश कुमार जैन	अनुभाग अधिकारी

विषय-सूची

क्र.सं.	पैरा संख्या	विषय	पृष्ठांक
		प्रस्तावना	
		प्रतिवेदन	
1.		अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.11 तक	
2.		सिफारिशों का सार (परिशिष्ट-1)	

प्रस्तावना

मैं, स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23 का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर समिति का यह ......18...वाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इस प्रतिवेदन का संबंध वर्ष 2015-16 के लिये महालेखाकार के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.11 एवं 3.1 से 3.12 पर समिति का प्रतिवेदन) से हैं।

यह प्रतिवेदन शासन द्वारा प्रेषित लिखित सूचना तथा समिति की दिनांक 15.3.2022 को प्राप्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अनुपालना के आधार पर आधारित है ।

इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर समिति द्वारा दिनांक 20/12/2022 की बैठक में विचार-विमर्श कर अभिस्वीकृत किया।

समिति शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के प्रतिनिधियों को समिति को उपलब्ध करवायी गई सूचना के लिए धन्यवाद देती है ।

समिति स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति एवं महालेखाकार कार्यालय, के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती है, जिन्होंने समिति को समय-समय पर सहयोग दिया ।

विधान सभा भवन
जयपुर,
दिनांक 20/12/2022

(डॉ. राज कुमार शर्मा)
सभापति,
स्थानीय निकायों और पंचायत राज
संस्थाओ संबंधी समिति, 2022-23

प्रतिवेदन
(स्वायत्त शासन विभाग)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16

अनुच्छेद संख्या 4.1

नगरपालिका मंडलों में राजस्व संग्रहण प्रणाली

अनुच्छेद संख्या 4.1.1 : प्रस्तावना

राजस्थान में 31 मार्च 2016 को शहरी स्थानीय निकायों में 147 नगरपालिका मंडल, 34 नगर परिषद और सात नगर निगम शामिल है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार, राजस्थान सरकार ने नगरपालिका मंडल को जनसंख्या[1] के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 का अध्याय-VII नगरपालिकाओं को निजी राजस्व हेतु कर उद्ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है और उनके प्राप्ति की प्रणाली निर्धारित करता है। अग्रेतर, अध्याय-XVI नगरपालिकाओं को इस संबंध में नियम एवं उपविधियां बनाने का अधिकार देता है। नगरपालिकाओं द्वारा राजस्व उत्पन्न करने का प्रवाह रेखा चित्र में दिया गया है:

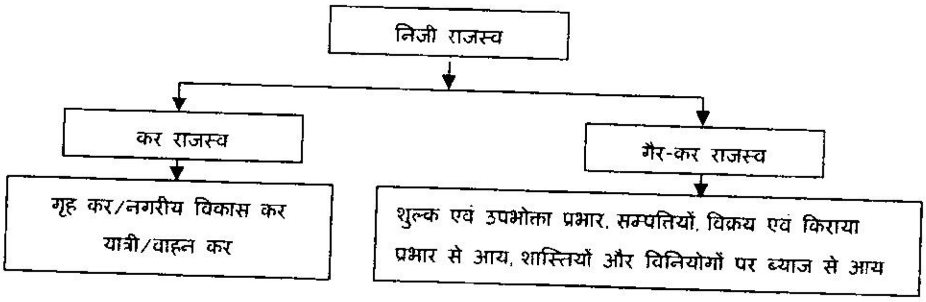

नगरपालिकाएं कर, उपभोक्ता प्रभार, शास्ति और शुल्क आदि आरोपित कर राजस्व का उद्ग्रहण करती हैं। 2013-14 से 2015-16 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों को तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

---

[1] 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले नगरपालिका मंडल वर्ग- II में, 25,000 से 49,999 जनसंख्या वाले नगरपालिका मंडल वर्ग- में और 24,999 तक जनसंख्या वाले नगरपालिका मंडल वर्ग- में वर्गीकृत किए गए है।

तालिका 4.1

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	निजी राजस्व {प्रतिशत)	अनुदान एवं ऋण {प्रतिशत)	कुल संसाधन
2013-14	1,510.00 (38-91)	2,370.56 (61.09)	3,880.56
2014-15	1,130.37 (32-26)	2,373.42 (67.74)	3,503.79
2015-16	933.81 (30-97)	2,081.69 (69.03)	3,015.50

शहरी स्थानीय निकायों में निजी राजस्व के अशंदान में कमी को ध्यान में रखते हुए, राजस्व संग्रहण का योगदान भविष्य की अवलम्बता और आत्म-निर्भरता के लिए अति-महत्वपूर्ण हो जाता है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य था कि क्या नगरपालिका मंडल में गैर-कर राजस्व एवं कर राजस्व का उद्ग्रहण, मांग और संग्रहण करने की एक समुचित प्रणाली अस्तित्व में है। तदनुसार, अवधि 2011-12 से 2015-16 के 17 नगरपालिका मंडलों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रेल 2016 से जुलाई 2016) संपादित की गई।

विभागीय अनुपालना : अनुपालना अपेक्षित नही

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी : कोई टिप्पणी नही

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नही

अनुच्छेद संख्या 4.1.2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष

() गैर-कर राजस्व का उद्ग्रहण, मांग एवं संग्रहण () कर राजस्व का उद्ग्रहण, मांग एवं संग्रहण () वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और () आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा नीचे की जा रही है:

गैर-कर राजस्व का उद्ग्रहण, मांग एवं संग्रहण :

[2] श्रेणी- II: देवली, फतेहपुर, लाडनूं, मेडतासिटी, माउन्ट आबू, सरदार शहर और सुमेरपुर; श्रेणी- III: बयाना, भीनमाल, चाकसू, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी और सूरतगढ और श्रेणी- IV: छबडा, मालपुरा, सागवाड़ा और सांचोर।

4.1.2.1 लक्ष्य एवं उपलब्धि

राजस्व संग्रहण के लिए नगरपालिका मंडल द्वारा स्वयं ही लक्ष्य निश्चित किए जाते है और निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा समेकित किए जाते है। नगरपालिका मंडल के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान गैर-कर राजस्व के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति तालिका 4.2 में दर्शाई गई है :

तालिका 4.2

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	नगरपालिका मंडलों की संख्या*	राज्य स्तर**			नमूना जांच ईकाईयां***		
		लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
2011-12	149/166	उपलब्ध नहीं	222.97	उपलब्ध नहीं	179.70	84.65	95.05(52.89)
2012-13	149/149	उपलब्ध नहीं	397.59	उपलब्ध नहीं	195.75	156.58	39.17(20.01)
2013-14	135/143	578.81	415.47	163.34(28.22)	263.10	156.67	106.43(40.45)
2014-15	134/147	619.82	297.77	322.05(51.96)	247.38	105.99	141.39(57.15)
2015-16	95/147	533.33	277.95	255.38(47.88)	282.32	122.98	159.34(56.44)

* उपलब्ध कराई गई सूचना/नगरपालिका मंडलों की कुल संख्या।

** निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा गैर-कर राजस्व के लिए उपलब्ध करवाये गए समेकित आंकड़े।

*** नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों के वार्षिक लेखों में इंगित आंकड़े राजस्व आय को दर्शाते हैं।

वर्ष 2011-16 के लिए सभी नगरपालिका मंडलों के गैर-कर राजस्व के अन्तर्गत लक्ष्यों एवं प्राप्तियों की केवल आंशिक सूचना ही निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पास उपलब्ध थी, जिसके अभाव में लक्ष्य एवं उपलब्धियां उन नगरपालिका मंडलों तक ही सीमित है, जिनकी सूचना उपलब्ध करवायी गयी थी।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य स्तर पर गैर-कर राजस्व के संग्रहण में अत्यधिक कमी थी, जो कि 28.22 प्रतिशत से 51.96 प्रतिशत (औसतन 42.69 प्रतिशत) के मध्य थी। नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों में भी इसी अवधि के दौरान (2013-16) लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 40.45 प्रतिशत से 57.15 प्रतिशत (औसतन 51.35 प्रतिशत) के मध्य थी।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि सभी नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों में लक्ष्यों के निर्धारण के लिए कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

नगरपालिका मण्डल देवली :- गैर कर राजस्व की बकाया मांग राशि की वसूली हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं। सम्बन्धितों को राशि जमा कराने हेतु नोटिस भी जारी किये गये हैं। कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पायी है।

नगरपालिका मण्डल लाडनूं :- में वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान निम्नानुसार राजस्व प्राप्ति हुई है।

लक्ष्य	प्राप्ति	कम प्राप्ति	कमी का प्रतिशत
1081.35	341.936	739.412	68.38

कर निर्धारक राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक एवं लेखाकार के पद लम्बे समय से रिक्त होने के कारण राजस्व के लक्ष्य निर्धारण सही नहीं हो सकें। अब भविष्य में वास्तविक लक्ष्य निर्धारण किया जाकर राजस्व संग्रहण का प्रयास किया जावेगा।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक का कुल गैर कर-राजस्व का कुल लक्ष्य 3796.28 लाख था, जिसमें से पालिका द्वारा 2551.60 लाख अर्जित कर कुल 67.21 प्रतिशत प्राप्त किया है। वर्तमान में शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यवाही जारी है।

नगरपालिका मण्डल सरदारशहर :- नगरीय निकाय विभाग की अधिसूचना द्वारा कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिये आंवटन हेतु प्रिमियम की दरें तय की गयी हैं, जिसमें भूखण्ड 60 फीट या अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हो अथवा कॉर्नर का भूखण्ड हो तो प्रिमियम दर में 10 प्रतिशत जोड़कर की जानी चाहिए।

प्रशासन शहरों संग अभियान में उक्त नियम की जानकारी के अभाव में सभी प्रकरणों में केवल प्रिमियम दर पर राशि वसूल की गयी है 60 फीट या कॉर्नर के भूखण्डों में प्रिमियम दर में 10 प्रतिशत जोड़कर वसूली नहीं की गयी है, जिसके संबध में निवेदन है कि उक्त नियम की जानकारी होने के बाद इस कार्यालय के द्वारा प्रिमियम राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर ही राशि जमा करवायी जा रही है। इस कार्यालय में श्री जितेन्द्र सिंह/बहादुर सिंह राजपूत का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नियमन प्रक्रियाधीन है, जो 60 फिट से चौड़ी रोड पर एवं कॉर्नर पर स्थित होने के कारण प्रिमियम दर में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी कर ही राशि वसूल की गयी है, जिन प्रकरणों में राशि बढ़ोतरी कर वसूल नहीं की गयी है, उनमें शीघ्र ही अन्तर राशि के डिमाण्ड नोटिस जारी कर राशि वसूल कर ली जावेगी।

नगरपालिका मण्डल छबडा :- नगर पालिका वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक गैर कर राजस्व में प्रति वर्ष स्वीकृत बजट में लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृत बजट अनुसार उपलब्धि अर्जित की गई है।

(1) गैर कर राजस्व में वर्ष 2012-13 के मुकाबले वर्ष 2013-14 में प्रशासन शहरी के संग अभियान समाप्त होने के कारण बजट प्रावधान में लक्ष्य कम किये गये थे एवं 2014-15 के मुकाबले वर्ष 2015-16 में भूमि विक्रय की मांग कम रखे जाने से लक्ष्य अर्जित किये गये हैं।

(2) गैर कर राजस्व में वर्ष 2012-13 में मुकाबले वर्ष 2013-14 में प्रशासन शहरों के संग फोलो अप केम्प होने से राजस्व संग्रहण में कमी आई है। पालिका द्वारा राजस्व संग्रहरण हेतु पूर्ण प्रयास किये जाते हैं।

नगरपालिका मण्डल सागवाड़ा (डूँगरपुर) :- पालिका का बजट प्रस्ताव पारित करने हेतु बोर्ड बैठक में रखे जाने का प्रावधान हैं, जिसके अन्तर्गत उक्त बैठक मे अध्यक्ष महोदय एवं पार्षदगणों द्वारा राजस्व संग्रहण का बजट प्रस्ताव अधिक रखने पर जोर दिया जाता है, परन्तु वास्तविकता मे उक्त लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है, जिससे लक्ष्यों की उपलब्धी में कमी प्रदर्शित होती है। वर्तमान मे बजट पारित करने के दौरान उक्त बिन्दु पर ध्यान दिया जा रहा है व लक्ष्य व प्राप्ति को वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही निर्धारित किया जा रहा है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पास नगरपालिका मंडलों के गैर-कर राजस्व के अन्तर्गत लक्ष्यों एवं प्राप्तियों की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होना क्या औचित्यपूर्ण है?

2. नगरपालिका मण्डल देवली, लाडनूं, सुमेरपुर, छबड़ा और सागवाड़ा तथा अन्य शेष नमूना जांच नगरपालिका मंडलों में गैर कर राजस्व की बकाया मांग की वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

3. नगरपालिका मण्डल सरदार शहर में अनुपालनानुसार जिन प्रकरणों में राशि बढ़ोतरी कर वसूल नहीं किया गया उनसे पूर्ण राशि की वसूली तथा आक्षेपानुसार गैर-कर राजस्व की बकाया मांग की वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

4. वर्तमान में नगर पालिका मंडलों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य तर्कसंगत रूप से निर्धारण करने एवं उनके अनुरूप राजस्व प्राप्त करने के लिए विभाग स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है ?

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल देवली, लाडनू, सुमेरपुर, सलूम्बर, सरदारशहर, सागवाडा को अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। अनुपालना प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जावेगी।

नगरपालिका मण्डल छबडा :- नगर पालिका द्वारा वितीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक गैर कर राजस्व में प्रति वर्ष स्वीकृत बजट में लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृत बजट अनुसार उपलब्धि अर्जित की गई है, जो लेखापरीक्षा के ज्ञापन संख्या 25 दिनांक 24.06.2016 में अंकित हैं।

(1) वर्ष 2015-16 व 2015-16 में गृहकर के स्थान पर नगरीय विकास कर लागू होने से नगरीय विकास कर का सर्वे नही होने से मांग अंकित नही की गई थी नगरीय विकास कर का सर्वे कर पंजिका बना ली गई है अनुच्छेद की पालना में वर्ष 2016-17 में नगरीय कर हेतु सर्वे करवाया जाकर 8.36 लाख रूपये की वसूली की गई हैं। जिसकी बजट प्रति व आगामी बजट 2017-18 व 2018-19 में अंकित मांग अंकित कर दी गई हैं। तथा प्रति वर्ष के लक्ष्य बजट प्रावधान अनुसार वसूली की जा रही है।

(2) गैर कर राजस्व में वर्ष 2012-13 के मुकाबले वर्ष 2013-17 में प्रशासन शहरी के संग अभियान समाप्त होने के कारण बजट प्रावधान में लक्ष्य कम किये गये थे एवं 2014-15 के मुकाबले वर्ष 2015-16 में भूमि विक्रय की मांग कम रखे जाने से लक्ष्य कम अंकित हुये है जबकि उक्त मद में स्वीकृत बजट से अधिक लक्ष्य अर्जित किये गये हैं।

(3) गैर कर राजस्व में कर वसूली में पालिका द्वारा राजस्व संग्रहण हेतु पूर्ण प्रयास किये जाते हैं ।

समिति का अभिमत: समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि नगर पालिका मंडलों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य तर्कसंगत रूप से निर्धारण करने एवं उनके अनुरूप राजस्व प्राप्त करने के लिए विभाग स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

अनुच्छेद संख्या 4.1.2.2 : शुल्क एवं उपयोगकर्ता प्रभार

शुल्क एवं उपयोगकर्ता प्रभार में मोबाईल टॉवर/पोल एंटिना, विवाह स्थलों से पंजीकरण शुल्क/वार्षिक प्रभार, अनुज्ञापत्र शुल्क (होटल, रेस्त्रां, बेकरी एवं मिठाई की दुकानों से) नक्शा शुल्क, भवन आयोजना शुल्क, विकास प्रभार, बेहतरी प्रभार, रूपान्तरण प्रभार, सडक कटिंग प्रभार आदि सम्मिलित है।

नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों में विभिन्न शुल्कों एवं उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण के निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गयी है:

अनुच्छेद संख्या 4.1.2.2 () : मोबाईल टॉवर/पोल एंटिना से पंजीकरण शुल्क/वार्षिक प्रभार

स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका मंडलों को मोबाईल टॉवर का एक-मुश्त पंजीयन शुल्क रूपये 15,000 प्रति मोबाईल टॉवर एवं वार्षिक प्रभार रूपये 5,000 प्रति टॉवर प्रतिवर्ष वसूलने के निर्देश (जनवरी 2012) दिए। इसे मॉडल (मोबाईल टॉवर/पोल एन्टीना) उप-विधियों की धारा 13

द्वारा संशोधित (अगस्त 2012) किया गया जिससे पंजीयन शुल्क (एक मुश्त) रूपये 20,000 एवं वार्षिक प्रभार रूपये 10,000 प्रति मोबाईल टॉवर प्रतिवर्ष बढ़ाया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्धारित सशोंधित दरें सभी नगरपालिका मंडलों पर प्रभावी थी जब तक कि संबंधित नगरपालिका मंडलों का मण्डल अपनी उप-विधियाँ अनुमोदित कर मोबाईल टॉवर/पोल एंटिना के लिए अपनी पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभार की दरें निर्धारित नही कर लेते। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरपालिका मंडलों को मोबाईल टॉवर की पहचान हेतु सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु भी निर्देशित किया।

चयनित नगरपालिका मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि:

- अवधि 2011-16 के दौरान 16 नगरपालिका मंडलों ने आयोजित सर्वेक्षण के आधार पर यह आंकलित किया कि 175 मोबाईल टावर्स (196 मोबाईल टावर्स में से) से पंजीयन शुल्क रूपये. 0.35 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी, अग्रेतर मोबाईल टावर्स के पंजीयन के अभाव में वार्षिक प्रभार रूपये 0.78 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई थी *(परिशिष्ट- VII)*।

- पांच नगरपालिका मंडलों[3] में शेष 21 मोबाईल टॉवर से पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभार के रूपये 0.08 करोड़ की कम वसूली की गयी। विवरण *परिशिष्ट- VII* में दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप रूपये 0.78 करोड़ की राजस्व की हानि और 196 मोबाईल टॉवर स्थापितकर्ता मोबाईल कम्पनियों[4] से पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभार रूपये 0.43 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

नगरपालिका मंडल, सागवाड़ा ने अवगत कराया (जून 2016) कि स्टाफ की कमी के कारण वसूली नहीं की जा सकी। शेष 16 नगरपालिका मंडलों[5] ने पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभार की अवसूली/कम वसूली के कारण प्रस्तुत नहीं किए। तथापि, उन्होनें अवगत करवाया कि नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभार की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी। तथ्य यह है कि नगरपालिका मंडलों ने दोषियों की पहचान उपरान्त भी मोबाईल कम्पनियों से राजस्व वसूली हेतु अभी तक उचित कार्यवाही नहीं की।

---

3 नगरपालिका मंडल: देवली, फतेहपुर, मालपुरा, मेड़तासिटी और सागवाडा।

4 बीएसएनएल, रिलांयस, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, टाटा हच, एमटीएस, टाटा इंडिकोम, हच, एयरसेल, रेनबो, बजाज एलायंज, इंडस, कोम्पा, जीटीएल आईडिया, रिलायंस जिओ, व्योम नेटवर्क, रिलांयस इन्फ्राटेल, कपा टेलीकोम और द गुमान।

5 चाकसू और माउन्ट आबू (अप्रैल 2016), सुमेरपुर, मेड़तासिटी, लाडनूं, सरदारशहर, फतेहपुर और देवली (मई 2016), नाथद्वारा, भीनमाल, सांचोर, सूरतगढ़, रामगंजमण्डी, छबड़ा (जून 2016), बयाना और मालपुरा (जुलाई 2016)।

इन मोबाईल टावर्स की अपने क्षेत्राधिकार में उपस्थिति की पूर्ण जानकारी होने के बाबजूद राजस्व मांग एवं वसूली में विफल दोषी अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रकरण की जांच की जानी चाहिए।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

(i) नगरपालिका मण्डल देवली :- सम्बन्धित को राशि जमा कराने बाबत् नोटिस जारी कर दिये गये हैं। राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी।

नगरपालिका मण्डल रामगंजमण्डी :- नगरपालिका क्षेत्र में स्थित मोबाइल टावरों से शुल्क वसूली का आक्षेप वर्ष 2013-14 में 2.60 लाख वसूली का गठित किया गया है। मोबाइल टॉवर कम्पनी शुल्क जमा नहीं करा रही है। इस कारण राशि जमा नहीं हो पायी है। अब मोबाइल टॉवर कम्पनियों से राशि वसूली के अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मण्डल लाडनू :- राशि वसूली हेतु सभी को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। वसूली की कार्यवाही जारी है। चार मोबाईल टावरों को पंजीकृत किया जा चुका है तथा वार्षिक प्रभार भी लिया जा रहा है तथा शेष कंपनियों से बकाया जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार सभी मोबाईल टॉवर व पोल ऐन्टिना कम्पनियों को गत व वर्तमान पंजीकरण शुल्क एंव वार्षिक प्रभार शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर दिये हैं तथा पंजीकरण शुल्क शीघ्र ही वसूल कर लिया जायेगा।

नगरपालिका मण्डल सरदारशहर :- नगरपालिका क्षेत्र में 23 मोबाइल टॉवर कम्पनियों द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित किये गये हैं। उक्त मोबाइल टॉवर संचालको का पंजीकरण एवं वार्षिक शुल्क जमा करवाये जाने हेतु समय समय पर नोटिस जारी किये गये, परन्तु मोबाईल संचालको द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया सिर्फ एयरटेल कम्पनी द्वारा पंजीयन शुल्क वर्ष 2010-11 से 2011-12 का वार्षिक शुल्क तथा एमटीएस कम्पनी द्वारा पंजीयन शुल्क जमा करवाया गया है । शेष कम्पनियों से पंजीयन शुल्क एण्ड वार्षिक शुल्क जमा करवाया जाना शेष है। शीघ्र ही कम्पनीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए बकाया राशि वसूल की जावेगी।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार निवेदन है कि नगरपालिका सांचौर द्वारा सर्वे करने पर नगरीय क्षेत्र में 13 मोबाइल टॉवर विभिन्न स्थानों पर लगे होने से संबंधित फर्मो को समय-समय पर शुल्क वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये, जिसमें से एयरटेल कम्पनी द्वारा दिनांक 11.04.2012 को चैक संख्या 873030 से 873033 के द्वारा 12000/- की राशि जमा करवाई गयी। तत्पश्चात् किसी भी एजेन्सी द्वारा नोटिस जारी होने के बावजूद राशि जमा नहीं कराने पर नगरपालिका अधिवक्ता

माननीय यशवन्त मेहता राज. हाईकोर्ट जोधपुर से राय लेने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये प्रत्युत्तर में आईडिया एवं अन्य फर्मों द्वारा जरिये पत्र सं. 13166 दिनांक 04.08.2010 के अनुसार तथ्य प्रस्तुत कर प्रकरण हाईकार्ट में विचाराधीन होने के कारण फर्मों द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाया गया। वाद निर्णय विभागीय आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नगरपालिका मण्डल छबड़ा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 14 की पालना में पालिका द्वारा पोल एंटीना/मोबाइल टॉवर उपविधियाँ 2012 के अन्तर्गत न.पा. क्षेत्र छबड़ा में स्थित समस्त 9 मोबाइल टॉवर कम्पनियों को पंजीकरण शुल्क व प्रति संलग्न है।

(2) 9 मोबाइल टॉवर अनाधिकृत संचालित हैं, जिन्हें ज्ञापन-14 की पालना में 5.40 लाख वसूली हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। मोबाइल कम्पनी को जारी नोटिस की फोटो/हटाने की कार्यवाही से अवगत करवा दिया जावेगा।

(3) शीघ्र ही मोबाइल टॉवर जप्त/हटाने की कार्यवाही से अवगत करवा दिया जावेगा।

(4) वसूली हेतु 9 मोबाइल टॉवर कम्पनियों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

नगर पालिका सागवाड़ा (डूँगरपुर) :- आक्षेप मे निवेदन है कि संबंधितों को वसूली नोटिस जारी कर दिये गये है, वसूली होने के पश्चात अनुपालना भिजवा दी जायेगी।

नगर पालिका मण्डल, मेड़ता सिटी (नागौर):- नगरपालिका मेड़ता सिटी क्षेत्र में कुल 12 मोबाईल टॉवर स्थित है, जिसमें कुल बकाया राशि रूपये 2.20 लाख है, जिनमें से 1.85 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है, तथा शेष बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. नगरपालिका मण्डल रामगंजमण्डी में आक्षेपानुसार पंजीयन शुल्क रूपये 2.00 लाख एवं वार्षिक प्रभार रूपये 4.50 लाख की पूर्ण वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगरपालिका मण्डल लाडनू, सुमेरपुर, सागवाड़ा तथा सरदारशहर से आक्षेपानुसार पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभार की पूर्ण वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगरपालिका मण्डल मण्डल मेड़ता सिटी में आक्षेपानुसार मोबाईल टावरों से अवसूली के 7 प्रकरणों से पंजीयन शुल्क रूपये 1.40 लाख एवं वार्षिक प्रभार रूपये 3.15 लाख तथा कम वसूली के 5 प्रकरणों से पंजीयन शुल्क रूपये 0.20 लाख एवं वार्षिक प्रभार रूपये 1.50 लाख की पूर्ण वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगरपालिका मण्डल सांचौर में आक्षेपित 13 प्रकरणों के संबंध में अनुपालनानुसार माननीय हाईकोर्ट, जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों पर निर्णय की वर्तमान प्रगति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. नगरपालिका मण्डल छबड़ा में आक्षेपानुसार पंजीयन शुल्क रूपये 1.80 लाख एवं वार्षिक प्रभार रूपये 4.05 लाख की पूर्ण वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है। तथा अनुपालना में वर्णित प्रति उपलब्ध करावें।

6. आक्षेपानुसार पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक प्रभारों की अवसूली के प्रकरणों में नगरपालिका मण्डल बयाना, भीनमाल, चाकसू, फतेहपुर, मालपुरा, माउन्ट आबू, नाथद्वारा एवं सूरतगढ़ तथा कम वसूली के प्रकरणों में फतेहपुर तथा मालपुरा से अनुपालना अपेक्षित है।

7. वर्तमान में नमूना जांच की गई नगर पालिका मंडलों में से कितने मंडलों में मोबाईलों टावरों से नियमित रूप से पंजीकरण/ वार्षिक प्रभार वसूल किए जा रहे है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार निवेदन है कि नगरपालिका सांचौर द्वारा सर्वे करने पर नगरीय क्षेत्र में 13 मोबाइल टॉवर विभिन्न स्थानों पर लगे होने से संबंधित फर्मों को समय-समय पर शुल्क वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये, जिसमें से एयरटेल कम्पनी द्वारा दिनांक 11.04.2012 को चैक संख्या 873030 से 873033 के द्वारा 12000/- की राशि जमा करवाई गयी। तत्पश्चात् किसी भी एजेन्सी द्वारा नोटिस जारी होने के बावजूद राशि जमा नहीं कराने पर नगरपालिका अधिवक्ता माननीय यशवन्त मेहता राज. हाईकोर्ट जोधपुर से राय लेने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये प्रत्युत्तर में आईडिया एवं अन्य फर्मों द्वारा जरिये पत्र सं. 13166 दिनांक 04.08.2010 के अनुसार तथ्य प्रस्तुत कर प्रकरण हाईकार्ट में विचाराधीन होने के कारण फर्मों द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाया गया। वर्तमान में भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। निर्णयानुसार कार्यवाही से अवगत करवा दिया जावेगा ।

नगरपालिका मण्डल छबडा :- (1) लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 14 की पालना में एक पालिका द्वारा पोल एंटीना/मोबाइल टॉवर उपविधियों 2012 के अन्तर्गत न.पा. क्षेत्र छबड़ा में स्थित समस्त 9 मोबाइल टॉवर कम्पनियों को पंजीकरण शुल्क व वार्षिक शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये है।

(2) 9 मोबाइल टॉवर अनाधिकृत संचालित हैं, जिन्हें ज्ञापन-14 की पालना में 5.40 लाख वसूली हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। मोबाइल कम्पनी को नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(3) शीघ्र ही मोबाइल टॉवर जब्त/हटाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है किन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या F-10(147)UDH/3/2008 PART-III DATE 06-02-2017 के अनुसार मोबाईल टॉवर जब्त एवं हटाया जाना संभव नही हो रहा हैं।

(4) वसूली हेतु 9 मोबाइल टॉवर कम्पनियों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या F-10(147)UDH/3/2008 PART-III DATE 06-02-2017 के अनुसार मोबाईल टॉवर कम्पनियों द्वारा बकाया राशि जमा नही करवाई जा रही है ।

<u>समिति की सिफारिश</u>

(1) समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मंडलों में स्थापित 196 मोबाईल टॉवर्स *(लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट-VII के अनुसार)* से वसूली योग्य पंजीयन शुल्क/वार्षिक प्रभार की बकाया राशि की वसूली से एवं वसूली के अभाव में की गयी कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(2) समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका सांचौर नगरीय क्षेत्र के 13 मोबाइल टॉवरों से वसूली हेतु हाईकार्ट में विचाराधीन प्रकरण की नवीनतम प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(3) समिति सिफारिश करती है कि अनाधिकृत मोबाइल टॉवर जब्त/हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारणो से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद संख्या 4.1.2.2(ii) : विवाह स्थलों के लिए पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क

राजस्थान सरकार द्वारा विवाह स्थलों के पंजीयन हेतु मॉडल उप-विधियां 2010 में लागू की गई और नगरपालिका मंडलों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में क्रियान्वयन हेतु इन उप-विधियों को

अंगीकार/संशोधन किया जाना अपेक्षित था। मॉडल उप-विधियों की धारा 3 प्रावधित करती है कि कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय के क्षेत्र में नगरपालिका मंडलों से अनुज्ञापत्र प्राप्ति के बिना विवाह स्थलों का संचालन नहीं करेगा। प्रत्येक नगरपालिका मंडल द्वारा अधिसूचित निर्धारित दरों के अनुसार पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क प्रभारित किया जाएगा। प्रत्येक नगरपालिका मंडल द्वारा उप-विधियों के अंगीकार/संशोधन के अभाव में नगरपालिका मंडलों द्वारा मॉडल उप-विधियों में निर्धारित दरों के अनुसार विवाह स्थलों हेतु पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

चयनित नगरपालिका मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि सभी 17 नमूना जांच नगरपालिका मंडलों ने उप-विधियों को अंगीकार/संशोधित नहीं किया। अग्रेतर, सात नगरपालिका मंडलों[6] द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार, उनके क्षेत्राधिकार मे कुल 75 विवाह स्थल पंजीयन शुल्क रूपये 0.10 लाख प्रति विवाह स्थल जमा कराए बिना संचालित हो रहे थे। परिणामस्वरूप इन विवाह स्थलों से रूपये 7.50 लाख के पंजीयन शुल्क की वसूली शेष रही। अग्रेतर, नगरपालिका मंडल, सरदारशहर के अतिरिक्त छः नगरपालिका मंडलों के 30 विवाह स्थलों से अनुमति शुल्क के रूपये 15 प्रति वर्गगज की दर से संगणित रूपये 53 लाख भी वसूल नहीं किए गए थे। नगरपालिका मंडल, सरदारशहर ने अपने क्षेत्राधिकार में 45 विवाह स्थलों की सूचना भी उपलब्ध नहीं करवाई थी और इस कारण, इन विवाह स्थलों के अनुमति शुल्क की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार, सात नगरपालिका मंडलों में विवाह स्थलों से पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क की कुल राशि रूपये 60.50 लाख की वसूली शेष रही।

सात नगरपालिका मंडलों[7] ने अवगत कराया कि पंजीयन शुल्क/अनुमति शुल्क की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी। तथापि, तथ्य यह है कि नगरपालिका मंडलों की लापरवाही के कारण, बड़ी संख्या में विवाह स्थल सरकारी राजस्व/बकाया जमा कराए बिना अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे थे।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल रामगंजमण्डी :- पालिका क्षेत्र में 2 विवाह स्थल पंजीकृत हैं, उन्हें राशि जमा कराने के सूचना पत्र जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष में राशि जमा कराने के प्रयास किये जायेगे एवं राशि जमा करायी जावेगी।

---

6 नगरपालिका मंडल: चाकसू, मेड़तासिटी, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ़। नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू द्वारा विवाह स्थलों की सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे जबकि शेष आठ नगरपालिका मंडलों ने 'शून्य' सूचना अवगत कराई थी। नगरपालिका मंडल, फतेहपुर में कोई प्रकरण नहीं पाया गया था।

7 नगरपालिका मंडल: चाकसू, मेड़तासिटी, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ़।

नगरपालिका मण्डल लाडनू :- स्थानीय पालिका क्षेत्र में विवाह स्थल संचालित नहीं हैं। विवाह इत्यादि समारोह का आयोजन निजी भवनों व धर्मशालाओं में हो रहा है।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा विवाह स्थलों के लिए पंजीयन शुल्क व अनुमति शुल्क की राशि वर्ष 2015-16 में 0.13 लाख वर्ष 2016-17 में 0.24 लाख रूपये व वर्ष 2017-18 में 0.59 लाख रूपये की प्राप्ति हुयी है तथा प्रति वर्ष इस मद में प्राप्त राशि में वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मण्डल सरदारशहर :- नगरपालिका सरदारशहर की साधारण सभा बैठक दिनांक 24.11.2014 को नगरपालिका सरदारशहर विवाह स्थल का पंजीयन उप विधि 2014 प्रभावशील की गयी, जिसकी पालना में कार्यालय द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से शहर में स्थित सभी विवाह स्थल सस्थाओं को पंजीकरण करवाये जाने हेतु सूचित किया गया, परन्तु किसी भी संस्था द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किये जाने पर 29.12.2016 को शहर में स्थित 23 विवाह स्थल संस्थाओ को पंजीकरण करवाये जाने हेतु सूचित किया गया परन्तु इस कार्य में रूचि नहीं दिखाये जाने पर दिनांक 06.06.2017 को पुन: नोटिस जारी किये गये इस पर निम्न 3 संस्थाओं द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया जिससे नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क वसूल किया गया।

क्र.सं.	संस्था का नाम	वसूल पंजीयन शुल्क	वसूल अनुमति शुल्क (15रू प्रति वर्गगज)
01	विजय पैलेस जम्मडो के कुए के पास वार्ड 08 सरदारशहर	10000.00	6600.00
02	श्री गधैया पैलेस, गौठी बास वार्ड नं. 10, सरदारशहर	10000.00	4395.00
03	महाप्रज्ञ अध्यात्म एण्ड एज्युकेशनल फाउडेशन, तैरापंथ भवन, सरदारशहर	10000.00	75480.00
कुल		30000.00	86475.00

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- नगरपालिका मण्डल द्वारा नगरीय क्षेत्र में विवाह स्थल पंजीयन हेतु पत्रावली तैयार कर मण्डल की बैठक में वास्ते स्वीकृति हेतु रखा गया किन्तु नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान उपलब्ध न होने के कारण सामाजिक एवं धार्मिक धर्मशाला स्थलों के पंजीयन हेतु स्वीकृति न देने के कारण विवाह पंजीयन न होने के कारण वसूली करना संभव नहीं हुआ।

आक्षेप मे निवेदन है कि वर्तमान मे पालिका क्षेत्र मे 2 वाटिकाऐं पंजीकृत है, उक्त वाटिकाओ से नियमित रूप से पंजीकरण व अनुमति शुल्क वसूल किया जा रहा है।

नगरपालिका मण्डल, मेड़ता सिटी (नागौर) :- आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि, नगरपालिका मेड़ता क्षेत्र में 1 विवाह स्थल कृष्णा रिसोर्ट री रोहित कुमार पुत्र श्री चतुर्भुज सोनी के नाम से पंजीकृत है, जिसका पंजीयन शुल्क 68772/- पालिका कोष में जमा करवाये जा चुके हैं एवं पंजीकृत विवाह स्थल का वर्ष 2019-20 तक 55806/- रूपये की वसूली की जा चुकी है, कृपया पैरा निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार 17 नमूना जांच नगरपालिका मंडलों द्वरा मॉडल उप-विधियों को अंगीकार/ संशोधित नहीं करने के कारणों से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगरपालिका मण्डल रामगंजमण्डी तथा सुमेरपुर में आक्षेपानुसार तत्समय बिना पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क के चल रहे विवाह स्थलों से शुल्क की वसूली नही करने के कारणों से अवगत करावें तथा इस हेतू वर्तमान प्रगति का समावेश अन्तिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

3. नगरपालिका मण्डल सरदारशहर की अनुपालनानुसार कि विवाह स्थलों को पंजीकरण हेतू सूचित करने के बाद भी पंजीयन हेतू आवेदन नहीं करने वाले विवाह स्थलों के विरूद्ध नियमों की अवहेलना के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है, अन्तिम क्रियान्विति में अवगत करावें।

4. नगरपालिका मण्डल मेड़ता सिटी में आक्षेपानुसार तत्समय बिना पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क के चल रहे 7 विवाह स्थलों से शुल्क की वसूली नही करने के कारणों से अवगत करावें तथा इस हेतू वर्तमान प्रगति का समावेश अन्तिम क्रियान्विति में अपेक्षित है।

5. आक्षेपानुसार तत्समय लेखापरीक्षा को नगरपालिका मंडल, सरदारशहर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में 45 विवाह स्थलों की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारणों से अवगत करावें तथा अन्तिम क्रियान्विति में उक्त पूर्ण सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

6. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल चाकसू, मेड़तासिटी, नाथद्वारा और सूरतगढ़ द्वारा तत्समय विवाह स्थलों अनुमति शुल्क की वसूली नहीं करने के कारणों तथा वर्तमान प्रगति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

7. तत्समय लेखापरीक्षा को नगरपालिका मंडल माउण्ट आबू द्वारा विवाह स्थलों की सूचना/ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अवगत करावें।

8. नगरपालिका मंडल चाकसू, नाथद्वारा तथा सूरतगढ़ द्वारा आक्षेपानुसार क्रियान्विति अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सांचौरः- नगरपालिका द्वारा नगरीय क्षेत्र में विवाह स्थल पंजीयन हेतु पत्रावली तैयार कर मण्डल की बैठक में वास्ते स्वीकृति हेतु रखा गया किन्तु नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान उपलब्ध न होने के कारण सामाजिक एवं धार्मिक धर्मशाला स्थलों के पंजीयन हेतु स्वीकृति न देने के कारण विवाह पंजीयन न होने के कारण वसूली करना संभव नहीं हुआ।

आक्षेप मे निवेदन है कि वर्तमान मे पालिका क्षेत्र मे 2 वाटिकाएँ पंजीकृत है, उक्त वाटिकाओ से नियमित रूप से पंजीकरण व अनुमति शुल्क वसूल किया जा रहा है।

समिति की सिफारिश

(4) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित 17 नगरपालिका मंडलों द्वारा मॉडल उप-विधियों को अंगीकार/संशोधित करने अद्यतन स्थिति से एवं नगरपालिका मंडलों (चाकसू, मेड़तासिटी, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ़) में बिना पंजीयन/अनुमति से संचालित विवाह स्थलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद संख्या 4.1.2.2 () : होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकानों आदि से अनुज्ञापत्र शुल्क

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340 नगरपालिकाओं को किसी स्थान को मीट या मच्छली, डेयरी, होटल, रेस्त्रां, भोजनालय, मिठाई और बेकरी आदि के लिए बाजार या दुकान के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान, अस्वीकार, निलम्बित या वापस ले सकने के संबंध मे शर्तें निर्धारित करते हुए उप-विधियां बनाने का अधिकार देती है।

(अ) उप-विधियां नहीं बनाना

नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 12 नगरपालिका मंडलों ने होटल/रेस्त्रां और मीट दुकानों की गतिविधियों के नियमन हेतु उप-विधियां नहीं बनाई जबकि उनके क्षेत्राधिकार में 98 होटल/रेस्त्रां आदि और 88 मीट की दुकानें बिना पंजीयन के चल रही थी। विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3

नगरपालिका मंडल का नाम	संख्या	
	होटल आदि*	मीट की दुकानें**
बयाना	4	शून्य
भीनमाल	10	शून्य
छबड़ा	18	शून्य
देवली	17	18
फतेहपुर	3	10
लाडनूं	4	शून्य
मालपुरा	13	24
मेड़तासिटी	4	6
माउन्ट आबू***	शून्य	5
सरदार शहर	6	शून्य
सूरतगढ	10	13
सुमेरपुर	9	12
योग	**98**	**88**

• नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सागवाड़ा और सांचोर ने होटल, रेस्त्रां आदि उप-विधियां अंगीकृत की। नगरपालिका मंडल, चाकसू ने 'शून्य की सूचना दी।

•• नगरपालिका मंडल, सागवाड़ा ने मीट दुकान उप-विधियां अंगीकृत की।
नगरपालिका मंडल, चाकसू, रामगंजमण्डी और सांचोर ने 'शून्य की सूचना दी।
नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

••• नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू ने होटल उपविधियां बनाई थी।

सम्बन्धित नगरपालिका मंडलों द्वारा मॉडल उप-विधियों तथा विशिष्ट उप-विधियां बनाने के अभाव में, पंजीयन शुल्क की बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकी।

नगरपालिका मंडलों ने प्रत्युत्तर दिया कि उप-विधियां बनाने हेतु कार्यवाही की जाएगी। तथापि, तथ्य यह है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका मंडल उपविधियां बनाने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न व्यवसाय/गतिविधियों के अनाधिकृत संचालन से नगरपालिका मंडल राजस्व के अतिरिक्त स्रोत से वंचित रहे।

(ब) अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली का अभाव/कम वसूली

पांच नगरपालिका मंडलों[8] की नियमन एवं नियत्रंण उपविधियां प्रावधित करती हैं कि नगरपालिका मंडलों से अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति किसी स्थान का उपयोग होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकान और अन्य बिक्री की दुकान इत्यादि के संचालन हेतु नहीं कर

8 नगरपालिका मण्डल, माउन्ट आबू: 1979, नाथद्वारा: 2009, रामगंजमण्डी: 2007, सागवाड़ा: 1987 और सांचोर: 2007

सकेगा। अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किए जाने के उपरांत, अनुज्ञाधारी को नगरपालिका मंडल को उनकी उप-विधियों के अनुसार निर्धारित दर से प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क जमा कराना होगा।

पांच नगरपालिका मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 233 विभिन्न व्यापारियों से अनुज्ञापत्र/नवीनीकरण शुल्क के रूपये आठ लाख की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है:

तालिका 4.4

(रूपये लाख में)

नगरपालिका मंडल का नाम	होटल/रेस्त्रां आदि की संख्या	वसूलनीय राशि		वसूली गई राशि		पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क की अवसूली/कम वसूल राशि	
		अनुज्ञापत्र शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	अनुज्ञापत्र शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	अनुज्ञापत्र शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
माउन्ट आबू	19	शून्य	0.40	शून्य	शून्य	शून्य	0.40
नाथद्वारा	86	4.30	4.50	0.40	1.75	3.90	2.75
रामगंजमण्डी	109	0.29	शून्य	शून्य	शून्य	0.29	शून्य
सांचोर	13	शून्य	0.95	शून्य	शून्य	शून्य	0.95
सागवाड़ा	6	शून्य	0.06	शून्य	शून्य	शून्य	0.06
योग	233	4.59	5.91	0.40	1.75	4.19	4.16

नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू के अतिरिक्त चार नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया कि वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू ने अवगत कराया कि होटल, रेस्त्रां, बेकरी संचालकों आदि को चिकित्सा विभाग ने अनुज्ञापत्र जारी कर दिए हैं, इसलिए वे नगरपालिका मंडल के पास अनुज्ञापत्र हेतु नहीं आते। प्रत्युत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि पंजीयन संबंधित नगरपालिका मंडलों द्वारा ही जारी किया जाना था।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

(अ)(i) नगरपालिका मण्डल लाडनूं :- कर निर्धारण, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक व लेखाकार के पद लम्बे समय से रिक्त होने के कारण राजस्व से संबंधित कार्य निष्पादन नहीं हुए है। भविष्य में उपविधियां बनाने की कार्यवाही की जाकर राजस्व उद्ग्रहण एवं संग्रहण की कार्यवाही की जावेगी।

(ii) नगरपालिका मण्डल देवली :- उप विधियां बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही उप विधि निर्माण कर नगरपालिका मण्डल को राजस्व की हानि नहीं होने दी जायेगी।

(iii) नगरपालिका मण्डल सांचौर :- द्वारा उप-विधियां अंगीकृत की हुई है।

(iv) नगरपालिका मण्डल छबडा :- नगर पालिका द्वारा उपविधियां नहीं बनाई गई है। नगर पालिका क्षेत्र छबडा में 11 होटल संचालित हैं । आक्षेप में अंकित तालिका 4.3 में 18 के स्थान पर 11 होटल अंकित की जावे। आक्षेप की पालना में उपविधियां बनाने की प्रक्रिया शिघ्र प्रारम्भ कर दी जावेगी। जन स्वास्थ्य हेतु खाद्य निरीक्षक बारां द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है तथा निरीक्षण किया जाता है।

(ब) (i) नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा वर्ष 2015-16 में 0.08 लाख 2016-17 में 0.03 लाख व 2017-18 में 0.06 लाख अनुज्ञापत्र शुल्क प्राप्त हुआ है तथा कुछ होटल एंव मीट की दुकानें बन्द हो जाने के कारण अनुज्ञा पत्र शुल्क वसूली में शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा चालू वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर दिया जायेगा।

(ii) नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार निवेदन है कि होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकानों आदि से अनुज्ञापत्र शुल्क सरकारी निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वसूल किया जाता है।

(iii) नगरपालिका मण्डल लाडनूं :- स्थानीय पालिका क्षेत्र में चिकित्सा विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी होने के कारण पंजीकरण की कार्यवाही नहीं हुई है। अब उपविधि बनाई जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(iv) नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेप बिन्दु अनुसार अनुज्ञापत्र शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है वर्ष 2016-17 में 2.50 लाख, 2017-18 में 4.05 लाख की वसूली की गई है शेष वसूली हेतु ठोस कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित कार्मिक को पाबन्द किया गया है एवं फर्मों को मांग पत्र जारी किये गये।

(v) नगरपालिका मण्डल सागवाड़ा (डूँगरपुर):- आक्षेप मे निवेदन है कि पालिका द्वारा होटल रेस्टोरेन्ट से नियमानुसार अनुज्ञा पत्र शुल्क वसूल किया गया है परन्तु नवीनीकरण शुल्क वसुल ने का अभाव रहा, जिसके सदर्भ में नोटिस जारी किये गये है वसूली होने पश्चात विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार उप-विधियां नहीं बनाने के संबंध में नगरपालिका मंडल बयाना, भीनमाल, फतेहपुरा, मालपुरा, मेंड़तासिटी, माउण्ट आबू, सरदारशहर, सूरतगढ तथा सुमेरपुर से क्रियान्वित अपेक्षित है।

2. नगरपालिका मंडल छबड़ा, देवली तथा लाडनूं में उप-विधियां बनाने की वर्तमान प्रगति/प्रयासों से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. आक्षेपानुसार अनुज्ञापत्र/नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं करने के संबंध में नगरपालिका मंडल माउण्ट आबू, नाथद्वारा तथा रामगंजमण्डी से क्रियान्वित अपेक्षित है।

4. नगरपालिका मंडल सांचोर द्वारा प्रेषित क्रियान्विति आक्षेपानुसार तथ्यों के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है क्योंकि पंजीयन संबंधित नगरपालिका मंडलों द्वारा ही जारी किया जाना था तथा अनुपालना में ही वर्णित कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में अनुज्ञापत्र/नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई है एवं शेष वसूली हेतू संबंधित कार्मिक को पाबंद किया गया है। तथापि सरकारी निर्देश कि अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा की जायेगी की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

5. नगरपालिका मंडल सागवाड़ा के संबंध में तत्समय आक्षेपानुसार अनुज्ञापत्र/ नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं करने के कारणों तथा वर्तमान प्रगति/प्रयासों एवं परिणामों से अन्तिम अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका छबडा :- नगर पालिका द्वारा उपविधियां नहीं बनाई गई है। नगर पालिका क्षेत्र छबडा में 11 होटल संचालित हैं । आक्षेप में अंकित तालिका 4.3 में 18 के स्थान पर 11 होटल अंकित की जावे। आक्षेप की पालना में उपविधियां बनाने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जावेगी। जन स्वास्थ्य हेतु खाद्य निरीक्षक बारां द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है तथा निरीक्षण किया जाता है।

समिति की सिफारिश

(5) समिति सिफारिश करती है कि होटल/रेस्त्रां और मीट दुकानों की गतिविधियों हेतु आक्षेपित 12 नगरपालिका मंडलों द्वारा बनाई गई उप-विधियां की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.3 : निजी नर्सिंग होम (औषधालय) अधिभार नियम

नगरपालिका मंडल, सांचोर द्वारा अनुमोदित एवं क्रियान्वित (मई 2009) निजी नर्सिंग होम (औषधालय) अधिभार नियम, 2007 का नियम 3 प्रावधित करता है कि कोई नर्सिंग होम (औषधालय) जो शहरी क्षेत्र में निजी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है, उसको रूपये 1,200 से

5,000 का वार्षिक शुल्क[9] देना होगा। वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करने अथवा नियमों का पालन नहीं करने पर राशि रूपये 500 तक की शास्ति भारित की जाएगी। यह पाया गया कि नगरपालिका मंडल, सांचोर ने अवधि 2011-15 के दौरान 23 निजी नर्सिंग होम/अस्पताल को अनुज्ञापत्र जारी किए थे। इनमें से, 17 अनुज्ञाधारियों ने रूपये 0.84 लाख की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया और नगरपालिका मंडल द्वारा बकाया राशि तथा शास्ति वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

नगरपालिका मंडल, सांचोर ने तथ्य स्वीकारते हुए अवगत कराया (जून 2016) कि नर्सिंग होम अनुज्ञाधारियों से वसूली कर ली जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल सांचौर:- आक्षेपानुसार नगरपालिका मण्डल सांचौर द्वारा वर्तमान में 25 नर्सिंग होम/अस्पताल संचालित हैं। वर्ष 2016-17 में 59800/- एवं 2017-18 में 54600/- वसूल किये गये हैं। कुल 7 नर्सिंग होम/अस्पतालों के 20800 रू. बकाया हैं जिसकी वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं, कार्यवाही जारी है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार तत्समय 17 अनुज्ञाधारियों से नगरपालिका मंडल सांचौर द्वारा राशि रूपये 0.84 लाख की वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क तथा शास्ति वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने के कारणों तथा उक्त आक्षेपित अनुज्ञाधारियों से पूर्ण वसूली कर विवरण सहित अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका मण्डल सांचौर द्वारा वर्तमान में 25 नर्सिंग होम/अस्पताल संचालित हैं। वर्ष 2016-17 में 59800/- एवं 2017-18 में 54600/- वसूल किये गये हैं। कुल 7 नर्सिंग होम/अस्पतालों के 20800 रू. बकाया हैं जिसकी वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं, कार्यवाही जारी है। वसूली उपरान्त अनुपालना भिजवा दी जावेगी।

समिति की सिफारिश

[9] नर्सिंग होम में उपलब्ध बिस्तर सुविधा के आधार पर।

(6) समिति सिफारिश करती है कि प्रकरणान्तर्गत 7 नर्सिंग होम/अस्पतालों से बकाया राशि रूपये 20800 की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.4 : राजस्थान भवन उप-विधियां

स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान भवन विनियम उप-विधियां, 2010 जारी (जून 2011) की जो राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू होती है। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2015) कि मॉडल उप-विधियों के लागू होने के उपरान्त आवेदित सभी प्रकरणों का निपटान इन उप-विधियों के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद 4.1.2.4() : बेहतरी प्रभार (बैटरमेंट लेवी)

मॉडल राजस्थान भवन उपविधियों के अनुच्छेद 7.10 के अनुसार, अनुमत्य फ्लोर एरिया अनुपात[10] आवासीय भवन के लिए 1.20 तथा वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए 1.33 होना चाहिए जो कि बेहतरी प्रभार[11] के भुगतान के बाद 2.25 तक बढ़ाया जा सकता था।

तीन नगरपालिका मंडलों[12] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि तीन प्रकरणों में नगरपालिका मंडलों ने बेहतरी प्रभार की रूपये 0.40 करोड़ की वसूली सुनिश्चित किए बिना अनुमत्य फ्लोर एरिया अनुपात से अधिक वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की अनुमति जारी की *(परिशिष्ट-)*। इसी प्रकार, नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा[13] ने आवासीय भवनों के दो अन्य प्रकरणों में बेहतरी प्रभार की गलत गणना के परिणामस्वरूप रूपये 0.36 करोड़ की कम वसूली की। इस प्रकार, पांच प्रकरणों में बेहतरी प्रभार की कुल रूपये 0.76 करोड़ की अवसूली/कम वसूली करने के कारण ये नगरपालिका मंडल निजी राजस्व स्रोत से उस सीमा तक वंचित रहे।

ध्यान मे लाए जाने पर, संबंधित नगरपालिका मंडलों ने तथ्य स्वीकारते हुए अवगत कराया (जून 2016) कि वसूली कर ली जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

---

10 भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल का भू-खण्ड के आकार के आधार पर अनुपात फ्लोर एरिया अनुपात होता है।

11 आवासीय सम्पत्तियों के लिए 1.20 से अधिक फ्लोर एरिया अनुपात हेतु बेहतरी प्रभार रूपये 100 प्रति वर्ग फीट या आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूलनीय होगा। वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए 1.33 से अधिक फ्लोर एरिया अनुपात हेतु बेहतरी प्रभार रूपये 200 प्रति वर्ग फीट या आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूलनीय होगा।

12 नगरपालिका मंडल: देवली, फतेहपुर और सागवाड़ा।

13 नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा ने नाथद्वारा भवन विनियमन उप-विधियां, 2011 अंगीकृत की है। आवासीय/वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए अनुमत्य फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 था।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर में भवन विनियम 2010 के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में भवन विनियम में दी गई अंकतालिकानुसार सेटबैक व मार्गाधिकार छोड़ा जाता हैं एवं निर्धारित नियमानुसार राशि वसूल की जा रही है।

नगरपालिका मण्डल सागवाड़ा (डूँगरपुर) :- आक्षेप मे निवेदन है कि सम्बन्धित को वसूली नोटिस जारी किया गया है परन्तु आज दिनांक तक वसूली नही हो पायी है। अत: वसूली होने पर विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. बेहतरी प्रभार (बैटरमेंट लेवी) के संबंध में आक्षेपानुसार पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सांचौर:- आक्षेपानुसार नगरपालिका मण्डल सांचौर में भवन विनियम 2010 के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में भवन विनियम में दी गई अंकतालिकानुसार सेटबैक व मार्गाधिकार छोड़ा जाता हैं एवं निर्धारित नियमानुसार राशि वसूल की जा रही है।

समिति की सिफारिश :

(7) **समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डलों (देवली, फतेहपुर, सांगवाडा एवं नाथद्वारा) की आक्षेपित बकाया बेहतरी प्रभार की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।**

अनुच्छेद 4.1.2.4() : भवन अनुमति प्रभार

भवन निर्माण की दरें राजस्थान मॉडल भवन उप-विधियों में निर्धारित की गई है। निर्माण की अनुमति के लिए परीक्षण शुल्क आवासीय/संस्थानिक उद्देश्य के प्रकरणों में रूपये पांच प्रति वर्गमीटर तथा वाणिज्यिक उद्देश्य के प्रकरणों में रूपये 15 प्रति वर्गमीटर प्रभारित होगी। विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्मित भवनों हेतु नक्शा अनुमोदन शुल्क के लिए विभिन्न दरें[14] भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित की गई है।

---

[14] वणिज्यिक भूमि के लिए नक्शा अनुमोदन शुल्क: 250 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक भू-खण्ड क्षेत्रफल (रूपये 5,000) और 500 से अधिक 1,500 वर्गमीटर तक (रूपये 5,000 + रूपये 50 प्रति वर्गमीटर)।

तीन नगरपालिका मंडलों[15] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि नगरपालिका मंडलों ने पांच प्रकरणों में 500 वर्गमीटर से 1,500 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की अनुमति नक्शा अनुमोदन शुल्क राशि रूपये 1.46 लाख एवं निरीक्षण प्रभार राशि रूपये 0.39 लाख प्राप्त किए बिना जारी की। इस प्रकार, नगरपालिका मंडलों द्वारा राशि रूपये 1.85 लाख की वसूली नहीं की गई थी *(परिशिष्ट-)*।

ध्यान मे लाये जाने पर, नगरपालिका मंडलों ने तथ्य स्वीकारते हुए अवगत कराया (मई 2016) कि वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

तथापि, तथ्य यह है कि भवन अनुमति प्रभार वसूली के बिना, फ्लोर एरिया अनुपात से अधिक के साथ भवनों के निर्माण की पूर्ण जानकारी होने के बाबजूद भी, अभी तक बकाया वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल लाडनू :- नगरपालिका लाडनू में 500 से 1500 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है। आवासीय निर्माण स्वीकृति में नियमानुसार/वांछित भवन अनुमति प्रभार लिया जा रहा है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार भवन अनुमति प्रभार वसूल किया जा रहा है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

भवन अनुमति प्रभार के संबंध में आक्षेपानुसार पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार भवन अनुमति प्रभार वसूल किया जा रहा है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(8) **समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डलों (फतेहपुर, सांगवाडा एवं मेड़तासिटी) में आक्षेपित वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की अनुमति, नक्शा अनुमोदन**

[15] नगरपालिका मंडल: फतेहपुर, मेड़तासिटी और सागवाडा।

शुल्क एवं निरीक्षण प्रभार की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.5 : अग्नि उपकर

स्वायत्त शासन विभाग ने 15 मीटर से 40 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवन के निर्मित क्षेत्र पर अग्नि उपकर की वसूली भवन के फ्लोर एरिया अनुपात क्षेत्रफल पर रूपये 100 प्रति वर्गमीटर की दर से करने के आदेश जारी (अक्टूबर 2013) किए।

नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा और सुमेरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इन नगरपालिका मंडलों ने 15 मीटर से 40 मीटर तक की ऊंचाई वाले दो भवनों, जिनका निर्मित क्षेत्रफल 5,896.38 वर्गमीटर था, के निर्माण की अनुमति जारी (2013-14) की थी। इसके लिए रूपये 5.90 लाख[16] अग्नि उपकर की वसूली की जानी चाहिए थी। तथापि, इसके विरूद्ध नगरपालिका मंडल ने केवल रूपये 0.30 लाख की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप रूपये 5.60 लाख[17] की कम वसूली हुई।

नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर और नाथद्वारा ने तथ्य स्वीकारते हुए अवगत कराया (मई-जून 2016) की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल लाडनू :- नगर पालिका लाडनू में 15 मीटर से 40 मीटर 40 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवन नहीं होने के कारण अग्नि उपकर की राशि वसूली की जानी शेष नहीं है।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 879-890 दिनांक 30.04.18 के जरिये संबन्धित प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया गया है एंव वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार तत्समय अग्नि उपकर की वसूली नहीं करने के कारणों तथा वर्तमान में वसूली के प्रयासों/परिणामों से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

---

16 नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर: रूपये 1.79 लाख और नाथद्वारा: रूपये 4.11 लाख।

17 नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर: रूपये 1.49 लाख और नाथद्वारा: रूपये 4.11 लाख।

समिति की सिफारिश :

(9) समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डलों (सुमेरपुर एवं नाथद्वारा) में आक्षेपित अग्नि उपकर की बकाया राशि की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.6 : भू-उपयोग परिवर्तन

() भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रीमियम और अन्य प्रभार

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 का नियम 7 प्रावधित करता है कि भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमति आदेश भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवस में जारी किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी के द्वारा आवेदन स्वीकार करने पर भूमि का स्वामित्व अधिकृत अधिकारी के पक्ष में नाम परिवर्तन के द्वारा निहित हो जाएगा। तत्रैव नियम 9 एवं 11 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रीमियम तथा लीज किराया (नगरीय निर्धारण) की मांग-पत्र जारी करने के 90 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा प्रीमियम तथा लीज किराया जमा करवाए जाने पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लीज-डीड जारी एवं भूमि आवंटन किया जाएगा। अग्रेतरए प्रीमियम एवं लीज किराया जमा कराने के लिए आवेदक को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अतिरिक्त 90 दिन और दिए जा सकते है। मांग पत्र की प्राप्ति की दिनांक से छः माह समाप्ति के पश्चात् (90 दिवस जमा 90 दिवस) अनुमति आदेश निरस्त माने जाएगें।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-अ भी प्रावधित करती है कि जब किसी भूमि के कृषि कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के उपयोग हेतु अनुमति जारी की जाएगी, व्यक्ति जिसे अनुमति जारी की गई थी, प्रीमियम एवं लीज किराया भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

वर्ष 2013-15 के दौरान यह पाया गया कि नगरपालिका मंडल, चाकसू और फतेहपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-अ के तहत कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु 13 प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति जारी की। अग्रेतर. यह निर्देश दिए कि प्रीमियम एवं लीज किराया जमा कराने के उपरांत ही भूमि गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त की जा सकेगी।

यह पाया गया कि सभी 13 प्रकरणों में आवेदकों ने आवश्यक प्रीमियम प्रभार तथा नगरीय निर्धारण की राशि रू 4.69 करोड *(परिशिष्ट-**X**)* आदिनांक (जनवरी 2017) तक न तो जमा

करवाई, यद्यपि धारा 90-अ के तहत उनका दायित्व था, और ना ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस सम्बंध में कोई मागं पत्र जारी किया गया था। यह भी पाया गया कि चाकसू में एक आवेदक द्वारा भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु किया गया था।

नगरपालिका मंडल, चाकसू ने अवगत कराया (अप्रैल 2016) कि वसूली कर ली जाएगी। नगरपालिका मंडल, फतेहपुर ने अवगत कराया (मई 2016) कि प्रीमियम प्रभार तथा नगरीय निर्धारण पट्टा जारी करते समय वसूल किए जाते थे। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नगरपालिका मंडल, फतेहपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-अ तथा प्रभावी नियम 2012 के तहत निर्धारित अवधि में मांग पत्र भी जारी नहीं किए थे ।

इस प्रकार, नगरपालिका मंडलों की उदासीनता के कारण, रूपये 4.69 करोड़ राजकोष से बाहर रहे इसके अतिरिक्त राजकीय भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु अनाधिकृत प्रयोग की आशंका रही।

() आवेदन के साथ प्रीमियम की कम वसूली

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 का नियम 4 प्रावधित करता है कि नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्धारित प्रीमियम की 10 प्रतिशत की दर से गणना की राशि उस आवेदक से आवेदन के साथ वसूली की जाएगी, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-अ के तहत अनुमति के लिए आवदेन करेगा।

दो नगरपालिका मंडलों (मेड़तासिटी और सुमेरपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आवेदकों ने वसूलनीय प्रीमियम रूपये 9.80 लाख के विरूद्ध रूपये 0.21 लाख ही जमा करवाए। इस प्रकार, इन आवेदकों से रूपये 9.59 लाख कम वसूले गए थे।

नगरपालिका मंडल, मेड़तासिटी तथा सुमेरपुर ने अवगत कराया (मई 2016) कि वसूली कर ली जाएगी।

() अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारों की कम वसूली

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना (21 सितम्बर 2012) द्वारा कृषि भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटन हेतु प्रीमियम की दरें तय की गई। इस अधिसूचना के परन्तुक () प्रावधित करता है कि यदि भू-खण्ड 60 फीट या अधिक सड़क पर स्थित हो अथवा कार्नर भू-खण्ड हो या दोनो शर्तो में से कोई भी हो, प्रीमियम की गणना तय प्रीमियम दर में 10 प्रतिशत जोड़कर की जानी चाहिए।

चयनित तीन नगरपालिका मंडलों[18] के 18 प्रकरणों में यह पाया गया कि, भू-खण्ड या तो 60 फीट या अधिक सड़क पर स्थित थे अथवा कार्नर भू-खण्ड थे और नगरपालिका मंडलों ने आवश्यक प्रीमियम प्रभार की पूर्ण वसूली सुनिश्चित किए बिना आवेदकों को लीज डीड जारी की। इसके परिणामस्वरूप रूपये छः लाख (रूपये 50.64 लाख के विरूद्ध रूपये 44.64 लाख की वसूली) की कम वसूली हुई।

नगरपालिका मंडल, मेड़तासिटी, नाथद्वारा और सरदारशहर ने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (अप्रेल-जुलाई 2016) की वसूली कर ली जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल लाडनू :- स्थानीय पालिका द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन पर वांछित प्रीमियम और अन्य प्रभार नियमानुसार लिया जा रहा है, तथा बकाया प्रीमीयम व लीज आक्षेपनीय नहीं है।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा वर्ष 2015-16 में भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रीमीयम और अन्य प्रभार 0.74 लाख रूपये 2016-17 में 3.13 लाख व 2017-18 में 9.94 लाख रूपये की वसूली की गयी है तथा तथा चालू वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेगे। अतः आक्षेप निरस्त फरमावें।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार वर्ष 2015-16 में 39.04 लाख, 2016-17 में 36.86 लाख व 2017-18 में 74.39 लाख रूपये की वसूली की गयी तथा आवेदन के साथ प्रीमियम की कम वसुली की राशी हेतु संबंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा शीघ्र ही राशी वसूल कर ली जायेगी।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- समस्त प्रीमियम और प्रभार वसूल किये जा रहे है।

नगरपालिका मण्डल लाडनू - नगर पालिका लाडनू में आवेदन के साथ प्रीमियम की कम वसूली नहीं की गई है तथा बकाया प्रीमियम वसूली आक्षेपनीय है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रीमियम और अन्य प्रभार के संबंध में आक्षेपानुसार नगर पालिका मंडल चाकसू एवं फतेहपुर से पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

---

18 नगरपालिका मंडल: मेड़तासिटी, नाथद्वारा और सरदारशहर।

2. आवेदन के साथ प्रीमियम की कम वसूली के संबंध में आक्षेपानुसार नगर पालिका मंडल मेड़तासिटी तथा सुमेरपुर से पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारों की कम वसूली के संबंध में आक्षेपानुसार नगर पालिका मंडल मेड़तासिटी, नाथद्वारा तथा सरदारशहर से पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

समिति का अभिमत : समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डलों में भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रीमियम एवं अन्य प्रभारों की बकाया राशि की वसूली विभागीय स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी

अनुच्छेद 4.1.2.7 : नगरीय निर्धारण (लीज किराया)

राजस्थान नगरपालिका (भू-निस्तारण) अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) के अनुसार आवासीय भू-खण्ड के प्रकरण में आरक्षित दर का 2.50 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए पांच प्रतिशत नगरीय निर्धारण (लीज किराया) निर्धारित किया गया है।

तीन नगरपालिका मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि लीज किराया राशि रूपये 0.43 करोड[19] बकाया थी। आठ नगरपालिका मंडलों[20] ने 'शून्य' सूचना दी तथा शेष छः नगरपालिका मंडलों[21] ने उनके नगरपालिका क्षेत्र में लीज किराए की सूचना नहीं दी थी।

संबंधित नगरपालिका मंडलों ने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (अप्रेल/जून 2016) कि दोषियों को नोटिस जारी कर नगरीय निर्धारण की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

नगरपालिका मण्डल रामगंजमण्डी वर्ष 2014-15 तक लीज किराये की राशि 6.54 लाख बकाया थी। जिसमें से पालिका द्वारा 1.30 लाख राशि की वसूली कर ली गई है। शेष राशि भी संबंधित भूखण्ड मालिकों से शीघ्र जमा करायी जावेगी।

19 नगरपालिका मंडल: देवली (190 प्रकरण): रूपये 0.20 करोड़, माउन्ट आबू (19 प्रकरण): रूपये 0.17 करोड़ और सूरतगढ (69 प्रकरण): रूपये 0.06 करोड़।

20 नगरपालिका मंडल: चाकसू, फतेहपुर, सुमेरपुर, लाडनूं, नाथद्वारा, सागवाड़ा, सांचोर और सरदारशहर।

21 नगरपालिका मंडल: बयाना, भीनमाल, छबड़ा, मालपुरा, मेड़तासिटी और रामगंजमण्डी।

नगरपालिका मण्डल लाडनू स्थानीय पालिका के पास किराये योग्य सम्पति नहीं होने के कारण किराया/लीज किराया की सूचना शून्य है।

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर आक्षेपानुसार पट्टा भूमि वार्षिक प्रीमियम (लीज) हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 42.79 लाख , 2016-17 में 27.03 व 2016-17 में 72.94 लाख रूपये की वसूली की गयी तथा बकाया लीज राशि हेतु पालिका द्वारा नोटिस जारी कर दिये है शीघ्र ही राशि वसूल कर ली जायेगी।

नगरपालिका मण्डल सरदारशहर उक्त आक्षेप के सबध में निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2001 के बाद कृषि भूमि नियमन प्रकरण में 8 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि एवं खांचा भूमि नियमन कब्जा नियमन, अतिक्रमण नियमन प्रकरणों में 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा करवायी जाती है। इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2001 से आज दिनांक तक प्राप्त नियमन प्रकरणो में एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाती है अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि तक इस कार्यालय द्वारा 297.44 लाख रूपये की लीज राशि वसूल की है अकेक्षण अवधि के दौरान लीज बकाया का कोई प्रकरण नही है।

नगरपालिका सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर द्वारा एकमुश्त लीज राशि वसूल की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. नगरपालिका मंडल देवली, माउन्ट आबू तथा सूरतगढ द्वारा आक्षेपानुसार लीज किराए की राशि नहीं वसूलने तथा वसूली की वर्तमान प्रगति/प्रयासों से संबंधित क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. छः नगरपालिका मंडलों बयाना, भीनमाल, छबड़ा, मालपुरा, मेड़तासिटी और रामगंजमण्डी द्वारा तत्समय लेखापरीक्षा को उनके नगरपालिका क्षेत्र में लीज किराए की सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अवगत करावें तथा साथ ही वर्तमान समय तक की बकाया लीज राशि की सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगरपालिका मंडल सुमेरपुर द्वारा तत्समय लेखापरीक्षा को शून्य सूचना उपलब्ध कराने के कारणों से अवगत करावें तथा वर्तमान समय तक की बकाया लीज राशि की पूर्ण सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैं।

4. नगर पालिका मंडल लाडनूं के संबंध में प्रत्युतर लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुरूप नहीं है प्रकरण में भूमि का बेचान करने तथा भू उपयोग परिवर्तन करने पर वर्तमान समय तक बकाया लीज राशि के विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. क्या नगर पालिका मंडल चाकसू, फतेहपुर, नाथद्वारा तथा सागवाड़ा में वर्तमान समय तक कोई लीज राशि बकाया नहीं है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल देवली :- संबंधित को राशि जमा कराने बाबत नोटिस जारी कर दिये गये है। राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी।

नगरपालिका मंडल मालपुरा :- संबंधित को राशि जमा कराने बाबत् नोटिस जारी कर दिये गये है। राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी।

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर द्वारा एकमुश्त लीज राशि वसूल की जा रही है।

नगरपालिका मंडल छबडा :- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-16 में नगरपालिका मंडल छबडा द्वारा लीज किराये की सूचना शून्य बताया गया है पालिका द्वारा लीज किराया संगहृण हेतु मांग पंजिका संधारित की जा रही है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक कुल राशि रू. 154.92 लाख की लीज वसूली की जा चुकी हैं।

समिति की सिफारिश :

(10) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपानुसार नगर पालिका मंडल देवली, माउन्ट आबू तथा सूरतगढ के प्रकरणों में बकाया लीज किराए की राशि की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.8 : बुनियादी सेवाओं के लिए शहरी गरीब सुविधा कोष

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय समूह योजनाओं के लाभ हेतु शहरी गरीब के लिए अफोर्डबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के लिए आश्रय फण्ड के निर्माण के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग ने निर्देश जारी (मई 2010) किए कि नगरपालिका मंडल द्वारा किसी भी भू-उपयोग परिवर्तन करने की अनुमति पर रूपये 25 प्रति वर्गमीटर की दर से बीएसयूपी प्रभार उद्ग्रहित एवं प्राप्त किए जाने चाहिए।

पांच नगरपालिका मंडलों के भू-परिवर्तन के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नगरपालिका मंडलों द्वारा बीएसयूपी प्रभार की राशि रूपये 21.31 लाख[22] वसूल नहीं की गई थी। चार नगरपालिका मंडलों (भीनमाल, फतेहपुर, माउंट आबू और सांचोर) ने उनसे सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में बीएसयूपी आश्रय फण्ड से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए। शेष आठ नगरपालिका मंडलों में इस प्रकार के प्रकरण नहीं पाए गए।

संबंधित नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया (मई/जून 2016) कि वसूली कर ली जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मंडल सांचोर - आक्षेपानुसार वर्तमान में नगरपालिका सांचौर द्वारा नियमित वसूली की जा रही है। शेष वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल, लाडनूं रामगंजमण्डी, सरदारशहर, सुमेरपुर तथा सूरतगढ़ द्वारा बीएसयूपी प्रभार की राशि वसूल नहीं करने के कारणों तथा वसूली की वर्तमान स्थिति/प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगरपालिका मंडलों भीनमाल, फतेहपुर, माउंट आबू और सांचोर द्वारा लेखापरीक्षा को तत्समय बीएसयूपी आश्रय फण्ड से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अन्तिम क्रियान्विति में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

3. क्या वर्तमान समय तक नगर पालिका मंडल भीनमाल, फतेहपुर, तथा माउंट आबू में बीएसयूपी आश्रय फण्ड की कोई राशि बकाया नहीं है अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. अनुपालनानुसार नगरपालिका मंडल सांचोर द्वारा बीएसयूपी प्रभार की शेष राशि की वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

]

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

[22] नगरपालिका मंडल, लाडनूं (रूपये 0.23 लाख $ रूपये 0.25 लाख): रूपये 0.48 लाख, रामगंजमण्डी: रूपये 2.23 लाख, सरदारशहर: रूपये 11.70 लाख, सुमेरपुर: रूपये 4.00 लाख तथा सूरतगढ: रूपये 2.90 लाख।

नगरपालिका मंडल सांचौर - आक्षेपानुसार वर्तमान में नगरपालिका सांचौर द्वारा नियमित वसूली की जा रही है। शेष वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जा रही है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(11) समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मंडल लाडनूं, सरदारशहर, सुमेरपुर, रामगंजमंडी तथा सूरतगढ़ में बीएसयूपी प्रभार की आक्षेपित राशि की वसूली की प्रगति से एवं शेष नगरपालिकाओं (भीनमाल, फतेहपुर, माउंट आबू एवं सांचौर) में बीएसयूपी प्रभार की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.9 : नगरपालिका सम्पत्तियों से राजस्व

नगरपालिका मंडलों की सम्पत्तियों से राजस्व में दुकानों, भवनों, विश्राम गृह आदि से प्राप्त किराया शामिल है। नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आठ नगरपालिका मंडलों ने दुकानों, भवनों आदि 348 किराएदारों से कुल रूपये पांच करोड़ किराया वसूल नहीं किया जिसे तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5

(रूपये लाख में)

गरपालिका मंडल का नाम	दुकानों/भवनों की कुल संख्या	दुकानों/भवनों से वसूली योग्य किराया	1 अप्रैल 2011 तक बकाया किराया	2011-16 के दौरान मांग	कुल वसूलनीय किराया	वसूल किराया	वसूली योग्य किराया
छबड़ा	107	46	66.64	182.06	248.70	37.69	211.01
माउन्ट आबू	146	136	183.83	26.75[23]	210.58	1.29	209.29
मेड़तासिटी	40	38	5.95	44.38	50.33	4.66	45.67
नाथद्वारा	62	22	-*	5.91	5.91	3.82	2.09
रामगंजमण्डी	59	59	12.57	8.78	21.35	6.26	15.09
सागवाड़ा	101	1	0	2.38	2.38	शुन्य	2.38
सांचोर	17	17	13.54	4.39	17.93	4.92	13.01
सूरतगढ	29	29	1.03	0.19	1.22	शुन्य	1.22
कुल योग	**561**	**348**	**283.56**	**274.84**	**558.40**	**58.64**	**499.76**

** नगरपालिका मंडल ने बकाया राशि का प्रारम्भिक शेष उपलब्ध नहीं कराया।*

[23] अपूर्ण पंजिका होने के कारण 2015-16 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई

ध्यान मे लाए जाने पर, नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया कि वसूली कर ली जाएगी। तथ्य यह है कि संबंधित नगरपालिका मंडलों द्वारा वसूली के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की गई थी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.04 लाख 2016-17 में 0.69 लाख व 2017-18 में 3.09 लाख रूपये की वसूली की गयी है तथा शेष बकाया किराया वसूली हेतु संबंधित को नोटिस जारी कर दिया है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- नगरपालिका सांचौर द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान वसूली योग्य राशि के विपरीत वर्ष 2016-17 में 9.69 एवं 2017-18 में 8.10 कुल रू. 17.79 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष की वसूली मांगपत्र के अनुसार नियमित रूप से की जा रही है।

नगरपालिका मण्डल छबडा :- नगर पालिका द्वारा 106 दुकानें किराये पर दी गई थी, जिसकी प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं. 4.1.2.9 में अंकित तालिका 4.5 में छबडा की वसूली योग्य राशि 211.01 लाख अंकित की गई है जो गलत है लेखा परीक्षा ज्ञापन-12 दि0 24.06.2016 में 31 मार्च 2016 को 106 दुकानों की 23.84 लाख बकाया थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में 10,84,242/- वसूल की जा चुकी है। शेष राशि 9,82,160.00 की वसूली हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मण्डल सागवाड़ा (डूँगरपुर) :- आक्षेप मे निवेदन है कि उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन होने से वसूली नहीं हो पायी है।

नगरपालिका मण्डल, मेड़ता सिटी (नागौर) :- आक्षेप के संबंध में निवेदन है, कि नगरपालिका मेड़ता सिटी में स्थित दुकान किराये की वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक कुल 45.67/- लाख रूपये बकाया चल रहे हैं, जिसमें से वर्ष 2018-19 तक राशि रूपये 7.16/- लाख की वसूली की गई है, स्थानीय दुकान किरायेदारों द्वारा किराया बढोतरी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर करवाई गई थी, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रथम संविदा करार से किराये की राशि वसूल करने का निर्णय पारित किया गया है, माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार दुकानदारों से प्रथम संविदा करार से किराये की राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल माउण्ट आबू, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी तथा सूरतगढ़ द्वारा किराएदारों से किराये की वसूली नहीं करने के कारणों से अवगत करावें तथा वसूली की वर्तमान स्थिति/प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगरपालिका मंडल सांचौर द्वारा शेष आक्षेपित राशि की वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगरपालिका मंडल छबड़ा में तत्समय बकाया की वसूली नहीं करने के क्या कारण रहे? तथा वर्तमान में शेष बकाया की वसूली कर अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगरपालिका मंडल सागवाड़ा में प्रकरण की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सुनवाई की वर्तमान प्रगति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. नगरपालिका मंडल मेड़ता सिटी में आक्षेपित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार दुकानदारों से प्रथम संवीदा करार से किराए की राशि वसूलने की कार्यवाही पूर्ण कर अवगत करावें तथा इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल सांचौर :- नगरपालिका सांचौर द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान वसूली योग्य राशि के विपरीत वर्ष 2016-17 में 9.69 एवं 2017-18 में 8.10 कुल 17.79 लाख रू. की वसूली की जा चुकी है। शेष की वसूली मांग पत्र के अनुसार नियमित रूप से की जा रही है।

नगरपालिका मंडल छबडा :- नगर पालिका द्वारा 106 दुकानें किराये पर दी गई थी, जिसकी प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं. 4.1.2.9 में अंकित तालिका 4.5 में छबडा की वसूली योग्य राशि 211.01 लाख अंकित की गई है जो गलत है लेखापरीक्षा ज्ञापन 12 दिनांक 24.06.2016 में 31.03.2016 को 106 दुकानों की 23.84 लाख बकाया थी। जिसमें से वितीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में जनवरी 2022 तक रू. 13,42,443/- वसूल की जा चुकी है शेष राशि की वसूली के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। बकायादारें द्वारा राशि जमा नही करवाये जाने पर दुकाने सीज कर LRएक्ट के अन्तर्गत वसूली हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

समिति की सिफारिश :

(12) समिति सिफारिश करती है कि बकाया किराये राशि की शीघ्र वसूली से तथा नगर पालिका छबडा द्वारा बकायादारों के विरुद्ध LR एक्ट के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

कर राजस्व का उद्ग्रहण, मांग एवं संग्रहण

कर राजस्व में मुख्यतया भवनों पर कर (यथा नगरीय विकास कर, गृहकर), यात्री/वाहन कर आदि शामिल है।

अनुच्छेद 4.1.2.10 : लक्ष्य एवं उपलब्धि

अवधि 2011-12 से 2015-16 के लिए राज्य के साथ-साथ चयनित नगरपालिका मंडल के कर राजस्व के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति तालिका 4.6 में दर्शाई है:

तालिका 4.6

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य स्तर*				नमूना जांच इकाईयां**		
	नगरपालिका मंडलों की संख्या***	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी (प्रतिशतता)	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी (प्रतिशतता)
2011-12	149/166	उपलब्ध नहीं	35.45	उपलब्ध नहीं	5.97	3.19	2.78(46.57)
2012-13	149/149	उपलब्ध नहीं	88.16	उपलब्ध नहीं	6.53	3.50	3.03(46.40)
2013-14	130/143	79.08	70.75	8.33 (10.53)	6.54	3.18	3.36(51.38)
2014-15	131/147	129.55	35.36	94.19(72.71)	7.15	3.82	3.33(46.57)
2015-16	96/147	122.25	45.44	76.81(62.83)	7.52	4.38	3.14(41.76)

* निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कर राजस्व के लिए समेकित आकडें उपलब्ध करवाये गए।
** आंकडा गृहकर/नगरीय विकास कर, यात्री कर, स्वास्थ्य कर और व्यवसायी कर से आय दर्शाता है।
*** उपलब्ध कराई गई सूचना/कुल नगरपालिका मंडल की संख्या।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पास वर्ष 2011-16 के लिए सभी नगरपालिका मंडलों के कर राजस्व के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी, जिसके अभाव में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को सूचना उपलब्ध करवाई गई नगरपालिका मंडलों तक ही सीमित किया गया है। यह भी पाया गया कि लक्ष्यों को तय करने का औचित्य उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-16 के दौरान राज्य स्तर पर कर राजस्व के संग्रहण में लक्ष्यों के विरूद्ध 10.53 प्रतिशत से 72.71 प्रतिशत (औसतन 48.69 प्रतिशत) के मध्य कमी विस्तारित थी, जबकि नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों में इसी अवधि के दौरान यह 41.76 प्रतिशत से 51.38 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थी।

विविध कर घटकों से संबंधित अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मंडल देवली :- कर राजस्व की बकाया मांग राशि की वसूली हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं। सम्बन्धितों को राशि जमा कराने हेतु नोटिस भी जारी किये गये है। कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण अपेक्षित कार्यवाही नही हो पाती है।

नगरपालिका मंडल लाडनू :- लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त किये जाने का प्रयास जारी है।

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा बजट अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसकी प्राप्त हेतु ठोस कार्यवाही की जाएगी जिससे पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सके।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पास नगर पालिका मंडलों के कर राजस्व के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की पूर्ण सूचना तथा लक्ष्यों को तय करने के औचित्य उपलब्ध नहीं होने के कारणों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. आक्षेपानुसार वर्ष 2013-16 के दौरान राज्य स्तर पर एवं नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों में कर राजस्व के संग्रहण में लक्ष्यों के विरूद्ध अत्यधिक कमी होने के कारणों से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. अनुपालनानुसार नगरपालिका देवली, लाडनू तथा सांचौर में कर राजस्व की बकाया मांग राशि की वसूली के लिए किये जा रहे प्रयासों तथा परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. आक्षेपानुसार अन्य नगरपालिका मंडलों के संबंध में भी क्रियान्विति अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल मालपुरा :- कर राजस्व की बकाया मांग राशि की वसूली हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है। संबंधितों को राशि जमा कराने हेतु नोटिस भी जारी किये गये है।

नगरपालिका मंडल देवली :- कर राजस्व की बकाया मांग राशि की वसूली हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है। संबंधितों को राशि जमा कराने हेतु नोटिस भी जारी किये गये है।

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा बजट अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसकी प्राप्त हेतु ठोस कार्यवाही की जाएगी जिससे पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सके।

समिति का अभिमत: समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि सभी नगरपालिका मंडलों में कर राजस्व के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की सूचनाओं का संधारण तथा नगरपालिका मंडलों द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 4.1.2.11 : गृहकर

राजस्थान नगरपालिका (गृहकर) नियम, 2003 के अनुसार, गृहकर 50 वर्गगज से अधिक क्षेत्र वाले भूमि/भवन के क्षेत्रफल के आधार पर वसूलनीय था। गृह कर 24 फरवरी 2007 से समाप्त कर दिया गया लेकिन नमूना जांच की गयी 11 नगरपालिका मंडलों[24] में अप्रैल 2011 को रूपये 4.68 करोड़ गृहकर बकाया था। गृहकर की 31 मार्च 2016 को वर्ष-वार वसूली एवं बकाया का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है:

तालिका 4.7

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल बकाया मांग	4.68	4.54	4.42	4.39	4.32
संग्रहण (प्रतिशत)	0.14(2.99)	0.12(2.64)	0.03(0.68)	0.07(1.59)	0.16(3.70)
शेष	**4.54**	**4.42**	**4.39**	**4.32**	**4.16**

स्त्रोत: नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि नगरपालिका मंडलों द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान बकाया गृहकर रूपये 4.68 करोड़ के विरूद्ध केवल रूपये 0.52 करोड़ (केवल 11.11 प्रतिशत) की ही वसूली की जा

[24] नगरपालिका मंडल: भीनमाल, छबड़ा, चाकसू, देवली, फतेहपुर, लाडनूं, मालपुरा, मेड़तासिटी, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ

सकी और रूपये 4.16 करोड़ (88.89 प्रतिशत) वसूली हेतु लम्बित थे। शेष छः नगरपालिका मंडलों[25] के पास गृहकर की बकाया एवं वसूली का विवरण नहीं था।

सरदारशहर के अतिरिक्त नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया (अप्रैल-जूलाई 2016) कि गृहकर की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका मंडल, सरदारशहर ने कम वसूली का कारण स्टाफ की कमी को जिम्मेदार बताया (मई 2016)।

तथापि, तथ्य यह है कि नमूना जांच की गई इकाईयों ने गृहकर की बकाया वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मंडल देवली :- इस मण्डल की वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक स्टॉफ की कमी के कारण अपेक्षित वसूली नही हो पाई है। शेष राशि वसूल करने हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मंडल रामगंजमण्डी :- राज्य सरकार ने 01.04.2017 से गृहकर समाप्त कर दिया गया है। पालिका द्वारा 31.03.2017 तक के गृहकर की बकाया राशि वसूल कर ली गई है। अब प्रति वर्ष गृहकर में निम्न राशि वसूल की गई है।

1. 2013-14 - 2.00 लाख
2. 2014-15 - 3.39 लाख
3. 2015-16 - 3.30 लाख
4. 2016-17 - 2.42 लाख
5. 2017-18 - 0.84 लाख

पालिका द्वारा सम्पति विक्रय करने पर गृहकर की राशि जमा करायी जाती है।

नगरपालिका मंडल लाडनू :- नगर पालिका लाडनूँ द्वारा बकाया गृहकर वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जा चुके है तथा वर्ष 2019-20 गृहकर के रूप में राशि रू. 1,44,979/- वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में बकाया वसूली के प्रयास जारी हैं।

नगरपालिका मंडल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में गृहकर वसूली 1.72 लाख 2016-17 में 1.37 लाख व 2017-18 में 0.99 लाख की वसूली की गयी तथा आगामी वर्षों में समय-समय पर नोटिस जारी कर व राज्य सरकार की छूट अनुसार शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

25 नगरपालिका मंडल: बयाना, माउन्ट आबू, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सागवाडा तथा सांचोर।

नगरपालिका मंडल सरदारशहर :- आक्षेप अनुसार इस कार्यालय द्वारा बकाया गृहकर की कम वसूली की गयी है, जिसके सन्दर्भ निवेदन है कि इस कार्यालय में वर्ष 2006 में गृहकर के नियमों मे आने वाले भूमि/भवनों का सर्वे किया गया था। सर्वे उपरान्त सभी भूमि/भवनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर बकाया गृहकर जमा करवाने जाने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु आमजन एवं संगठनों द्वारा शहर में गृहकर लागू करने का विरोध किया गया गृहकर की कम वसूली का यह एक मुख्य कारण रहा। आमजन द्वारा गृहकर जमा करवाये जाने का विरोध किया गया। इसके अलावा इस कार्यालय में राजस्व संग्रहण के मुख्य पद जैसे राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक एवं अन्य महत्वपूर्ण पद काफी वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं, जिसके कारण गृहकर वसूली की निरन्तर रूप से प्रभावी मॉनिटर का अभाव रहा। इस कार्यालय द्वारा सर्वे अनुसार वर्ष 2015-16 में पुनः बकाया गृहकर के नोटिस जारी किये गये तथा शहर की जनता में राज्य सरकार द्वारा दी गयी छूट का लाभ उठाते बकाया गृहकर जमा करवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया, जिसका आमजन पर बहतर प्रभाव पड़ा वर्ष 2015 से 31.03.2018 तक 13.60 लाख रूपये का बकाया गृहकर वसूल किया गया।

नगरपालिका मंडल छबडा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 13 की पालना में 31 मार्च 2016 तक बकाया गृह कर राशि 0.78 लाख में से 4,178.00 वसूल किये गये हैं। शेष बकाया गृह कर की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मंडल सागवाड़ा (डूँगरपुर) :- आक्षेप में निवेदन है राजस्थान नगर पालिका (गृह कर नियम) 2003 के अनुसार गृहकर 50 वर्ग गज से अधिक क्षैत्र वाले भूमि भवन के क्षैत्रफल के आधार पर वसूल किया जाना था। तत्कालीन समय में नगरपालिका के पास गृह कर कि बकाया एंव वसूली संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं था, जिससे कि उपरोक्त कर आरोपित नहीं किया जा सका एवं 24 फरवरी 2007 से गृहकर सामास कर दिया गया। अतः आक्षेप निरस्त कराने का श्रम करावें।

नगरपालिका मण्डल, मेड़ता सिटी (नागौर) :- आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में गृहकर को समास कर दिया गया वर्ष 2007 में पालिका में राशि रूपये 30.37 लाख बकाया थे, जिसमें से वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 56,339/-, वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 1,64,084/-, छूट दो वर्षो की 1,60,660/-रूपये, वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 51,267/- एवं वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 21,267/- कुल राशि रूपये 4,53,612/- की वसूली की जा चुकी है। शेष बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. अनुपालनानुसार नगरपालिका मण्डल देवली, लाडनू, सुमेरपुर, सरदारशहर, छबड़ा तथा मेडतासिटी में गृहकर की बकाया राशि की वसूली कर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. आक्षेपानुसार नगरपालिका मण्डल भीनमाल, चाकसू, फतेहपुर, मालपुरा और सूरतगढ़ में तत्समय गृहकर की बकाया राशि की वसूली नहीं करने के कारणों तथा वसूली की वर्तमान प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगरपालिका मण्डल रामगंजमण्डी में लेखापरीक्षा के समय गृहकर की बकाया एवं वसूली का विवरण नहीं होने के कारणों/ औचित्य से अवगत करावें तथा आक्षेप एवं अनुपालना के अनुसार गृहकर की बकाया एवं वसूली के पूर्ण विवरण से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. अनुपालानुसार नगरपालिका मण्डल सागवाड़ा, बयाना, माउन्ट आबू, नाथद्वारा तथा सांचोर के पास तत्समय गृहकर की बकाया एवं वसूली का विवरण नहीं होने के कारणों/औचित्य से अवगत करावें तथा वर्तमान में उक्त विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल छबडा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 13 की पालना में 31 मार्च 2016 तक बकाया गृह कर राशि 0.78 लाख में से वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल 47,178/- रूपये वसूल किये गये हैं। शेष बकाया गृह कर की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

समिति की सिफारिश :

(13) समिति सिफारिश करती है कि बकाया गृह कर की वसूली कर तथा वसूली हेतु किये गये प्रयासों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.12 : नगरीय विकास कर

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) (आरएमयूडीटी) नियम, 2007[26] के नियम 4 के अनुसार, नगरीय विकास कर की वार्ड-वार/वृत्त-वार/क्षेत्र-वार निर्धारण सूची बनानी चाहिए तथा

---

[26] राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2007 अधिसूचना 29 अगस्त 2007 के द्वारा प्रभावी हुआ।

नगरपालिका मंडल द्वारा एक लोक सूचना जारी की जानी चाहिए। अग्रेतर, नगरीय विकास कर की स्वयं निर्धारण विवरणी निर्धारक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी तथा निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत स्वयं निर्धारण विवरणी के पांच प्रतिशत प्रकरणों की नगरपालिका मंडल के कार्यकारी अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वयं निर्धारण विवरणी की शुद्धता की जांच हेतु संवीक्षा की जाएगी।

यह पाया गया कि 14 नगरपालिका मंडलों[27] में 6.89 लाख से अधिक की जनसंख्या होने के उपरांत भी, विगत पाचं वर्षो अर्थात 2011-16 के दौरान केवल 98 निर्धारिती जोड़े गए थे। चयनित 17 नगरपालिका मंडलों में से 14 नगरपालिका मंडलों की अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान नगरीय विकास कर की मांग, वसूली एवं शेष का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
करदाताओं की संख्या*	8,968	8,983	9,003	9,018	9,066	
बकाया नगरीय विकास कर	2.58	3.49	4.33	5.37	6.01	
वर्ष के दौरान की गई मांग	1.52	1.39	1.53	1.63	1.86	7.93
कुल मांग	4.10	4.88	5.86	7.00	7.87	
संग्रहण (प्रतिशत)	0.61 (14.88)	0.55 (11.27)	0.49 (8-36)	0.99 (14.14)	1.40 (17.79)	4.04 (38.44)
शेष	**3.49**	**4.33**	5.37	**6.01**	**6.47**	

* केवल 11 नगरपालिका मंडलों की स्थिति दर्शाता है। तीन नगरपालिका मंडलों (माउन्ट आबू, सांचोर और सरदारशहर) ने निर्धारकों की संख्या 'शून्य' अवगत कराई और तीन नगरपालिका मंडलों (छबड़ा, मालपुरा और नाथद्वारा) ने 'शून्य' सूचना दी थी।

स्रोतः नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इन 14 नगरपालिका मंडलों द्वारा नगरीय विकास कर की वसूलनीय राशि रूपये 10.51 करोड़ के विरूद्ध केवल रूपये 4.04 करोड़ (मांग का 38.44 प्रतिशत) की ही वसूली की गई, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 तक रूपये 6.47 करोड़ की कम वसूली हुई।

यह भी देखा गया कि नगरपालिका मंडल, चाकसू और मेड़तासिटी के अलावा नगरपालिका मंडलों में सम्पत्तियों का बकाया नगरीय विकास कर (31 मार्च 2016) का विवरण मय मांग, संग्रहण तथा शेष पंजिकाओं का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। नमूना जांच की गई

[27] नगरपालिका मंडलः बयाना, भीनमाल, चाकसू, देवली, फतेहपुर, लाडनूं, मेड़तासिटी, माउन्ट आबू, रामगंजमण्डी, सागवाड़ा, सांचोर, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ़।

नगरपालिका मंडलों द्वारा अवधि 2011-16 के दौरान नगरीय विकास कर के उद्ग्रहण के लिए निर्धारिती की पहचान हेतु कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया।

11 नगरपालिका मंडलों[28] ने अवगत कराया (अप्रैल-जुलाई 2016) कि नगरीय विकास कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू, सागवाड़ा और सरदारशहर ने तथ्य स्वीकारते हुए कम वसूली का कारण स्टाफ की कमी को बताया।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मंडल देवली :- इस मण्डल की वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक स्टाफ की कमी के कारण अपेक्षित वसूली नहीं हो पाई है। मांग, संग्रहण तथा शेष पंजिकाओं का संधारण उचित तरीके से वर्तमान में किया जा रहा है। शेष राशि वसूल करने हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका रामगंजमण्डी :- नगरीय विकास कर में 31.03.2015 तक 21.17 लाख की राशि बकाया थी, जिसमें से पालिका द्वारा निम्न राशि जमा करायी गयी है:-

1. 2015-16 - 3.45 लाख
2. 2016-17 - 12.62 लाख
3. 2017-18 - 3.30 लाख

योग **19.37 लाख**

शेष नगरीय कर की 1.8 लाख राशि भी जमा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। संवेदित फर्म/मकान मालिकों को सूचना पत्र जारी कर दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष में बकाया राशि वसूल कर ली जावेगी।

नगरपालिका मंडल लाडनूं :- स्थानीय पालिका क्षेत्र में बकाया वसूली हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा गत वर्ष 2016-17 में 10.43 लाख रूपये एवं वर्ष 2019-20 में 6.78 लाख रूपये की वूसली की गई है। बकाया वसूली हेतु प्रयास जारी है।

नगरपालिका मंडल सुमेरपुर :- आक्षेपानुसार पालिका द्वारा वर्ष 2015-16 में 3.68 लाख 2016-17 में 4.43 लाख व 2017-18 में 8.59 लाख रूपये की वसूली की गयी है तथा संबंधित शाखा प्रभारी को पाबन्द कर दिया गया है तथा वसूली की कार्यवाही जारी है।

नगरपालिका मंडल सरदारशहर :- आक्षेप अनुसार इस कार्यालय द्वारा नगरीय विकास कर सर्वे नहीं किया गया है। इस संबध में निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में गृहकर निर्धारण के दौरान किये

---

[28] नगरपालिका मंडल: बयाना, भीनमाल, चाकसू, देवली, फतेहपुर, लाडनूं, मेड़तासिटी, रामगंजमण्डी, सांचोर, सुमेरपुर तथा सूरतगढ़।

गये सर्वे को नगरीय विकास कर लागू किये जाने के काम में लिया गया था। गृहकर सर्वे सूची में से 300 वर्गगज से अधिक आवासीय भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र एवं 100 वर्गगज से अधिक व्यवसाय भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का वर्गीकरण कर भूस्वामियों को नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये थे। शहर में नगरीय विकास कर लागू करने का आमजन एवं स्थानीय संस्थाओ द्वारा शुरूवाती वर्षों में विरोध किये जाने के कारण नगरीय विकास कर की वसूली प्रभावित हुई साथ ही राजस्व सग्रहण से संबंधित सभी पद रिक्त होने के कारण नगरीय विकास कर की वसूली नहीं होने का मुख्य कारण रहा है। इसके उपरान्त भी इस कार्यालय द्वारा नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने हेतु आमजन को प्रेरित किया गया। वर्ष 2015 से 31.03.2018 से राशि 6.25 लाख रू का नगरीय विकास कर वसूल किया गया। वर्तमान में भी नगरीय विकास कर वसूल किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर में सर्वे कार्य न होने एवं कर निर्धारण कार्मिक उपलब्ध न होने से लक्ष्य निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आक्षेप की पालना मे पालिका प्रशासन द्वारा उक्त कमी-पूर्ति कर ठोस कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से अवगत करवा दिया जायेगा।

नगरपालिका मंडल सागवाड़ा (डूंगरपुर) :- आक्षेप में निवेदन है कि पालिका द्वारा नगरीय विकास कर की नियमानुसार वसूली कि जा रही है व संबंधितों को वसूली नोटिस जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नगरीय विकास कर के उद्ग्रहण के लिए निर्धारिती की पहचान हेतु सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। नगरीय विकास कर की शेष वसूली हो जाने पर विभाग को अवगत करा दिया जाएगा।

नगरपालिका मण्डल, मेड़ता सिटी (नागौर) :- आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि नगरीय विकास कर की वर्ष 2018-19 तक कुल बकाया 1,09,87,452/- रूपये थे, जिसमें से वर्ष 2018-19 में 38,54,301/- रूपये की वसूली की गई है, शेष बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार 14 नगरपालिका मंडलों में 6.89 लाख से अधिक की जनसंख्या होने के उपरांत भी पाचं वर्षो के दौरान केवल 98 निर्धारिती ही जोडने के स्पष्ट कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडलों में सम्पत्तियों का बकाया नगरीय विकास कर का विवरण मय मांग, संग्रहण तथा शेष पंजिकाओं का संधारण उचित तरीके से नहीं करने के स्पष्ट कारणों तथा औचित्यता से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगरपालिका मंडलों देवली, रामगंजमण्डी, लाडनू, सुमेरपुर, सरदारशहर, सांचोर, सागवाड़ा तथा मेड़ता सिटी में आक्षेपानुसार बकाया नगरीय कर की पूर्ण वसूली कर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगरपालिका मंडलों में नगरीय विकास कर हेतू सर्वे कार्य की वर्तमान प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. नगरपालिका मंडलों बयाना, भीनमाल, चाकसू, फतेहपुर, माउन्ट आबू और सूरतगढ से आक्षेपानुसार क्रियान्विति अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल मालपुरा:- नगरीय विकास कर की वसूली के सत्तत प्रयास किये जा रहे है। स्टाफ की कमी के कारण अपेक्षित वसूली नही हो पाई है। मांग, संग्रहण तथा शेष पंजिकाओं का संधारण उचित तरीके से वर्तमान में किया जा रहा है। शेष राशि वसूल करने हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है।

नगरपालिका मंडल सांचौर:- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर में सर्वे कार्य न होने एवं कर निर्धारण कार्मिक उपलब्ध न होने से लक्ष्य निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आक्षेप की पालना मे पालिका प्रशासन द्वारा उक्त कमी-पूर्ति कर ठोस कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से अवगत करवा दिया जायेगा।

समिति की सिफारिश :

(14) समिति सिफारिश करती है कि **आक्षेपित नगरपालिका मंडलों के नगरीय विकास कर की कम वसूली के कारणों तथा शेष राशि की वसूली हेतु किये गये प्रयासों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।**

अनुच्छेद 4.1.2.13 : यात्री/वाहन कर

कुछ नगरपालिका मंडलों के क्षेत्र में यात्री/वाहन के प्रवेश पर यात्री/वाहन कर लागू था। नमूना जांच की गई इकाईयों में यह केवल नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू तथा नाथद्वारा में लागू था।

नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अवधि 2013-14 से 2014-15 के दौरान यात्री/वाहन कर की वसूली के लिए दो निविदा-दाताओं को अनुबन्ध इस शर्त

सहित प्रदान किया गया कि निविदा स्वीकृत होने के दिन निविदा राशि का 25 प्रतिशत तथा शेष 75 प्रतिशत तीन समान किश्तों में जमा करवाया जाएगा।

अवधि 2013-15 के लिए निविदा-दाताओं से रूपये 8.58 लाख की राशि कम वसूल की गई थी जिसका विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है:

तालिका 4.9

(रूपये लाख में)

वर्ष	संवेदक का नाम	जमा योग्य राशि	जमा कराई गई राशि	कम वसूली
2013-14	मैसर्स संजय गुर्जर	66.67	63.20	3.47
2014-15	मैसर्स जितेन्द्र पाल सिंह	86.59	81.48	5.11
;ksx		153.26	**144.68**	**8.58**

स्रोत: नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई गई।

नगरपालिका मंडल, नाथद्वारा ने तथ्य स्वीकारते हुए अवगत कराया (जून 2016) कि वसूली कर ली जाएगी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

अनुपालना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार नगर पालिका मण्डल नाथद्वारा में यात्री/वाहन कर की बकाया राशि वसूल कर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

समिति की सिफारिश :

(15) **नगरपालिका मण्डल नाथद्वारा में सम्बंधित संवेदको से यात्री/वाहन कर की बकाया राशि वसूली हेतु किये गए प्रयासों से एवं वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।**

वित्तीय प्रबंधन

अनुच्छेद 4.1.2.14 : लेखांकन प्रणाली

राजस्थान सरकार ने नगरपालिका मंडलों के लेखे उपार्जन आधार पर तैयार किए जाने के निर्देश (दिसम्बर 2004) दिए और तद्नुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 91 के अन्तर्गत नगरपालिका मंडल हेतु उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए। अग्रेतर, राजस्थान नगरपालिका लेखांकन मैन्युअल मे शहरी स्थानीय निकायों के लिए आय एवं व्यय के लेखांकन वर्गीकरण के चार्ट जारी (अप्रेल 2010) किए गए।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत कराया (नवम्बर 2016) कि 45 नगरपालिका मंडलों में उपार्जन आधार पर लेखे संधारित किए जा रहे थे, जबकि मुख्य लेखा अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग ने अवगत कराया (जून 2016) कि राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों में उपार्जन आधार पर लेखे संधारित हो रहे थे। तथापि, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने अवगत कराया (जून 2016) कि उपार्जन आधारित लेखे केवल दो नगरपालिका मंडलों[29] द्वारा ही तैयार किए जा रहे थे। नमूना जांच की गई सभी 17 नगरपालिका मंडलों में पाया गया कि मार्च 2016 तक उपार्जन आधारित वार्षिक लेखे संधारित किए जाने का पालन नहीं हो रहा था।

अग्रेतर, नगरपालिका मंडलों में मदों का वर्गीकरण एकरूपता से नहीं होने के परिणामस्वरूप विभिन्न मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत आंकडो का त्रुटिपूर्ण चित्रण रहा। उदाहरण के लिए, मदें जो कि शीर्ष 'शुल्क और उपयोगकर्ता प्रभार (140)' और 'विक्रय और किराया प्रभार (150)' मे वर्गीकृत होनी चाहिए थी गलत रूप से 'उप-विधियों/अधिनियम/नियमों से राजस्व' शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लेखांकित हो रहीं थी। निदेशालय स्थानीय निकाय स्तर पर भी, सभी नगरपालिका मंडलों के लेखों का समेकन करने पर, मदों का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष के निर्धारण अनुसार नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अधिकांश नगरपालिका मंडलों के लेखों का सत्यापन नहीं हो पाया।

अतः शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के सही और निष्पक्ष चित्रण हेतु निर्धारित लेखांकन प्रारूपों को अंगीकृत एवं क्रियान्वयन करने और उपार्जन लेखांकन की दिशा में जाने की आवश्यकता है।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल देवली :- वर्ष 2016-17 से उपार्जन आधारित वार्षिक लेखे संधारित किये जा रहे हैं।

---

[29] नगरपालिका मंडलः खण्ड कोटा लाखेरी (बून्दी) और सांगोद (कोटा)।

नगरपालिका मण्डल लाडनू:- नगर पालिका लाडनूँ में लेखा संबंधी कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। निदेशालय द्वारा सी.ए. फर्मो को अधिकृत किया जाकर लेखांकन कार्य ऑडिटिंग कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। वर्ष 2018-19 तक का लेखांकन कार्य व ऑडिट कार्य पूर्ण करवाया जाकर निदेशालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार अप्रैल 2010 से दोहरा लेखा प्रणाली से खातों का संधारण किया जा रहा है।

नगरपालिका मण्डल सागवाड़ा (डूँगरपुर):-आक्षेप मे निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2011 से 2015 तक निकाय स्तर से निविदा जारी कर लेखों का संधारण दोहारा लेखा प्रणाली पद्धति के आधार पर किया जा रहा था व वित्तीय वर्ष 2015 से वर्तमान तक निदेशालय से प्राप्त आदेशों के आधार पर सी.ए. फर्म को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा जोखा संधारित करने हेतु आदेश प्रदान किये जा रहे है व वर्ष 2017-18 तक दोहरा लेखा प्रणाली आधारित वार्षिक लेखा संधारित किया जा चुके है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, मुख्य लेखा अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नगरपालिका मंडलों में उपार्जन आधार पर लेखे संधारित करने के संबंध में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना मे एकरूपता नहीं होने के कारणों/औचित्यता से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. तत्समय आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडलों के लेखों का सत्यापन किस प्रकार किया जा रहा था? अवगत कराया जाना अपेक्षित है। क्योंकि निदेशालय स्थानीय निकाय स्तर पर भी, सभी नगरपालिका मंडलों के लेखों का समेकन करने पर, मदों का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष के निर्धारण अनुसार नहीं हो रहा था।

3. क्या नगर पालिका मण्डल लाडनू, साचैर तथा सागवाड़ा में उपार्जित आधारित लेखे तैयार किए जा रहें है?

4. वर्तमान में सभी नगरपालिका मंडलों द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रारूपों को अंगीकृत एवं क्रियान्वित करने और उपार्जन आधारित वार्षिक लेखे संधारित किए जाने की वर्तमान स्थिति/ प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल मालपुरा:- वर्ष 2016-17 से उपार्जन आधारित वार्षिक लेखे संधारित किये जा रहे है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार अप्रैल 2010 से दोहरा लेखा प्रणाली से खातों का संधारण किया जा रहा है।

समिति का अभिमत: समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि सभी नगरपालिका मंडलों में लेखों का संधारण उपार्जन आधार पर सुनिश्चित किया जावें ।

अनुच्छेद 4.1.2.15 : वित्तीय प्रबंधन

राज्य तथा चयनित नगरपालिका मंडलों का कुल व्यय एवं राजस्व संग्रहण (कर तथा गैर-कर राजस्व सहित) को तालिका 4.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.10

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य स्तर					नमूना जांच इकाईयां			
	नगरपालिका मंडलों की संख्या *	कुल व्यय**	निजी राजस्व संग्रहण	कमी	अन्तर प्रतिशतता	कुल व्यय	निजी राजस्व संग्रहण	कमी	अन्तर प्रतिशतता
2011-12	149/166	1,399.64	258.42	1,141.22	81.54	124.78	87.84	36.94	29.60
2012-13	149/149	1,681.92	485.75	1,196.17	71.12	183.-65	160.08	23.57	12.83
2013-14	134/143	1,287.35	486.22	801.13	62.23	303.67	159.85	143.82	47.36
2014-15	134/147	1,090.09	333.13	756.96	69.44	259.32	109.81	149.51	57.65
2015-16	95/147	975.69	323.39	652.30	66.86	250.80	127.36	123.44	49.22
योग		6,434.69	1,886.91	4,547.78	70.68	1,122.22	644.94	477.28	42.53

* उपलब्ध कराई गई सूचना/नगरपालिका मंडलों की कुल संख्या।

** कुल व्यय के आंकडे केवल उन नगरपालिका मंडलों से संबंधित है जिनकी सूचना उपलब्ध करवाई गई थी।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2011-16 के दौरान, सभी नगरपालिका मंडलों के संबंध में व्यय और निजी राजस्व के मध्य कुल अन्तर 70.68 प्रतिशत का था। तथापि, नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों में भी इसी अवधि के दौरान कुल अन्तर 42.53 प्रतिशत था। इस प्रकार, वार्षिक व्यय पूरा करने के लिए अधिकतर नगरपालिका मंडल केन्द्र/राज्य सरकार से अनुदान और ऋण जैसे अन्य/बाह्य स्रोत पर निर्भर थे।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल देवली :- मण्डल द्वारा राजस्व (कर एवं गैर कर-राजस्व) में अन्तर को कम करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मण्डल लाडनू :- नगर पालिका लाडनूँ द्वारा निर्देशानुसार वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर वार्षिक व्यय की पूर्णता हेतु बाह्य स्रोत पर निर्भर है । आत्म निर्भरता हेतु निरन्तर प्रयास जारी हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. तत्समय आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडलों में कुल व्यय एवं राजस्व संग्रहण में अत्यधिक अन्तर होने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. वर्तमान में सभी नगरपालिका मंडलों द्वारा अपना राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों तथा उनके परिणामों के पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल मालपुरा :- मण्डल द्वारा राजस्व (कर एवं गैर कर राजस्व) में अन्तर को कम करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर वार्षिक व्यय की पूर्णता हेतु बाह्य स्रोत पर निर्भर है । आत्म निर्भरता हेतु निरन्तर प्रयास जारी हैं।

समिति का अभिमत: समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि राज्य सरकारों के अनुदानों/ऋणों पर निर्भरता को कम करने, निजी राजस्व को बढ़ाने एवं आत्म निर्भरता हेतु नगरपालिकाओं द्वारा निरन्तर प्रयास किये जावेंगे।

अनुच्छेद 4.1.2.16 : राजकीय हिस्से के राजस्व जमा का अभाव

() नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने निर्देश (अगस्त 2001) दिए कि कृषि भूमि के नियमन शुल्क से वसूल 60 प्रतिशत राशि नगरपालिका मंडल द्वारा रखी जाएगी तथा शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के पास जमा करवाई जाएगी।

यह पाया गया कि कृषि भूमि से आबादी भूमि में भू-रूपान्तरण हेतु नियमन शुल्क के प्रकरणों में, 17 चयनित नगरपालिका मंडलों में से नौं नगरपालिका मंडलों[30] ने राजकीय लेखों में रूपये 15.33 करोड़ (रूपये 38.33 करोड़ का 40 प्रतिशत) में से केवल रूपये 3.80 करोड़ जमा करवाए परिणामस्वरूप रूपये 11.53 करोड़ कम जमा हुए।

ध्यान मे लाए जाने पर नगरपालिका मंडल, सरदारशहर ने अवगत कराया (मई 2016) कि नगरपालिका मंडल की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण राजकीय हिस्सा राशि जमा नहीं करवाई गई थी। नगरपालिका मंडल, देवली, नाथद्वारा, सुमेरपुर, सूरतगढ एवं मालपुरा ने अवगत कराया (मई-जुलाई 2016) कि नगरपालिका मंडल के पास निधियों की उपलब्धता होने पर राजकीय हिस्सा राशि शीघ्रातिशीघ्र जमा करवा दी जाएगी। नगरपालिका मंडल, सांचोर ने स्वीकार किया कि कृषि नियमन की राशि त्रुटिवश नगरपालिका मंडल के लेखे में लेखांकित हो गई थी, जिसे ठीक कर वास्तविक शीर्ष में जमा कर दी जाएगी। जबकि नगरपालिका मंडल, भीनमाल और चाकसू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मण्डल देवली :- मण्डल के पास वर्ष 2017-18 के अन्त तक कृषि भूमि के नियमन शुल्क से वसूल राशि की 40 प्रतिशत राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जायेगी।

नगरपालिका मण्डल लाडनू - न.पा. लाडनू नियमन का 40 प्रतिशत हिस्सा राशि नियमित रूप से जमा करवाई जा रही है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर द्वारा 31 मार्च 2013 तक 40 प्रतिशत हिस्सा राशि 0029 मद में जमा करवाई गई जो गणना की त्रुटिवश: राशि अधिक जमा हो जाने की संभावना को देखते हुए वर्ष 2016 तक राशि जमा नहीं करवायी गयी है। आक्षेप में वर्णितानुसार समस्त प्राप्त राशि का शुद्ध वर्गीकरण कर चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर पालना से अवगत करवा दिया जावेगा।

नगरपालिका मण्डल छबडा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 21 दिनांक 24.06.2016 की पालना में कृषि भूमि नियमन से प्राप्त राशि 60 प्रतिशत का 5 प्रतिशत राशि 1.294 लाख रूपये ज्ञापन/आक्षेप में अंकित मद में शीघ्र ही जमा करा दी जावेगी।

---

[30] नगरपालिका मंडल: भीनमाल, चाकसू, देवली, मालपुरा, नाथद्वारा, सांचोर, सरदारशहर सुमेरपुर और सूरतगढ।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल भीनमाल, देवली, चाकसू, मालपुरा, नाथद्वारा, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ़ द्वारा राजकीय हिस्सा राशि जमा नहीं कराने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है तथा उक्त राशि को जमा कराने की वर्तमान प्रगति/प्रयासों एवं परिणामों से अवगत करावें।

2. अनुपालनानुसार नगरपालिका मण्डल सांचौर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर पालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल मालपुरा :- मण्डल के पास वर्ष 2019-20 के अन्त तक कृषि भूमि के नियमन शुल्क से वसूल राशि की 40 प्रतिशत राशि 82.10 लाख रू. मद 0029 में जमा करवा दी गई है।

नगरपालिका मण्डल सांचौर :- आक्षेपानुसार नगरपालिका सांचौर द्वारा 31 मार्च 2013 तक 40 प्रतिशत हिस्सा राशि 0029 मद में जमा करवाई गई जो गणना की त्रुटिवश राशि अधिक जमा हो जाने की संभावना को देखते हुए वर्ष 2016 तक राशि जमा नहीं करवायी गयी है। आक्षेप में वर्णितानुसार समस्त प्राप्त राशि का शुद्ध वर्गीकरण कर चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर पालना से अवगत करवा दिया जावेगा।

नगरपालिका मण्डल छबडा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 21 दि0 24.06.2016 की पालना में कृषि भूमि नियमन से प्राप्त राशि 60 प्रतिशत का 5 प्रतिशत राशि 1.294 लाख रूपये ज्ञापन/आक्षेप में अंकित मद में शीघ्र ही जमा करा दी जावेगी।

समिति की सिफारिश :

(16) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगर पालिका मण्डल (भीनमाल, चाकसू, देवली, नाथद्वारा, सरदारशहर, सुमेरपुर एवं सूरतगढ़) में कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त राशि की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

() स्वायत्त शासन विभाग ने समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश (जुलाई 2002) जारी किए कि कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त 60 प्रतिशत का पांच प्रतिशत निदेशक स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते मे नवीनीकरण निधि के लिए जमा किया जाएगा।

यह पाया गया कि कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त 60 प्रतिशत हिस्से का पांच प्रतिशत हिस्सा रूपये 1.80 करोड़ नमूना जांच की गई 16 नगरपालिका मंडलों द्वारा निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

ध्यान में लाए जाने पर, पांच नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया (मई-जुलाई 2016) कि नगरपालिका मंडलों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह राशि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के संबंधित खाते में हस्तान्तरित नहीं की गई। जबकि शेष 10 नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया कि शीघ्रातिशीघ्र यह राशि संबंधित खाते में जमा करवा दी जाएगी। नगरपालिका मंडल, चाकसू ने राजकीय हिस्सा जमा करवाने का कारण नहीं बताया।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

नगरपालिका मण्डल देवली :- मण्डल के पास वर्ष 2017-18 के अन्त तक कृषि भूमि के नियमन शुल्क से वसूल राशि में से 60 प्रतिशत का 5 प्रतिशत निदेशक स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते में नवीनीकरण निधि के लिये शीघ्र जमा करवा दी जायेगी।

नगरपालिका मण्डल लाडनूं :- वर्ष 2013-16 तक जमा नियमन राशि रू. 12,07,515 की 60 प्रतिशत की हिस्सा राशि 05 प्रतिशत के हिसाब से 36,225/- जमा करवाया जाना शेष है। निजी राजस्व से आय प्राप्त नहीं होने के कारण राशि जमा नहीं करवायी जा सकी है। अब राशि जमा करवायी जावेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त 60 प्रतिशत हिस्से की पांच प्रतिशत हिस्सा राशि नगरपालिका मंडलों द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते मे नवीनीकरण निधि के लिए जमा कर अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल मालपुरा :- मण्डल के पास वर्ष 2017-18 के अन्त तक कृषि भूमि के नियमन शुल्क से वसूल राशि में से 60 प्रतिशत का 5 प्रतिशत निदेशक स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते में राशि 8.67 लाख रूपये जमा करवा दिये गये है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(17) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डल (नगर पालिका मण्डल मालपुरा को छोड़कर) में कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त 60 प्रतिशत राशि का 5 प्रतिशत राशि निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राज्य सरकार की निजी निक्षेप खाते में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

() राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 20 (2) के अनुसार, वसूल किए गए नगरीय निर्धारण या भूमि किराया का 40 प्रतिशत नगरपालिका मंडल द्वारा सेवा प्रभार के रूप में रखा जाएगा तथा शेष 60 प्रतिशत सरकार के पास सरकारी प्राप्तियों की तरह जमा करवाया जाएगा।

यह पाया गया कि नमूना जांच की गई 17 नगरपालिका मंडलों में से पांच नगरपालिका मंडलों[31] द्वारा नगरीय निर्धारण की 60 प्रतिशत हिस्सा राशि रूपये 2.33 करोड़ को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया।

नगरपालिका मंडल, फतेहपुर, सागवाड़ा और मालपुरा ने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (मई-जुलाई 2016) कि नगरीय निर्धारण का हिस्सा सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा। नगरपालिका मंडल, छबड़ा और बयाना ने अवगत कराया (जून-जुलाई 2016) कि वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह हिस्सा सरकार को जमा नहीं कराया जा सका।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

अनुपालना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार पांच नगर पालिका मण्डल बयाना, छबड़ा, मालपुरा तथा सागवाड़ा द्वारा बकाया राशि जमा कर क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. शेष 12 नमूना जांच की गई नगर पालिका मण्डलों द्वारा उक्त सूचना लेखापरीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से तथा वर्तमान में नगरीय निर्धारण की कितनी राशि सरकारी कोष में जमा करवानी बाकी है, के विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

---

[31] नगरपालिका मंडलः बयाना, छबड़ा, फतेहपुर, मालपुरा और सागवाड़ा। 12 नगरपालिका मंडलों ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।

नगरपालिका मण्डल मालपुरा :- मण्डल के पास 2019-20 के अन्त तक कृषि भूमि की संग्रहित लीज राशि (नगरीय निर्धारण एवं भूमि किराया) राशि में से राज्य की हिस्सा 142.53 लाख रू. जमा करवा दिये गये है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(18) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डल (बयाना, छाबड़ा, फतेहपुर एवं सांगवाडा) में नगरीय निर्धारण/भूमि किराया से प्राप्त 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

() आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के आदेश (30 अप्रेल 2002) के अनुसार सूरतगढ़ में स्थित मण्डी विकास समिति का मण्डी क्षेत्र नगरपालिका मंडल, सूरतगढ को हस्तान्तरित कर दिया गया था। हस्तान्तरण नोट के अनुसार, हस्तान्तरित की गई भूमि के निस्तारण से प्राप्त राजस्व राजस्थान सरकार तथा नगरपालिका मंडल, सूरतगढ़ के मध्य 50:50 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा तथा राजकीय शीर्ष 'इन्दिरा गांधी नहर परियोजना' में जमा किया जाएगा।

यह पाया गया कि वर्ष 2011-16 के दौरान नगरपालिका मंडल, सूरतगढ ने मण्डी की भूमि के निस्तारण से संग्रहित कुल राशि रूपये 22.18 करोड़ में से रूपये 10.71 करोड़ सरकार के खाते में जमा नहीं करवाई थी। नगरपालिका मंडल, सूरतगढ ने अवगत कराया (जून 2016) कि वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह हिस्सा सरकार के पास जमा नहीं करवाया था।

इस प्रकार, उपरोक्त समस्त चार प्रकरणों में सरकारी खाते मे जमा योग्य कुल रूपये 26.37 करोड़ नगरपालिका मंडलों द्वारा अनाधिकृत रूप से रोका गया था।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

अनुपालना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार नगर पालिका सूरतगढ द्वारा बकाया राशि जमा करा कर क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(19) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ द्वारा आक्षेपानुसार भूमि के निस्तारण से संगृहित राशि में से रूपये 10.71 करोड़ राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.1.2.17 : यात्री कर के हिस्से का अनियमित अवरोधन

माउन्ट आबू में वन क्षेत्र तथा वन्य जीव के विकास कार्य हेतु राजस्थान सरकार ने माउन्ट आबू पर्यावरण समिति का गठन (10 जनवरी 2002) किया। इसके लिए संग्रहित यात्री कर का कुल राजस्व का 30 प्रतिशत इस समिति के खाते में जमा करवाने का प्रावधान किया गया था।

यह पाया गया कि 2010-11 से 2015-16 के दौरान नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू ने यात्री कर रूपये 12.84 करोड़ का संग्रहण किया लेकिन यात्री कर का हिस्सा रूपये 3.85 करोड़ (रूपये 12.84 करोड़ का 30 प्रतिशत) समिति के खाते में जमा नहीं किया और इसे अनियमित रूप से रोके रखा।

ध्यान मे लाये जाने पर, नगरपालिका मंडल, माउन्ट आबू ने अवगत कराया (अप्रैल 2016) कि कमजोर वित्तीय स्थिति होने के कारण, समिति के खाते में हिस्सा जमा नहीं करवाया जा सका।

तथापि, तथ्य यह है कि नगरपालिका मंडलों द्वारा निधियों के अनियमित अवरोधन के कारण समिति इसके हिस्सें से वंचित रही।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

अनुपालना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार नगर पालिका मण्डल माउण्ट आबू द्वारा यात्री कर की हिस्सा राशि माउण्ट आबू पर्यावरण समिति को जमा करा कर क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

समिति की सिफारिश :

(20) **समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डल माउंट आबू द्वारा संगृहित यात्री कर में से राशि रूपये 3.85 करोड़ माउंट आबू पर्यावरण समिति के खाते में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।**

अनुच्छेद 4.1.2.18 : बीएसयूपी निधि के गठन का अभाव

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 89-अ प्रावधित करती है कि प्रत्येक नगरपालिका शहरी गरीब हेतु आधारभूत सेवाओं के लिए शहरी गरीब को बुनियादी सेवाऐं[32] (बीएसयूपी) निधि का गठन करेगी तथा नगरपालिकाओं के वार्षिक बजट का कम से कम 25 प्रतिशत इस निधि के लिए चिन्हित होगा।

यह पाया गया कि 17 नगरपालिका मंडलों में से 16 नगरपालिका मंडलों ने बीएसयूपी निधि का निर्माण नहीं किया। केवल नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर ने 31 जनवरी 2013 को बीएसयूपी निधि का गठन किया, तथापि, वहां भी अवधि 2011-16 के दौरान जमा योग्य रूपये 84.49 करोड़ के विरूद्ध केवल रूपये 0.87 करोड़ ही जमा करवाए गए थे।

ध्यान मे लाए जाने (अप्रैल/जुलाई 2016) पर, 10 नगरपालिका मंडलों ने अवगत कराया कि बीएसयूपी निधि का अब गठन किया जाएगा। नगरपालिका मंडल, फतेहपुर, सागवाड़ा और मालपुरा ने अवगत कराया कि अलग से बीएसयूपी निधि का निर्माण नहीं किया गया परन्तु क्षेत्र में विकास कार्य निष्पादित कराए गए। अग्रेतर, नगरपालिका मंडल, चाकसू, लाडनूं और छबडा ने बीएसयूपी निधि के गठन नहीं करने के कारण नहीं बताए। नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर ने तथ्य स्वीकारते हुए अवगत कराया कि बीएसयूपी निधि का उपयोग किया जाएगा।

इस प्रकार, बीएसयूपी निधि के लिए बजट आवंटन नहीं किए जाने से, इन 17 नगरपालिका मंडलों ने जनता को बुनियादी आधारभूत सेवाओं से वंचित किया जो कि उपरोक्त निधि का उपयोग किए जाने से निर्मित की जानी थी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

[32] आधारभूत सेवाओं में जलापूर्ति, निकासी, मल, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सड़क-सम्पर्क, सड़क रोशनी, सार्वजनिक उद्यान एवं खेल मैदान, सामुदायिक एवं आजिविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्री-प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

नगरपालिका मंडल सुमेरपुर :- आक्षेपानसुार नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा बीएसयूपी निधि के गठन की कुल राशि में से वर्ष 2016-2017 में 45.39 लाख व 2017-18 में 40.50 लाख कुल 85.90 लाख राशी का कच्ची बस्तियों में विकास कार्य करवाया गया।

नगरपालिका मंडल सरदारशहर :- आक्षेप अनुसार नगरपालिका मण्डल द्वारा बीएसयूपी चार्जेज नही करने के संबंध में लिखा है इस संबंध में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा बीएसयूपी चार्ज वसूल किये जाने के सबंध में जारी आदेश का भूमि शाखा लिपिक को ज्ञान नहीं होने के कारण बीएसयूपी चार्ज की वसूली नही की जा सकी। वर्तमान में सभी प्रकरणों में बीएसयूपी चार्ज वसूल किया जा रहा है।

इस कार्यालय द्वारा बीएसयूपी निधी का गठन करते हुए अलग से बैंक खाता खुलवाया गया है, जिसमें बीएसयूपी राशि जमा करवायी जा रही है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.08.2017 से 24.01.2018 तक 27 प्रकरणों में कुल 2.91 लाख रूपये की वसूली की गयी है। उक्त राशि बीएसयूपी बैंक खाते में जमा करवायी जा चुकी है। वर्तमान में पालिका द्वारा नियमित रूप से बीएसयूपी चार्ज की वसूली की जा रही है।

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेप में वर्णित निधि का गठन नहीं किया गया है किन्तु अन्य मद से मूलभूत सुविधाओं पर व्यय कर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। भविष्य में बीएसयूपी निधि का गठन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

नगरपालिका मंडल छबडा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 19 दि0 24.06.2016 की पालना में बुनियादी आधारभूत सेवाओं हेतु शीघ्र ही बी.एस.यू.पी. निधी का गठन कर पालना से अवगत करा दिया जावेगा।

नगरपालिका मंडल लाडनूँ :- बी.एस.यू.पी. निधि के गठन की कार्यवाही जारी है।

नगर पालिका सागवाड़ा (डूँगरपुर):-आक्षेप मे निवेदन है कि पूर्व मे बी.एस.यू.पी कोश का राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट मे प्रावधान नहीं रखा गया था, परन्तु कच्ची बस्तियों में विभिन्न विकास कार्य करवाये गये हैं व वर्तमान बजट मे बी.एस.यू.पी कोश का प्रावधान रखा गया है व इसके राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त बस्तियों में विकास कार्य करवाये जायेंगे।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर द्वारा बीएसयूपी निधि में अवधि 2011-16 के दौरान जमा योग्य रूपये 84.49 करोड़ के विरूद्ध केवल रूपये 0.87 करोड़ ही जमा करवाने के

कारणों तथा वर्तमान में उक्त राशि को जमा करवाने एवं उपयोग की स्थिति/प्रगति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. अनुपालनानुसार नगरपालिका मंडल, सरदारशहर में संबंधित कर्मचारी को बीएसयूपी चार्ज का ज्ञान नहीं होने की औचित्यपूर्णता से अवगत करावें।

3. अनुपालनानुसार नगरपालिका मंडल, सांचोर, छबड़ा तथा लाडनू में तत्समय बीएसयूपी निधि का गठन नहीं करने के स्पष्ट कारणों, गठन की वर्तमान स्थिति तथा बीएसयूपी चार्ज वसूली की वर्तमान प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. अनुपालनानुसार नगरपालिका मंडल, सागवाड़ा में बजट में बीएसयूपी निधि का प्रावधान नहीं रखने संबंधित राज्य सरकार के निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। बीएसयूपी निधि का गठन तथा बीएसयूपी चार्ज वसूली की वर्तमान प्रगति/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. आक्षेपानुसार शेष नगरपालिका मंडलों से बीएसयूपी निधि का निर्माण संबंधी क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेप में वर्णित निधि का गठन नहीं किया गया है किन्तु अन्य मद से मूलभूत सुविधाओं पर व्यय कर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। बीएसयूपी निधि का गठन की कार्यवाही कर राशि एकत्रित की जा रही हैं। मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किया जा रहा है।

नगरपालिका मंडल छबडा :- लेखा परीक्षा 2011-16 के ज्ञापन सं. 19 दि0 24.06.2016 की पालना में बुनियादी आधारभूत सेवाओं हेतु शीघ्र ही बी.एस.यू.पी. निधी का गठन कर पालना से अवगत करा दिया जावेगा।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(21) समिति सिफारिश करती है कि **आक्षेपित नगरपालिका मंडलों (सुमेरपुर एवं सरदारशहर को छोड़कर)** में बीएसयूपी निधि के गठन **की अद्यतन स्थिति** से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

आन्तरिक नियत्रंण एवं अनुश्रवण

अनुच्छेद 4.1.2.19 : नमूना जांच की गई 17 नगरपालिका मंडलों के लिए कुल स्वीकृत पद, कार्यरत क्षमता तथा रिक्त पद का विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है:

तालिका 4.11

वर्ष	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
2011-12	3,280	1,686	1,594	48.60
2012-13	3,286	1,633	1,653	50.30
2013-14	3,459	1,857	1,602	46.31
2014-15	3,590	2,278	1,312	36.55
2015-16	3,639	2,325	1,314	36.11

यह देखा जा सकता है कि अवधि 2011-16 के दौरान श्रम-शक्ति में कमी 36.11 प्रतिशत से 50.30 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थी। अग्रेतर, नमूना जांच की गई 17 नगरपालिका मंडलों में राजस्व के उद्ग्रहण, मांग एवं संग्रहण के लिए नगरपालिका मंडलों में अवधि 2011-16 के दौरान आवंटित मुख्य राजस्व अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद, कार्यरत क्षमता तथा रिक्त पदों की स्थिति तालिका 4.12 में दी गई है:

तालिका 4.12

पद का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16		
	स्वी*	का*	रि*	स्वी*	का*	रि*	स्वी*	का*	रि*	स्वी*	का*	रि*	स्वी*	का*	रि*
राजस्व अधिकारी-	1		1	2	-	2	2		2	2	-	2	2		2
राजस्व अधिकारी-	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4
राजस्व निरीक्षक	15	5	10	15	5	10	15	4	11	16	2	14	16	2	14
कर गणनक	3	-	3	3	-	3	1	0	1	3	1	2	3	0	3
सहायक कर गणनकसहायक / राजस्व निरीक्षक	15	6	9	14	4	10	14	3	11	9	2	7	15	2	13
योग	38	11	27	38	9	29	36	7	29	34	5	29	40	4	36

* स्वी: स्वीकृत, का: कार्यरत और रि: रिक्त

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत 186 पदों के विरूद्ध केवल 36 व्यक्ति (19 प्रतिशत) ही वास्तव में पदस्थापित थे। इस प्रकार, लक्ष्यों की अप्राप्ति तथा कमजोर आन्तरिक निरीक्षण का एक मुख्य कारण श्रम-शक्ति के परिनियोजन में कमी था।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

अनुपालना अपेक्षित है

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

आक्षेपानुसार क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेपानुसार अधिकारियों एवं कार्मिकों की कमी से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये हैं। प्रयास जारी हैं।

समिति का अभिमत : समिति सिफारिश ना कर आपेक्षा करती है कि नगरपालिका मंडलों में रिक्त पदों को भरने हेतु समुचित प्रयास किये जायेगे ।

अनुच्छेद 4.1.2.20 : राजस्थान नगरपालिका लेखांकन नियम, 1963 का नियम 11, अधिशाषी अधिकारी को नगरपालिका निधि के प्रशासन हेतु वित्तीय क्रियाकलापों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं की समाप्ति को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व देता है। अग्रेतर, अधिशाषी अधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व था कि यह देखें उपरोक्त त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पता लगाने हेतु नगरपालिका मंडल के कार्यालय में सुव्यस्थित आंतरिक अनुसंधान करने के लिए उचित तंत्र विद्यमान था।

आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां निम्न प्रकार थी:

- निर्धारित बुनियादी अभिलेख जैसे विभिन्न कर एवं गैर-कर राजस्व की मांग संग्रहण तथा शेष पंजिकाऐं या तो बिल्कुल ही संधारित नहीं थी अथवा अपूर्ण थी।
- राजस्थान सरकार/निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग स्तर पर अनुश्रवण की कमी के परिणामस्वरूप शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवाओं के लिए (आश्रय) निधि हेतु प्रभारों की अवसूली रही साथ ही साथ नगरपालिका मंडलों द्वारा संग्रहित राजस्व में सरकार का हिस्सा जमा नहीं किया गया।
- सभी नगरपालिका मंडलों में वित्त एवं बजट समिति/उप-विधियां समिति गठित नहीं थी। इस प्रकार, आन्तरिक निरीक्षण तंत्र पर्याप्त नहीं था।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019) :

नगरपालिका मंडल देवली :- वर्तमान में निर्धारित अभिलेख जैसे विभिन्न कर एवं गैर कर राजस्व की पंजिकायें संधारित की जा रही हैं।

नगरपालिका मंडल सांचौर :- आक्षेपानुसार निवेदन है कि लेखों के संधारण की जांच की जा रही है तथा पूर्ण नियंत्रण के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य किये जा रहे हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार सभी नगरपालिका मण्डलों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पता लगाने हेतु कार्यालय में सुव्यस्थित आंतरिक अनुसंधान करने के लिए उचित तंत्र विकसित नहीं करने के कारणों तथा इस हेतू वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों एवं उनके परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. अनुपालनानुसार नगरपालिका मण्डलों देवली तथा सांचोर में क्या आक्षेप में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की सभी कमियों का निपटान कर लिया गया है? स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मंडल सांचौरः- आक्षेपानुसार निवेदन है कि लेखों के संधारण की जांच की जा रही है तथा पूर्ण नियन्त्रण के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य किये जा रहे हैं।

समिति का अभिमत : समिति सिफारिश ना कर आपेक्षा करती है कि नगरपालिका मंडलों में आंतरिक नियंत्रण हेतु उचित तंत्र विकसित करने एवं आवश्यक समितियों का गठन हेतु समुचित प्रयास किये जायेगे ।

अनुच्छेद 4.1.2.21 : राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51 प्रावधित करती है कि नगरपालिका की साधारण सामान्य बैठक 60 दिवस में एक बार तथा एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम छः बार आयोजित होनी चाहिए।

अवधि 2011-16 के दौरान नमूना जांच की गई नगरपालिका मंडलों मे अनुश्रवण तंत्र शिथिल था क्योंकि 12 नगरपालिका मंडलों[33] में आयोजित की जाने वाली 360 बैठकों के विरूद्ध केवल 215

---

[33] नगरपालिका मंडलः देवली, फतेहपुर, मेड़तासिटी, माउन्ट आबू, सरदारशहर, सुमेरपुर, भीनमाल, नाथद्वारा सूरतगढ बयाना, सागवाड़ा और सांचोर।

बैठकें (59.72 प्रतिशत) आयोजित हुई थी। अग्रेतर, पांच नगरपालिका मंडलों[34] द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

आन्तरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र से संबंधित सूचना यथा नगरपालिका मंडलों पर नियंत्रण की प्रक्रिया विधि, उप-विधियो की समिति का गठन तथा कार्यकलाप, नगरपालिका मंडलों द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा का तंत्र तथा नगरपालिका मंडलों के भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग से चाही गई थी (अक्टूबर 2016)। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रत्युत्तर/सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 20.08.2019):

नगरपालिका मंडल देवली :- वर्तमान में पैरा अनुसार पालना की जा रही है।

नगरपालिका मंडल सांचौर:- आक्षेप की पालना में नियमित बैठक हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरपालिका मंडल सागवाड़ा (डूँगरपुर) :- आक्षेप मे निवेदन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कि धारा 51 के तहत नगरपालिका कि साधारण सामान्य बैठक 60 दिवस में एक बार तथा एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 6 बार आयोजित कि जानी चाहिए, परन्तु कार्यालय मे अधिकांश समय पर अधिशाषी अधिकारी का समय-समय पर स्थानान्तरण हो जाने एवं रिक्त होने से नियम अनुसार निर्धारित समय पर बोर्ड बैठक आयोजित नहीं हो पाई, इसके संदर्भ मे अध्यक्ष महोदया द्वारा निदेशालय को पद भरने हेतु पत्र व्यवहार किया गया। इसी कारण वर्ष नियम अनुसार आयोजित कि जाने वाले बैठकों के विरूद्ध कम बैठके ही आयोजित हो पाईं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 24.09.2019) :

1. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल देवली, फतेहपुर, मेड़तासिटी, माउन्ट आबू, सरदारशहर, सुमेरपुर, भीनमाल, नाथद्वारा, सूरतगढ़, बयाना, सागवाड़ा और सांचोर में आयोजित की जाने वाली बैठकों के विरूद्ध कम बैठकें आयोजित करने के स्पष्ट कारणों तथा वर्तमान में इस हेतू किये जा रहे प्रयासों एवं परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल लाडनूं, चाकसू, छबड़ा, रामगंजमंडी और मालपुरा द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अवगत करावें तथा उक्त सूचना को अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

---

[34] नगरपालिका मंडल: लाडनूं, चाकसू, छबड़ा, रामगंजमंडी और मालपुरा।

समिति का अभिमत : समिति सिफारिश ना कर आपेक्षा करती है कि नगरपालिका मंडलों में नियमानुसार बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 4.1.3 : निष्कर्ष

कर तथा गैर-कर राजस्व के उद्ग्रहण, मांग तथा संग्रहण में कमियां विविध कारणों से जैसे कि श्रम-शक्ति में कमी, कमजोर आन्तरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण के कारण रही। अग्रेतर राजस्व संग्रहण के लक्ष्य तर्क-संगत तय नहीं थे। नगरपालिका मंडल का निजी राजस्व संग्रहण लगातार उनके व्यय के 30 प्रतिशत के लगभग रहा, जिससे राज्य/केन्द्र सरकार से अनुदान तथा ऋण पर निर्भरता जारी रही। इन परिस्थितियों में, ये नगरपालिका मंडल सरकार के तीसरे स्तम्भ की स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने के उद्देश्य आत्म-निर्भरता को प्राप्त करने से दूर थे।

प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

4.2 स्वायत्त शासन विभाग में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 का क्रियान्वयन

अनुच्छेद 4.2.1: प्रस्तावना

राजस्थान सरकार ने एक उत्तरदायी, जवाबदेही, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 को प्रख्यापित (नवम्बर 2011) किया। अधिनियम नामांकित अधिकारी[35] को निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट करता है। यदि सेवा विलम्बित या अस्वीकृत कर दी जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील का निर्णय करते समय नामांकित अधिकारी पर शास्ति लगा सकता है। आवेदक द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण हेतु नियम भी बनाए (नवम्बर 2011) गए हैं। राज्य में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग उत्तरदायी समन्वय विभाग है। वर्तमान में, अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग की 11 सेवाओं सहित 18 विभागों की 153 सेवाएं को आवृत किया गया हैं, जिसे निम्न तालिका 4.13 में वर्णित किया गया है।

---

35 अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया अधिकारी।

अनुच्छेद 4.2.2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत 11 सेवाओं के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए, जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम आबादी वाले ग्रामीण, शहरी, जनजातीय और सीमावर्ती जिलों के आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा करने हेतु कुल 33 जिलों में से चार जिलों (अलवर, जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर) का चयन किया गया। दो जिले जयपुर और उदयपुर के नगर निगम, शेष दो जिले अलवर और बाड़मेर के सभी नगर परिषदों[36] और कुल 20 नगरपालिका मंडलों में से चार नगरपालिका मंडलों[37] का चयन यादृच्छिक नमूना आधार पर किया गया।

2011-12 से 2015-16 अवधि के लिए लेखापरीक्षा मार्च-जून 2016 के दौरान सम्पादित की गई थी तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्गीकरण (i) अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय (ii) अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय की केन्द्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली और (iii) संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण और सार्वजनिक जागरूकता हेतु प्रचार/विज्ञापन, निम्नानुसार है:

अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय

अनुच्छेद 4.2.2.1 : अधिनियम की धारा 4(1) प्रावधित करती है कि नामांकित अधिकारी सेवा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करेगा। तथापि, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग से जो शहरी स्थानीय निकायों की गतिविधियों के समन्वय, नियंत्रण और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी था, राज्य में सभी 11 सेवाओं के वास्तविक प्रदाय की समेकित स्थिति के संबंध में पूछा गया (मार्च 2016); जिसे जून 2016 तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था। अग्रेतर, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से भी जो अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए समग्र प्रशासक था, सूचना मांगी गई, परन्तु सूचना अप्राप्त (अगस्त 2016) रही।

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा माह नवम्बर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान प्रदाय की गई सेवाओं की संवीक्षा तालिका 4.13 में दी गई है:

---

36 नगर परिषद अलवर, बालोतरा, बाड़मेर और भिवाड़ी।

37 नगरपालिका मंडल: बगरू, चाकसू (जयपुर), राजगढ़ (अलवर) और सलूम्बर (उदयपुर)।

तालिका 4.13

क्रम संख्या	सेवाओं का नाम	निर्धारित समय	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रकरणों की सूचना		नमूना जांच किए गए प्रकरण		
			प्रकरणों की कुल संख्या	कथित विलम्बित प्रकरणों की संख्या (प्रतिशत)	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें विलम्ब पाया गया	विलम्बित अवधि (दिवसों में)
1	नाम अन्तरण	15 कार्य दिवस	1,743	9 (0.52)	566	283 (50.00)	5 से 970
2	बयाना राशि/ जमानत जमा की वापसी	बयाना राशि: एक माह जमानत जमा: तीन माह	6,241	10 (0.16)	1145	285 (24.89)	5 से 1,628
3	भवनों के ले-आऊट प्लान की स्वीकृति	विभिन्न सेवाए,[38]	6,072	121 (1.99)	873*	222 (25.43)	8 से 1,012
4	पट्टा छूट प्रमाण-पत्र जारी करना	सात कार्य दिवस	101	1 (0.99)	56	9 (16.07)	25 से 105
5	अग्निशमन और अन्य के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र	(निरीक्षण 15 कार्य दिवस) (शुल्क जमा कराने के बाद सात कार्य दिवसों में एनओसी जारी करना)	11,018	25 (0.23)	274	53 (19.34)	5 से 367
					410	51 (12.44)	5 से 203
6	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य	भिन्न निर्धारित समय वाली विभिन्न सेवाएं[39]	31,605	4 (0.01)	346	33 (9.54)	5 से 366
7	खाद्य अनुज्ञापत्र के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञापत्र जारी करना	जारी करना: 30 कार्य दिवस नवीनीकरण: 15 कार्य दिवस	1,457	32 (2.20)	104	14 (13.46)	6 से 1,210
					374	28 (7.49)	9 से 239
8	भवन के नक्शों/दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करना	15 कार्य दिवस	2,333	89 (3.81)	501	32 (6.39)	5 से 368
9	विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना	सात कार्य दिवस	73,298	657 (0.90)	1693*	56 (3.31)	5 से 314
10	जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना	सात कार्य दिवस	5,95,920	2,570 (0.43)	1511*	17 (1.13)	5 से 191

[38] () भवनों का ले-आऊट प्लान: 60 कार्य दिवस () भू-खण्डों का उप-विभाजन: 15 कार्य दिवस और () भू-उपयोग परिवर्तन: 15 कार्य दिवस।

[39] () सड़क नालियों की सफाई : सात कार्य दिवस, () मृत पशुओं का निस्तारण : एक कार्य दिवस, () बहते पानी की नालियों की सफाई : 15 कार्य दिवस और () आवारा जानवरों को पकड़ना : दो कार्य दिवस |

क्रम संख्या	सेवाओं का नाम	निर्धारित समय	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रकरणों की सूचना		नमूना जांच किए गए प्रकरण		
			प्रकरणों की कुल संख्या	कथित विलम्बित प्रकरणों की संख्या (प्रतिशत)	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें विलम्ब पाया गया	विलम्बित अवधि (दिवसों में)
11	सामुदायिक केन्द्रों का आरक्षण	सात कार्य दिवस	946	32 (3.38)	458	शून्य	शून्य
	योग		7,30,734	3,550 (0.49)	8,311	1,083 (13.03)	

* क्रम संख्या 3, 9 और 10 पर उल्लेखित सेवाओं के संबंध में क्रमशः 111 प्रकरणों, 46 प्रकरणों और 94 प्रकरणों में व्यक्तिगत आवेदन/स्वीकृति पर दिनांक पृष्ठांकित नहीं की गई थी इस प्रकार इन मामलों में विलम्ब का पता नहीं लगाया जा सका।

स्रोत: नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- नमूना जांच प्रकरणों में 13.03 प्रतिशत समग्र विलम्ब के विरूद्ध शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सेवाओं के प्रदाय में केवल 0.49 प्रतिशत विलम्ब बताया गया। तथापि, यह पाया गया कि यदि जन्म/मृत्यु पंजीकरण और विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने जैसी दो सामान्य सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो विलम्ब का प्रतिशत 19.78 प्रतिशत हो जाएगा।

- सभी सेवाओं में विलम्ब का विस्तार 359 प्रकरणों में 5 से 30 दिवस (33.15 प्रतिशत), 326 प्रकरणों में 31 से 100 दिवस (30.10 प्रतिशत), 139 प्रकरणों में 101 से 200 दिवस (12.83 प्रतिशत) और 259 प्रकरणों में 200 दिवस से अधिक (23.91 प्रतिशत) रहा। इस प्रकार, लगभग 36.75 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में विलम्ब 100 दिवस से अधिक था, जो अत्यधिक था, जिसका विवरण परिशिष्ट- में दिया गया है।

- 'भवनों के ले-आऊट प्लान की स्वीकृति' तथा 'अग्निशमन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करने (निरीक्षण चरण) जैसी सेवाओं में विलम्ब क्रमशः 25.43 प्रतिशत और 19.34 प्रतिशत असाधारण रूप से उच्च था। इसलिए, इन सेवाओं में विलम्बित प्रकरण नमूना जांच की गई इकाइयों की अन्य सभी सेवाओं के विलम्बित प्रकरणों के औसत से दोगुने थे।

तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट विलम्बित प्रकरण विभाग द्वारा सूचित किए गए विलम्बित प्रकरणों की संख्या से 27 गुना अधिक थे, ऐसे विलम्ब के नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता थी।

अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में विलम्ब के निष्कर्षों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित किया गया है:

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगरपालिका मण्डल चाकसू :- आलोच्य अवधि में नगर पालिका द्वारा अधिनियम में निर्धारित समयावधि में ही प्रकरणों का निपटान किया गया था तथा अकारण किसी सेवा प्रदान में विलम्ब नहीं किया है। कारणवश किन्ही प्रकरणों में विलम्ब होने के कारण आक्षेप में शामिल किया गया है। वर्तमान में समय सीमा का पूर्ण पालन करते हुए अधिनियम का पालन किया जा रहा है।

नगर परिषद, अलवर - नमूना जांच में अंकित किया गया है। सभी सेवाओं में विलम्ब का विस्तार 36.75 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में विलम्ब 100 दिवस से अधिक था। भवनों के ले-आउट की स्वीकृति एवं अग्निशमन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाओं में विलम्ब का प्रतिशत क्रमशः 25.43 एवं 19.34 रहा। विलम्बित प्रकरण 27 गुणा अधिक अंकित किये हैं। इसकी अनुपालना में निवेदन है कि नियमों की पूर्ण जानकारी का अभाव व आम जनता में कम जागरूकता के कारण समय पर उपस्थित नहीं होने पर विलम्ब हुआ है।

नगरपालिका मण्डल सलूम्बर - नगरपालिका सलुम्बर द्वारा 11 लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी में यथा समय-समय सीमा में सेवायें दी गई है। कुछ प्रकरणों में विलम्ब होने का कारण यह है कि पालिका में स्टाफ की कमी होना रहा है। वर्तमान में तय समय सीमा में कार्य किया जा रहा है तथा भविष्य में भी तय समय सीमा में कार्य किया जावेगा।

भवनों के ले-आउट प्लान की स्वीकृति में कई प्रकरणों में आपत्ति प्राप्त होने या विवाद होने से विलम्ब हुआ है। वर्तमान में तय समय सीमा में कार्य किया जा रहा है।

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित तालिका 4.13 में उल्लेखित 11 सेवाओं के लिए नगर निगम द्वारा अधिकतर प्रकरणों में गारण्टी अधिनियम में वर्णित समय सीमा के भीतर विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, तथापि, कुछ प्रकरणों में आवेदक द्वारा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने पर अथवा निर्धारित सूचना/विवरण प्रस्तुत न करने के कारण कुछ समय लग जाता है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() नगरपालिका मण्डल चाकसू से प्राप्त अनुपालना कि अकारण किसी सेवा में विलम्ब नहीं किया गया है तथा कारणवश किन्ही प्रकरणों में विलम्ब होने के कारण आक्षेप में शामिल किया गया है, तथ्यानुरूप सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि आक्षेपित प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब का होना उचित नहीं था। तथापि आक्षेपित विलम्बों को सम्मिलित करते हुए अनुपालना को साक्ष्यों सहित अन्तिम क्रियान्विति में स्पष्ट करना अपेक्षित है।

() नगर परिषद अलवर से प्राप्त अनुपालना कि नियमों की पूर्ण जानकारी का अभाव की औचित्यता स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है तथा क्या विभागीय स्तर पर आम जनता में जागरूकता लाने के लिए कोई प्रयास किया गया या प्रस्तावित है। अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() नगरनिगम जयपुर में निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, तथा इनके परिणामों के पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() नगर निगम उदयपुर, नगर परिषद् बालोतरा, बाड़मेर और भिवाड़ी तथा नगरपालिका मण्डल बगरू एवं राजगढ़ (अलवर) के संबंध में आक्षेपानुसार अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आक्षेपानुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अन्तिम क्रियान्विति मे अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() आक्षेपानुसार लगभग 36.75 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में विलम्ब 100 दिवस से अधिक होना तथा 'भवनों के ले-आऊट प्लान की स्वीकृति' तथा 'अग्निशमन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करने जैसी सेवाओं में विलम्ब का असाधारण रूप से उच्च होना क्या औचित्यपूर्ण था? अन्तिम क्रियान्विति में अवगत करावें।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर परिषद अलवर द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को नियमों एवं निर्देशों की जानकारी करवा दी गई है तथा विभागीय स्तर पर आम जनता में जागरूकता लाने के लिए परिषद परिसर के सार्वजनिक स्थान पर जहाँ आम-जन को जानकारी हो सके, दिवार पर लेखबद्ध करवा दिया गया है।

नगरपालिका मण्डल सलूम्बर - नगरपालिका सलुम्बर द्वारा 11 लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी में यथा समय-समय सीमा में सेवायें दी गई है। कुछ प्रकरणों में विलम्ब होने का कारण यह है कि पालिका में स्टाफ की कमी होना रहा है। वर्तमान में तय समय सीमा में कार्य किया जा रहा है तथा भविष्य में भी तय समय सीमा में कार्य किया जावेगा। भवनों के ले-आउट प्लान की स्वीकृति में कई प्रकरणों में आपत्ति प्राप्त होने या विवाद होने से विलम्ब हुआ है। वर्तमान में तय समय सीमा में कार्य किया जा रहा है।

नगर निगम जयपुर :- राज्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2021 के अन्तर्गत 204 समयावधि के बाहर लम्बित प्रकरण के निस्तारण नहीं किये जाने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ-6( )/आ.मु/सा.प्र/प्र.है.ला/लो.से.गा/ऑडिट/ननिज/15/ 104 दिनांक 03.09.2015 के अनुसार विद्याधर नगर जोन के दोषी कर्मचारी श्री लोकेश कुमार कुमावत कनिष्ठ अभियंता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक विद्युत स्टोर पर 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित कर माह अगस्त 2015 के वेतन से 500/- रू की कटौती की गई (छायाप्रति संलग्न है)। जन्म अथवा मृत्यु, विवाह रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण नही करने पर श्रीमती उपा सांखला उप रजिस्ट्रार (जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन) विद्याधर नगर जोन एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भवनों के नक्शों की स्वीकृति एवं भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों का समयाविधि निस्तारण नही करने पर इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 115 दिनांक 5.01.2021 व 116 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(22) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर के प्रकरण में जन्म अथवा मृत्यु, विवाह पंजीकरण से संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण नही करने पर श्रीमती उपा सांखला, उप रजिस्ट्रार (जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन) विद्याधर नगर जोन एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को भवनों के नक्शों की स्वीकृति एवं भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों का समय अवधि में निस्तारण नही करने पर उक्त दोषी कर्मचारियो के विरूद्व की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से एवं **साथ ही आक्षेपित शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी की सुनिश्चितता कर** समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.2.2.2 : नाम अन्तरण

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भूमि एवं भवनों के विधिक स्वत्वाधिकार हस्तान्तरण की स्वीकृतियां, भूमि व भवनों के मालिकाना हक के विधिक दस्तावेजों तथा सभी तरह की देयताओं के समाशोधन के साथ आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 15 कार्य दिवस में जारी हो जानी चाहिए। यह पाया गया कि लेखापरीक्षा को 'नाम अन्तरण' सेवा के 0.52 प्रतिशत प्रकरणों में विलम्बित होना अवगत कराया गया जबकि नमूना जांच इकाइयों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों (96 गुणा अधिक) में विलम्ब पाया गया। कुछ प्रकरण नीचे वर्णित है:

() नगरपालिका मंडल, चाकसू के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एक आवेदक ने 3 जनवरी 2014 को नाम अन्तरण (भूमि का स्वत्वाधिकार) के लिए आवेदन किया परन्तु उसके लिए स्वीकृति 526 दिवस के विलम्ब के साथ 6 जुलाई 2015 को जारी की गई। विलम्ब मुख्यतया निम्न कारण से था:

- प्रकरण में 'अनापत्ति' मांग हेतु अखबार में प्रकाशन के लिए लगभग 180 दिवस लिया जाना।
- प्रकरण को सामान्य बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श हेतु रखने के निर्णय में 60 दिवसों का असामान्य समय लिया जाना।
- समिति से प्रकरण निस्तारण का सामान्य बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में 120 दिवस से अधिक समय लिया जाना।

() इसी प्रकार, एक अन्य आवेदक ने 'नाम अन्तरण' हेतु नगरपालिका मंडल, चाकसू में 15 अप्रैल 2013 को आवेदन किया परन्तु अनुमोदन 383 दिवस के विलम्ब के साथ 26 मई 2014 को किया गया। मुख्यतया विलम्ब का कारण:

- भू-खण्ड स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (10 जून 2013) प्राप्ति पश्चात् प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत (20 सितम्बर 2013) करने में 90 दिवसों का असामान्य समय लिया गया।
- सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण वांछित शुल्क जमा के पश्चात् अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया (2 अक्टुबर 2013) परन्तु प्रकरण मूल अभिलेख के साथ प्रस्तुत करने की टिप्पणी सहित प्रकरण पत्रावली 90 दिवस पश्चात् लौटा (6 जनवरी 2014) दी गई।
- प्रकरण को मूल अभिलेखों सहित अधिनस्थों को पुनः प्रेषित करने में 60 दिवस से अधिक समय लिया गया (10 मार्च 2014)।

इस प्रकार, 15 कार्य दिवसों की कुल निर्धारित अवधि के विरूद्ध 240 दिवसों से अधिक का विलम्ब बिना किसी उचित कारणों के था। यह सक्षम प्राधिकारी स्तर पर निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदाय नहीं करने में जवाबदेही के साथ-साथ पत्रावली के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण हेतु अधिनस्थ अधिकारी के विरूद्ध पर्याप्त कार्यवाही नहीं करने की कमियों को इंगित करता है।

() नगर निगम, जयपुर के अभिलेखो की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि एक आवेदक ने नाम अन्तरण के लिए 15 जून 2012 को आवेदन किया तथा इसे 301 दिवस के विलम्ब के साथ 2 अगस्त 2013 को जारी किया गया। आवेदक ने आवेदन के साथ सभी वांछित दस्तावेज लगाए थे तथा नगर निगम, जयपुर द्वारा तदन्तर कोई अतिरिक्त अभिलेख/दस्तावेज नहीं मांगे गए। इस प्रकार, इस प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या विलम्ब का कोई कारण नहीं था। यह नगर निगम, जयपुर के संबंधित प्राधिकारी का खराब उत्तरदायी व्यवहार इंगित करता है।

इस प्रकार, संवेदात्मक, उत्तरदायी, जवाबदेही, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने का सेवा प्रदाय अधिनियम/नियमों का मूलतत्व प्राप्त नहीं हुआ।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत नगर निगम, जयपुर का एकमात्र प्रकरण में कुछ विलम्ब हुआ है, जिसके सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा मे वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() नगर निगम जयपुर के संबंध में आक्षेपित प्रकरण में सेवा प्रदाय अधिनियम/नियमों की अवहेलना के स्पष्ट कारणों सहित पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() आक्षेपानुसार अन्य प्रकरणों के संबंध में क्रियान्विति अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

वर्तमान में नगर निगम ग्रेटर जयपुर में प्राप्त नामन्तरण आवेदनों के संबंध में लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा पर किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को समय पर पत्र प्रेषित किये जाते है।

समिति की अभिमत : अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भूमि एवं भवनों के विधिक स्वत्वाधिकार हस्तान्तरण की स्वीकृतियां, भूमि व भवनों के मालिकाना हक के विधिक दस्तावेज़ों तथा सभी तरह की देयताओं के समाशोधन के साथ आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 15 कार्य दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

अनुच्छेद 4.2.2.3 : भवनों के ले-आऊट प्लान की स्वीकृति

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भवनों के ले-आऊट प्लानों हेतु स्वीकृति आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर जारी करनी अपेक्षित थी।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि नमूना जांच किए गए 873 प्रकरणों में से 222 प्रकरणों में भवनों के ले-आऊट प्लानों की स्वीकृति 8 से 1,012 दिवस के मध्य विलम्ब से जारी हुई। विलम्ब का कारण आवेदनों पर कार्यवाही के साथ-साथ अनुमोदन पश्चात् स्वीकृति आदेशों के जारी होने में विलम्ब था। कुछ प्रकरण नीचे वर्णित है:

() नगर परिषद, बाड़मेर में नमूना जांच किए गए 159 प्रकरणों में भवनों के ले-आऊट प्लानों के लिए औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी नहीं हुए थे। स्वीकृतियां आवेदक के द्वारा प्रस्तुत ले-आऊट प्लानों पर केवल अनुमोदित की गई थी। 111 प्रकरणों में भवनों के ले-आऊट प्लानों के लिए स्वीकृति जारी करने की तिथियां पृष्ठांकित नहीं थी, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सेवा निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय की गई थी। आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (जून 2016) कि 48 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में 16 से 734 दिवस के विलम्ब का मुख्य कारण तकनीकी अधिकारियों/भू-अभिलेख शाखा द्वारा प्रकरण पत्रावलियां विलम्ब से प्रस्तुत करना था।

() नगरपालिका मंडल, चाकसू के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एक आवेदक ने भवन के ले-आऊट प्लान की स्वीकृति जारी हेतु 6 जनवरी 2014 को आवेदन किया, परन्तु स्वीकृति 403 दिवस के विलम्ब के साथ 15 मई 2015 को जारी की गई। इसी प्रकार, अन्य आवेदक ने ले-आऊट प्लान के लिए स्वीकृति जारी हेतु 9 जनवरी 2012 को आवेदन किया, परन्तु प्रकरण में 315 दिवस के विलम्ब के साथ स्वीकृति 20 फरवरी 2013 को जारी की गई। विलम्ब का मुख्य कारण तकनीकी कर्मी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करना रहा जो वांछित आदेश के जारी होने के 210 दिवस से अधिक विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया।

तथापि, तथ्य यह है कि नामांकित अधिकारी को विलम्ब के कारणों का विश्लेषण तथा उचित उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए थी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

कोई टिप्पणी प्रेषित नहीं की गई।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

आक्षेपानुसार नगर परिषद् बाड़मेर व नगरपालिका मण्डल चाकसू में क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

समिति की अभिमत : अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भवनों के ले-आऊट प्लानों हेतु स्वीकृति आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुच्छेद 4.2.2.4 : भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण-पत्र जारी करना

अधिनियम 'भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण-पत्र' आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी करने का प्रावधान करता है।

नगर निगम, जयपुर में वर्ष 2011-16 के दौरान प्राप्त भू-उपयोग परिवर्तन के 47 आवेदनों में से 37 आवेदनों का निस्तारण मार्च 2016 तक अर्थात निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी नहीं हुआ था।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2016) कि सेवाओं के प्रदाय में विलम्ब के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। अग्रेतर, अधिसूचित सेवाओं के ऑन-लाइन प्रदाय के लिए स्मार्टराज परियोजना प्रगतिरत थी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित अवधि वर्ष 2011-16 के दौरान प्राप्त भू-उपयोग परिवर्तन के 47 आवेदनों में से 37 आवेदन पत्रों का निस्तारण 31 मार्च 2016 तक नहीं होने के प्रमुख कारण संबंधित आवेदनकर्ताओं द्वारा वांछित अभिलेख सूचना/विवरण आदि

प्रस्तुत न करना एवं इस हेतु भवन निर्माण समिति में निर्णय न होने के कारण नहीं हो पाये। इस संदर्भ में भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति जारी करने में सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() आक्षेप में वर्णित 37 प्रकरणों में क्या सभी आवेदनकर्ताओं द्वारा वांछित अभिलेख सूचना/विवरण प्रस्तुत नहीं किये थें? समय रहते आवेदनों में कमियों के बारे में विभाग द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये थे? जिससे कि प्रदाय सेवाओं में अत्यधिक विलम्ब न हो, अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति जारी करने में सुधार हेतू संबंधित अनुभाग को दिये गये निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर निगम जयपुर :- जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समय पर किया जाता है।

समिति की अभिमत : के प्रावधानों के अनुसार, 'भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण-पत्र' आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

अनुच्छेद 4.2.2.5 : प्रथम अपील

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम की धारा 6 प्रावधित करती है कि एक व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो या जिसे निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदाय नहीं की गई हो वह 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने प्रथम अपील के निपटान के लिए 21 दिवस की समय-सीमा निर्धारित (अक्टूबर 2011) की है।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि 70 प्रथम अपीलों (नवम्बर 2011 से मार्च 2016 के दौरान) मे से 19 अपीलें (27 प्रतिशत) निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित नहीं की गई थी। विलम्ब तीन से 67 दिवस के मध्य था।

नगर निगम, जयपुर और नगर परिषद, अलवर को छोड़कर किसी भी नमूना जांच की गई इकाइयों में प्रथम अपील का कोई प्रकरण नहीं था। नगर निगम, जयपुर में 70 अपील के प्रकरण और नगर परिषद, अलवर में एक प्रकरण अधिनियम क्रियान्वयन के चार साल बाद पाए गए। यह दर्शाता है कि अधिनियम के तहत लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित अवधि वर्ष 2011-16 के दौरान प्राप्त 19 अपीलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं हो पाया। इस संदर्भ में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद, अलवर : आम जनता में अधिनियम की जानकारी का अभाव एवं कर्मचारियों को अधिनियम का प्रशिक्षण के अभाव में नगर परिषद, अलवर में प्रथम अपील का एक प्रकरण पाया गया। अधिनियम के संबंध में पूर्ण जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() आक्षेपित 19 अपीलों के निस्तारण के संबंध में संबंधित अनुभाग को दिये गये निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

() अधिनियम के तहत लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करने हेतू नगर निगम, जयपुर द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये? अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() नगर परिषद्, अलवर में कर्मचारियों को अधिनियम का प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? कर्मचारियों को अधिनियम के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं होना क्या औचित्यपूर्ण था? अवगत करावें।

() अधिनियम के तहत लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करने हेतू नगर परिषद्, अलवर द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये? अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर निगम जयपुर :- वर्तमान में नगर निगम ग्रेटर जयपुर में अपीलार्थियों द्वारा दायर प्रथम अपीलों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर किया जा रहा है।

नगर परिषद, अलवर : को अधिनियम से संबंधित जयपुर मुख्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार के दिशा- निर्देश प्राप्त नही हुये और ना ही अधिनियम से संबंधित कोई प्रशिक्षण का प्रोग्राम निर्धारित किया गया था जिस कारण कर्मचारियों को अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण दिये जाने का अभाव रहा।

समिति की अभिमत : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपील का निपटान 21 दिवस की निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

अनुच्छेद 4.2.2.6 : द्वितीय अपील

अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार, प्रथम अपील के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रथम अपील के निर्णय के 60 दिवस के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को पेश की जा सकती है। तथापि, राज्य सरकार (प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग) ने द्वितीय अपील के निपटान हेतु समय अवधि अधिसूचित नहीं की है।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जन स्वास्थ्य सेवाओं (जल निकास की सफाई) से संबंधित दो अपीलें (जनवरी 2012 और मार्च 2012) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को पेश की गई लेकिन अपील पर चार साल की अवधि के बाद भी निर्णय नहीं हुआ था (मई 2016)।

द्वितीय अपील के निपटान हेतु समय-सीमा निर्धारण के अभाव में, नागरिक अगले अपीलीय स्तर यानी पुनरीक्षण अधिकारी तक पहुंचने से वंचित रहे।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित अवधि वर्ष 2011-16 के दौरान प्राप्त 2 अपीलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं हो पाया। इस संदर्भ में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() आक्षेपानुसार द्वितीय अपील के प्रकरण के संबंध में संबंधित अनुभाग को दिये गये निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है तथा पैरे में वर्णित निर्देशानुसार की जा रही कार्यवाही के पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() द्वितीय अपील के निपटान हेतु समय-सीमा निर्धारण के संबंध में कार्यवाही की प्रगति/परिणामों से अवगत करावें ताकि नागरिक अगले अपीलीय स्तर यानी पुनरीक्षण अधिकारी तक पहुंचने से वंचित नहीं रहें।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर निगम जयपुर :- लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत वर्तमान में नगर निगम ग्रेटर जयपुर में अपीलार्थियों द्वारा दायर द्वितीय अपीलों की सुनवाई माननीय द्वितीय अपीलाधिकारी (बोर्ड) द्वारा समय सीमा के अन्दर सुनवाई की जाती है।

समिति की अभिमत : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय अपील का निपटान समुचित समय के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय की केन्द्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली

अनुच्छेद 4.2.2.7 : प्रभावी अध्ययन

सुशासन हेतु केन्द्र, एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रभावी अध्ययन[40] किया गया और प्रतिवेदन का प्रकाशन (नवम्बर 2013) किया गया। संस्थान ने प्रतिवेदित किया कि अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में नागरिकों और सेवा प्रदाताओं का जागरूकता स्तर बहुत कम था और लोक सेवा के प्रभावी प्रदाय में वित्तीय और जनशक्ति की कमी प्रमुख बाधाओं के रूप में पाई गई। संस्थान द्वारा सेवा प्रदाय करने की प्रणाली में सुधार हेतु आवेदन और सेवाओं के प्रदाय के आन-लाइन प्रस्तुतीकरण पर जोर दिया गया। संवीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने जनशक्ति की तैनाती और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

---

40 प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत कार्मिक मंत्रालय विभाग, लोक शिकायत और पेंशन भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रभावी अध्ययन प्रायोजित किया गया था।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2016) कि अधिनियम के प्रसार के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गए थे लेकिन अपेक्षित जनशक्ति की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

प्रभावी अध्ययन की सिफारिशानुसार यदि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग अधिनियम के क्रियान्वयन में सुधार के लिए प्रभावी कार्यवाही करता तो प्रदाय प्रणाली में सुधार हुआ होता।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय की समय सीमा के भीतर कार्य किए जाने हेतु नगर निगम द्वारा सतत् प्रयास किए जा रहे है एवं इस संदर्भ में आवयक सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में नागरिकों एवं सेवा प्रदाताओं का जागरूकता स्तर बहुत कम था। जनशक्ति की कमी के कारण भी अधिनिरयम की क्रियान्वित समय पर नहीं हो पायी। बाद में सुधार कर लिया गया है। वर्तमान में व्यवस्थाएं सही हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() तत्समय प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग द्वारा जनशक्ति की तैनाती और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने के क्या कारण रहें | अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() क्रियान्विति अनुसार आक्षेप के संबंध में, बाद में सुधार कर लिया गया है तथा वर्तमान में व्यवस्थाएं सही हैं, के पूर्ण विवरण से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

समिति की अभिमत : राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग द्वारा नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समुचित/सार्थक प्रयास किये जायेंगे।

अनुच्छेद 4.2.2.8 : मूलभूत अभिलेखों/पंजिकाओं का संधारण

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के नियम 17 के अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान के अभिलेख नामांकित अधिकारियों,

प्रथम अपीलीय अधिकारियों और द्वितीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा फार्म-3 में संधारित किए जाएंगे।

चयनित 10 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि:

- अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए नमूना जांच की गई छः शहरी स्थानीय निकायों[41] ने अभिलेख संधारित नहीं किए।
- नगर निगम, जयपुर और नगर परिषद, बालोतरा ने जन्म/मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण सेवा को छोड़कर अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए अभिलेख संधारित नहीं किए।

इस प्रकार, निर्धारित अभिलेखों के अभाव में, आवेदकों को प्रदत्त सेवाओं से संबंधित डॅाटा की वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय के लिए मूलभूत अभिलेखों/पंजिकाओं के संधारण हेतु संबंधित अनुभागों को निर्देशित कर दिया गया है। नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्तमान में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन हेतु अलग से मुख्यालय स्तर पर भवन आरक्षित कर दिया गया है। जोन स्तरों पर भी इस हेतु हेल्पलाईन के माध्यम से एकल खिडकी योजना सतत् रूप से संचालित है। इस विषय में आम नागरिक को आवश्यक सेवाओं हेतु किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इस हेतु कार्य किए जाने हेतु संबंधित कार्मिकों को निर्देश जारी किए जाते रहे है। नगर निगम की अन्य सेवाओं यथा भवन के ले-आउट प्लान, पट्टा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाए, भवनों के नक्शा आदि के संबंध में मुख्यद्वार के पास में अलग से हेल्पलाईन सेवाएं शुरू की जा चुकी है। अग्निशमन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र वर्तमान में ऑन-लाईन स्वीकार किए जा रहे है तथा इनका निस्तारण भी ऑन-लाईन हो रहा है। इस संदर्भ में निगम द्वारा समस्त सेवाओं में आवयक सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आम नागरिकों को अधिनियम में वर्णित सेवाओं की समय सीमा के भीतर कार्य किए जाने हेतु नगर निगम द्वारा पूर्ण प्रयास किए जा रहे है एवं इस संदर्भ में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

41 नगर निगमः उदयपुर, नगर परिषदः अलवर और भिवाडी (अलवर), नगरपालिका मंडलः बगरू, (जयपुर) राजगढ (अलवर) और सलूम्बर (उदयपुर)।

प्रारम्भ में अभिलेख संधारण में समस्याएं आयी थी, जिनको धीरे-धीरे सुधार कर लिया गया है। वर्तमान में व्यवस्थाएं सही हैं।

नगर पालिका, चाकसू - वर्तमान में नगर पालिका, चाकसू में पंजिकाओं का संधारण किया जा रहा है।

नगरपालिका, सलुम्बर - नगरपालिका, सलुम्बर द्वारा मूलभूत अभिलेखों/पंजिकाओं का संधारण समय-समय पर किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की पालना की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() नगर निगम, जयपुर में तत्समय जन्म/मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण सेवा को छोड़कर अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए अभिलेख संधारित नहीं किये जाने के क्या कारण रहें? तथा वर्तमान में इस संबंध में संबंधित अनुभागों के दिये गये निर्देशों की अनुपालना के संबंध में पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() नगर निगम, उदयपुर, नगर परिषद, बालोतरा, अलवर और भिवाड़ी (अलवर), नगरपालिका मंडल, बगरू (जयपुर) और राजगढ़ (अलवर) द्वारा आक्षेपानुसार क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() अनुपालनानुसार नगरपालिका मण्डल, सलुम्बर में अभिलेखों का संधारण समय-समय पर किया जा रहा है तथा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की पालना की जा रही है, के संबंध में साक्ष्यों सहित पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() नगरपालिका मण्डल, सलुम्बर द्वारा तत्समय आक्षेपानुसार किसी भी अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान के अभिलेख संधारित नहीं करने के क्या कारण रहे? अवगत करावें।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर निगम जयपुरः-राजस्थान लोक सेवा गारटी अधिनियम 2011 के नियम 17 के अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान के अभिलेख नामांकित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा फर्म 3 में संधारित किये जा रहे है एवं जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन सेवा तथा अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान के अभिलेख प्राधिकारी

अधिकारी के संरक्षण में संधारित किये जा रहे है। नगरपालिका, सलुम्बर-नगरपालिका, सलुम्बर द्वारा मूलभूत अभिलेखों/पंजिकाओं का संधारण समय- समय पर किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की पालना की जा रही है।

समिति की अभिमत : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के लिए अभिलेखों का संधारण निर्धारित प्रारूपो में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुच्छेद 4.2.2.9 : केन्द्रीकृत अनुश्रवण

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के नियम 18 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और अधिसूचित सेवाओं के समय पर प्रदाय के लिए एक केन्द्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली शुरू की जानी अपेक्षित थी।

राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने अधिसूचित सेवाओं के अनुश्रवण हेतु आन-लाइन प्रगति प्राप्ति के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित (जून 2012) किया। यद्यपि, जून 2014 से पोर्टल गैर परिचालित हो गया क्योंकि प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल का ई-मित्र और राज सम्पर्क के साथ विलय कर दिया था। तथापि, यह पाया गया कि ई-मित्र स्वायत्त शासन विभाग की केवल एक ही सेवा (विभिन्न बकाया/शुल्क का भुगतान) का व्यवहार कर रहा था और राज सम्पर्क राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय के बजाय सभी सरकारी विभागों के संबंध में सभी सामान्य लोक शिकायतों का पंजीकरण करने के लिए कार्य कर रहा था। अग्रेतर, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के डाटा दोनों पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, एचसीएम, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किए गए प्रभावी अध्ययन में यथा अनुशंसित सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार हेतु पोर्टल आन-लाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण तथा सेवाओं के प्रदाय के उद्देश्य प्रदान नहीं कर सके।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्तमान में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन हेतु अलग से मुख्यालय स्तर पर भवन आरक्षित कर दिया गया है। जोन स्तरों पर भी इस हेतु हेल्पलाईन के माध्यम से एकल खिड़की योजना चालू है। इस विषय में

आम नागरिक को आवश्यक सेवाओं हेतु किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इस हेतु कार्य किए जाने हेतु संबंधित कार्मिकों को निर्देश जारी किए जाते रहे है। नगर निगम की अन्य सेवाओं यथा भवन के ले-आउट प्लान, पट्टा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, भवनों के नक्शा आदि के संबंध में मुख्यद्वारा के पास में अलग से हेल्पलाईन सेवाए शुरू की जा चुकी है। अग्निशमन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र वर्तमान में ऑन-लाईन स्वीकार किए जा रहे है तथा इनका निस्तारण भी ऑन-लाईन हो रहा है। इस संदर्भ में निगम द्वारा समस्त सेवाओं में आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही आम नागरिकों को अधिनियम में वर्णित सेवाओं की समय सीमा के भीतर कार्य किए जाने हेतु नगर निगम द्वारा सतत् प्रयास किए जा रहे है एंव इस संदर्भ में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अनुभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में राजस्थान संपर्क पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट किये जाने का प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी कतिपय प्रकरणों को छोड़कर समस्त प्रकरण निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जा रहे हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल का ई-मित्र और राज सम्पर्क के साथ विलय करने के बाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के डाटा दोनों पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण रहे? पूर्ण विवरण अपेक्षित है।

() अनुपालनानुसार कौन से प्रकरणों को छोड़कर समस्त प्रकरण निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जा रहे है? पूर्ण विवरण अपेक्षित है।

() वर्तमान में विभाग द्वारा अनुशंसित सेवा प्रदान करने की प्रणाली हेतु पोर्टल आन-लाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण तथा सेवाओं के प्रदाय के उद्देश्य प्रदान किया जावें।

समिति की अभिमत: राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के समय पर प्रदाय के लिए एक केन्द्रीकृत अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जावे एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अनुच्छेद 4.2.2.10 : पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

जिला कलेक्टर को आवेदनों की प्राप्ति, लम्बित आवेदन और निर्धारित समय-सीमा में व समय-सीमा के बाद निस्तारण का पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह के 5वें और 20वें दिवस को प्रस्तुत करने हेतु नामांकित अधिकारी को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्देशित

(फरवरी 2012) किया गया। जिला कलेक्टर, नामांकित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पाक्षिक प्रतिवेदनों के विश्लेषण के माध्यम से अनुश्रवण के लिए और आगे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार था।

संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2011-16 के दौरान नगर परिषद, भिवाड़ी (अलवर) नगरपालिका मंडल, बगरू (जयपुर), राजगढ़ (अलवर) और सलूम्बर (उदयपुर) के नामांकित अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए, जबकि नगर परिषद, अलवर द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन किए बिना पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर परिषद, अलवर द्वारा कुछ देरी से परन्तु पाक्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक पाक्षिक श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया गया है। अब नियमित भिजवाये जा रहे हैं।

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर - निवेदन है कि पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चाही जाने पर प्रगति भिजवाई गई है। अब पाक्षिक प्रतिवेदन नियमित जिला कलक्टर महोदय को भेजे जाने की पालना की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() अनुपालनानुसार नगरपालिका, सलुम्बर द्वारा पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चाहे जाने पर भिजवाने के संबंध में वर्ष 2011-2016 में भिजवाये गये प्रतिवेदनों से साक्ष्यों सहित अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

() नगर परिषद्, अलवर द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन किए बिना पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कारणों का समावेश अन्तिम क्रियान्विति में किया जाना अपेक्षित है।

() आक्षेपानुसार नगर परिषद, भिवाड़ी (अलवर) नगरपालिका मंडल, बगरू (जयपुर), और राजगढ़ (अलवर) के नामांकित अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर परिषद अलवर प्रशिक्षित कार्मिको का अभाव एवं कार्यरत कार्मिको का अन्य अतिआवश्यक कार्यो में व्यस्त होने के कारण निर्धारित समय सीमा का पालन पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में

नही किया गया जा सका। इस कार्यालय में अधिनियम की समीक्षा उपरान्त पाक्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में नियमित रूप से भिजवाये जा रहे है एवं भविष्य में भी निर्धारित समय सीमा में भिजवाया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है।

नगर निगम जयपुर :- नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा लोक सेवाओं की गांरटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत समय सीमा के बाहर व समय सीमा के अन्दर लंबित प्रकरणों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह में श्रीमान सहायक निदेशक लोक सेवाए कलेक्ट्रेट जयपुर को भिजवायी जा रही है।

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर - पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चाही जाने पर प्रगति भिजवाई गई है। अब पाक्षिक प्रतिवेदन नियमित जिला कलक्टर महोदय को भेजे जाने की पालना की जा रही है।

समिति का अभिमत: समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि नगर परिषद एवं नगरपालिका मंडल के नामांकित अधिकारियों द्वारा पाक्षिक प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को निर्धारित समय-सीमा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

जन जागरूकता के लिए प्रचार/विज्ञापन एवं संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

अनुच्छेद 4.2.2.11 : प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 का नियम 20 प्रावधित करता है कि राज्य सरकार नामांकित अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अग्रेतर, अधिनियम के अनुसार, अधिसूचित सेवाओं की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार कार्यक्रमों का विकास और नागरिकों में विशेष रूप से वंचित समुदायों की बीच जागरूकता और समझ विकसित करने के लिए अभियानों का आयोजन करेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

() नमूना जांच की गई सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान नामांकित अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया।

() जयपुर जिले की नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान विज्ञापनों, अभियानों तथा सार्वजनिक बैठकों इत्यादि द्वारा नागरिकों के बीच जागरूकता

पैदा करने हेतु व्यय नहीं किया गया। अलवर और उदयपुर जिलों से इस संबंध में सूचना मांगी गई लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की सही क्रियान्वित हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव रहा। विज्ञापनों, अभियानों एवं सार्वजनिक बैठकों के अभाव में शुरू में कुछ परेशानी एवं देरी हुयी। बाद में इसकी पूर्ण पालना की गयी। प्रारम्भ में अभिलेख संधारण सही नहीं कर पाने के कारण लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो पाया।

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर - निवेदन है कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 का प्रशिक्षण पालिका कार्मिकों को दिया जा रहा है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() आक्षेपानुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान नामांकित अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाना क्या औचित्यपूर्ण है? स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

() आक्षेपानुसार जयपुर जिले में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु कोई व्यय नहीं किया जाना क्या औचित्यपूर्ण था? स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

() आक्षेपानुसार वांछित सूचना अलवर और उदयपुर जिलों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाने के क्या कारण रहे? उक्त सूचना से लेखापरीक्षा को अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर-लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 का प्रशिक्षण पालिका कार्मिकों को दिया जा रहा है।

समिति का अभिमत : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार नामांकित अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नागरिकों के बीच जागरूकता और समझ विकसित करने के लिए अभियानों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 4.2.2.12 : सूचना का प्रदर्शन

अधिनियम के नियम 7 के अनुसार, नामांकित अधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रासंगिक सूचना का प्रदर्शन आम जनता की सुविधा के लिए कार्यालय के एक विशिष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर किया जाना अपेक्षित था। नमूना जांच की गई सात शहरी स्थानीय निकायों[42] ने नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रदर्शित नहीं की।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित निर्देशानुसार सूचना का प्रदर्शन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद बाडमेर :- नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर अधिनियम के अनुसार अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रासांगिक सूचना प्रदर्शित की जा रही है।

नगर परिषद, अलवर के नोटिस बोर्ड पर सूचना का प्रदर्शन किया गया था, परन्तु कुछ देरी हुयी थी, क्योंकि अधिनियम की संपूर्ण जानकारी नहीं थी।

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर- निवेदन है कि नगरपालिका, सलुम्बर द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की सूचना नोटिस बोर्ड आदि पर प्रदर्शित किया गया है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

तत्समय आक्षेपित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रदर्शित नहीं करने के क्या कारण रहे? तथा वर्तमान में इस हेतू किये गये प्रयासो/परिणामों के पूर्ण विवरण/क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर- नगरपालिका, सलुम्बर द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की सूचना नोटिस बोर्ड आदि पर प्रदर्शित किया गया है।

---

[42] नगर निगम: उदयपुर, नगर परिषद: अलवर एवं बाड़मेर और नगरपालिका मंडल: बगरू, चाकसू (जयपुर), राजगढ (अलवर) एवं सलूम्बर (उदयपुर)।

समिति का अभिमत : अधिनियम के अनुसार, नामांकित अधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रासंगिक सूचना का प्रदर्शन आम जनता की सुविधा के लिए विशिष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 4.2.2.13 : आवेदन पत्रों की पावती जारी करना

अधिनियम की धारा 5 और राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 का नियम 4 प्रावधित करते हैं कि आवेदन-पत्रों की पावती आवेदक को जारी की जाएगी। नमूना जांच की गई तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कुछ सेवाओं[43] के लिए आवेदन-पत्रों की पावती जारी की गई, जबकि, शेष सात शहरी स्थानीय निकायों[44] द्वारा किसी भी नामित सेवाओं के लिए पावती जारी नहीं की गई।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 19.08.2019) :

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित सूचनानुसार नगर निगम, जयपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद बालोतरा द्वारा आक्षेपानुसार एवं लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार नगर परिषद में उपरोक्त सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों की रसीद जारी की जा रही है।

नगर परिषद बाडमेर :- वर्तमान में अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की पावती दी जा रही है। अधिनियम के प्रारम्भ में पावती जारी नहीं की गयी थी, जिसे बाद में चालू कर दिया गया था।

नगर पालिका, चाकसू - इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि उपरोक्त आक्षेप के संबंध में सुधार हेतु संबंधित शाखा को निर्देशित कर दिया गया है।

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर - निवेदन है कि नगरपालिका, सलुम्बर द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 प्राप्त आवेदनों पत्रों की पावती संबंधित को उपलब्ध कराई जा रही है।

---

43 नगर निगम: जयपुर (जन्म/मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करना), नगर परिषद: बालोतरा (जन्म/मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण और बयाना राशि के भुगतान का पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना) और नगरपालिका मंडल: बगरू (जन्म/मृत्यु पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करना)।

44 नगर निगम: उदयपुर, नगर परिषद: अलवर, भिवाड़ी (अलवर) एवं बाड़मेर और नगरपालिका मंडल: चाकसू, राजगढ़ (अलवर) और सलूम्बर।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

() आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल, बगरू एवं राजगढ़ (अलवर), नगर निगम, उदयपुर, नगर परिषद, अलवर एवं भिवाड़ी (अलवर) से आक्षेपानुसार क्रियान्विति अपेक्षित है।

() नगर निगम जयपुर द्वारा आक्षेप के संबंध में की जा रही कार्यवाही, नगर परिषद् बालोतरा, बाड़मेर एवं नगरपालिका सलुम्बर में पावती जारी कब से की जा रही है, तथा नगरपालिका चाकसू द्वारा संबंधित शाखा को दिये गये निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने के साथ ही उपरोक्त के पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही उक्त प्रक्रिया तत्समय से नहीं अपनाने के कारणों का समावेश अन्तिम क्रियान्विति में किया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर परिषद बालोतरा द्वारा आक्षेपानुसार एवं लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार नगर परिषद में उपरोक्त सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति रसीदें दिनांक 13.08.2015 से जारी की जा रही है। जिनके साक्ष्य में प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियाँ सलंग्न है।

नगरपालिका मण्डल सलुम्बर द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 प्राप्त आवेदन पत्रों की पावती संबंधित को उपलब्ध कराई जा रही है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(23) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल, बगरू एवं राजगढ़ (अलवर), नगर निगम, उदयपुर, नगर परिषद, अलवर एवं भिवाड़ी (अलवर) की क्रियान्विति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.2.3 : निष्कर्ष

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 13.03 प्रतिशत प्रकरणों में विलम्ब हुआ और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासित ग्यारह अधिसूचित सेवाओं में पांच से 1,628 दिवस का विलम्ब था। यदि जन्म/मृत्यु और विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने की सामान्य सेवाओं को बाहर रखा जाए, तो औसत विलम्ब और अधिक हो जाएगा। लेखापरीक्षा आधारित विस्तृत जांच में पाई गई 13.03 प्रतिशत (सभी ग्यारह सेवाओं के लिए) प्रकरणों के विरूद्ध शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार केवल 0.49 प्रतिशत प्रकरणों में भी विलम्ब था। विलम्ब की सही स्थिति का पता

लगाने में असमर्थता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा अनुश्रवण और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की कमजोरियों को इंगित करता है। अग्रेतर, प्रथम अपील के केवल 71 प्रकरण और द्वितीय अपील के दो प्रकरण दर्ज किए गए जो स्पष्ट करते हैं कि नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने और अधिनियम के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी नामांकित/अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये थे।

अनुच्छेद 4.2.4 : अनुशंसाए

1. राज्य सरकार को विलम्ब को नियंत्रित करने हेतु उचित अनुश्रवण द्वारा प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए तथा सेवाओं के प्रदाय एवं आवेदन-पत्र प्राप्ति हेतु ऑन-लाइन प्रणाली को लागू करना चाहिए, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

2. राज्य सरकार को द्वितीय अपीलीय प्रकरणों को निर्णीत करने हेतु समय-सीमा अधिसूचित करनी चाहिए।

3. राज्य सरकार को नामांकित/अपीलीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए तथा अधिनियम के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 26.09.2019) :

आक्षेप में की गई अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा क्या कोई पुख्ता कार्यवाही की जा रही है। जिससे की इस तरह के आक्षेप भविष्य में गठित नही हो पूर्ण विवरण अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाऐं तथा भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाईसेंस, यू.डी. टैक्स, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, मोबाईल टॉवर, अप्रूवल, नाम हस्तान्तरण, भूमि रूपान्तरण (90-ए), प्रोपर्टी आई.डी आदि की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न अन्य सेवा यथा पुनर्गठन-उपविभाजन, सामूदायिक केन्द्रों की बुकिंग, ई-नीलामी, एक मुश्त राशि लेकर पट्टा जारी करना आदि सेवाओं का सूचना एवं प्रौधोगिक विभाग द्वारा ऑनलाईन किये जाने का कार्य प्रगतिशील हैं।

समिति की सिफारिश : कोई सिफारिश नही ।

अनुच्छेद 4.3 : शहरी विकास कर की वसूली का अभाव

नगरीय निकायों द्वारा वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के परिणामस्वरूप रूपये 202.47 करोड़ के शहरी विकास कर की वसूली का अभाव।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट दरों एवं दिनांक से नगरपालिका क्षेत्रों में शहरी विकास कर के उद्ग्रहण के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी की (अगस्त 2007)। अग्रेतर, स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी विकास कर के उद्ग्रहण की दरें एवं गणना के लिए सूत्र अधिसूचित किए (अगस्त/नवम्बर 2007)। उक्त अधिसूचना का अनुच्छेद 6 प्रावधित करता है कि शहरी विकास कर वर्ष की प्रथम छमाही में जिससे कर संबंधित है अग्रिम देय है एवं कर जमा कराने में विफलता के प्रकरण में बकाया राशि पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात कर जमा नहीं कराने के प्रकरण में, पूरे वर्ष अथवा उसके भागए जिसके लिए राशि बकाया हो 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी।

तीन नगर निगमों[45] एवं 10 नगर परिषदों[46] के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2016) के दौरान यह प्रकट हुआ कि 2007-08 से 2015-16 (जनवरी 2016 तक) की अवधि के लिए कुल रूपये 240.23 करोड़ का शहरी विकास कर वसूली योग्य था जबकि केवल रूपये 37.76 करोड़ (15.72 प्रतिशत) ही वसूल किया गया एवं रूपये 202.47 करोड़ बकाया (*परिशिष्ट-*) रहा। यह दर्शाता है कि वसूली की स्थिति बहुत खराब थी तथा बकाया शहरी विकास कर की वसूली हेतु नगरीय निकायों ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किए।

सभी 13 नगरीय निकायों के ध्यान में लाए जाने पर, सात नगरीय निकायों[47] के प्राधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (जून 2014-जनवरी 2016) कि शहरी विकास कर की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित व्यक्तियों को नोटिस/मांग पत्र जारी किए गए हैं। शहरी विकास कर की गैर-वसूली के लिए कर्मचारियों की कमी/खाली पदों/सर्वेक्षण के अभाव को जिम्मेदार ठहराया गया। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि नगरीय निकायों द्वारा सरकारी राजस्व के शीघ्र निर्धारण, वसूली और संग्रहण हेतु अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए थे।

इस प्रकार, नगरीय निकाय अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सके, परिणामस्वरूप रूपये 202.47 करोड़ के शहरी विकास कर की वसूली का अभाव रहा।

---

[45] नगर निगम: बीकानेर, जोधपुर और कोटा।

[46] नगर परिषद: अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर, गंगापुरसिटी, करौली, पाली, प्रतापगढ और टोंक।

[47] नगर निगम: तीन (बीकानेर, जोधपुर और कोटा), नगर परिषद: चार (भीलवाड़ा, चूरू, करौली और टोंक)।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (मार्च 2016) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 16.07.2019) :

नगर निगम जोधपुर :- नगर निगम द्वारा प्रयास किया जाकर वर्ष 2007-08 से वर्ष 2017-18 की अवधि में शहरी विकास कर की वसूली की मांग राशि रू. 1,43,76,05,202/- के विरुद्ध शहरी विकास कर की वसूली राशि रू. 57,28,19,538/- की वसूली कर ली गई है। अर्थात कुल मांग राशि के विरुद्ध प्राप्त राशि 39.85 प्रतिशत रही है। नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर की राशि की वसूली सीमित संसाधनों (स्टाफ) के बावजूद सतत् प्रयासों से लक्ष्य के अनुरूप वसूली के प्रयास निरन्तर रूप से किये जा रहे है एवं भविष्य में भी शत-प्रतिशत वसूली हेतु प्रयासरत् रहेगा ।

नगर परिषद पाली :- उक्त आक्षेप के संबंध में नगर परिषद् पाली के वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में बकाया नगरीय विकास कर की राशि रू. 1.49 करोड़ व विभिन्न वर्षो की 2017-18 तक की मांग राशि रू. 2.07 करोड़ सहित कुल नगरीय विकास कर की राशि रू. 3.56 करोड़ के विरूद्ध परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक राशि रू. 1.86 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। अब राशि रू. 1.70 करोड़ बकाया हैं। उक्त राशि वसूली हेतु संबंधित बकायादारों को परिषद द्वारा नोटिस जारी किये जाकर वसूली की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

नगर परिषद टोंक :- विकास कर की वर्ष 2013-14 से 2017-18 की इस परिषद की स्थिति निम्न प्रकार है।

(राशि रू. लाखों में)

वर्ष	प्रारम्भ में बकाया	चालू वर्ष की मांग	योग	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
2013-14	7.92	10.08	18.00	4.40	13.60
2014-15	13.60	10.26	23.86	13.06	10.70
2015-16	10.70	25.87	36.57	13.32	23.25
2016-17	23.25	25.88	49.13	22.77	26.36
2017-18	26.36	33.10	59.46	22.54	36.92

परिषद में स्टाफ की कमी के बावजूद सघन प्रयास कर वर्ष 2017-18 में 22.54 लाख रूपये की वसूली की गई है। शेष राशि वसूली की ठोस कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद भीलवाडा :- शहरी विकास कर की वसूल की गई राशि का विवरण :-

वर्ष	वर्ष 2016 - 17 में आय वसूली	2017-18 में आय वसूली	योग

2007-08	122091	103490	225581
2008-09	152831	129807	282638
2009-10	169776	333254	503030
2010-11	272405	38770	657175
2011-12	499308	713606	1212914
2012-13	559119	821058	1390177
2013-14	751016	942615	1693631
2014-15	971755	1162996	2134751
कुल योग	**3498301**	**4601596**	**8099897**

उपरोक्तानुसार वर्ष 2014-15 तक बकाया विकास कर की राशि 9.54 करोड़ रूपये में से वर्ष 31.03.2018 तक 80,99,897/- रूपये राशि विकास कर की वसूल कर राजकोष में जमा करा ली गई है। शेष बकाया राशि 8,72,77,886/- रूपये की वसूली हेतु संबंधित को नोटिस/मांग पत्र जारी किये गये है एवम् वसूली हेतु पूर्ण प्रयास जारी है।

नगर परिषद करौली :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) नियम 2007 दिनांक 29.08.2007 से प्रभावी किया गया है। जिसकी पालना में पालिका द्वारा NGO से सर्वे का कार्य कराया गया था। वर्ष 2007-08 में नगरीय विकास कर योग्य संबंधी प्रकरण की संख्या 396 थी जिस पर नगरीय विकास कर की राशि 2,29,617 रूपये निर्धारित कर निम्न प्रकार वसूली की कार्यवाही की गई थी ऑडिट द्वारा बकाया राशि 19.64 लाख अंकित किया गया है। ऑडिट दल द्वारा वर्ष 2013-14 में पैरा 9 में बकाया राशि 17,33,948 में वर्ष 2014-15 की मांग राशि 2,29,617 रू. को जोड़ते हुए कुल राशि 19,63,565/- होती है। जिसके आधार पर पैरा गठित किया गया है। लेकिन निर्धारित वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक 07 वर्ष कुल मांग राशि 16,07,319 होती है। जिसके विरूद्ध परिषद द्वारा 11,42,122/- की वसूली की गई थी।

उपरोक्त राशि 11,43,122/- रू की नगरीय विकास कर की वसूली की जा चुकी है। 2007-08 से 2017-18 तक 11 वर्ष की मांग राशि 25,25,787/- रू में से 11,43,122/- रू कम करते हुये शेष राशि 13,82,665/- रहती है। जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद बांसवाड़ा :- आलोच्य अवधि में नगरीय विकास कर में वर्ष 2007-08 से 2018-19 में चिन्हित सम्पत्तियों में वार्षिक मांग राशि रू 8.02 लाख की उक्त अवधि 2007-08 से 2018-19 तक कुल बकाया राशि रू 325.29 लाख में से राशि रू. 25.56 लाख वसूली की गई है शेष राशि वसूली हेतु नोटिस जारी किए गये है एवं बकाया वसूली के प्रयास किए जा रहे है।

नगर परिषद चूरू :- सीएजी ऑडिट द्वारा शहरी विकास कर राशि रू. 343.90 लाख बकाया का जो आक्षेप लिया गया है। परिषद द्वारा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक 28.99 लाख, 2017-18 में 19.27 लाख व चालू वर्ष में 11.00 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 90.40 लाख रूपये वसूल किये जा चुके हैं। बकाया वसूली हेतु संबंधित को नोटिस जारी किये जाकर वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद प्रतापगढ़ :- परिषद द्वारा पर शहरी विकास कर वसूली का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। सभी संबंधितों को नोटिस जारी किये गये हैं वर्ष 2016-17 में राशि रू. 2.22 लाख वर्ष 2017-2018 में राशि रू. 9.14 लाख रूपये तथा वर्ष 2018-19 में राशि रू 9.5 लाख की वसूली की गई है। शेष राशि की वसूली के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

नगर निगम कोटा :- नगर निगम कोटा में कतिपय कारणों एवं राजनैतिक विरोध के चलते गृहकर अधिरोपित नहीं किया जा सका। परन्तु गृहकर के लिये पूर्व में आरयूआईडीपी के तहत वर्ष 2005 में ओसवाल डाटा प्रोसेस द्वारा कर योग्य सम्पत्तियों का सर्वे कराया गया था।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6275 दिनांक 29.08.2007 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम 2007, प्रवृत्त किये गये है जो कि सभी नगर पालिका क्षेत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 104 के अधीन वसूलनीय है। उपरोक्तानुसार किये गये सर्वे को ही आधार मानकर वर्ष 2007 से नगरीय विकास कर नियमों के अनुसार कर योग्य सम्पत्तियों के स्वामियों के बिल जारी किये गये थे तथा उन बिलों के पीछे ही पृष्ठांकन कर सम्पत्ति स्वामियों से जारी बिलों पर आपत्ति मांगी गई थी।

संबंधित सम्पत्ति स्वामियों से नगरीय विकास कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिये भी मांगा गया था। लेकिन कोटा शहर में नगरीय विकास कर नहीं देने की प्रवृत्ति एवं जन विरोध के कारण अधिकांश सम्पत्ति स्वामियों द्वारा नगरीय विकास कर जमा नहीं कराया गया है तथा उक्त जारी बिलों पर पूरी आपत्तियां भी समय पर पेश नहीं की गई।

वर्तमान में नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने हेतु डोर-टू-डोर प्रयास करने पर भी सम्पत्ति स्वामियों द्वारा बिलों पर आपत्ति करते हुये स्व निर्धारण के आधार पर बहुत कम सम्पत्ति स्वामियों द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा कराई गई है। जिनका निगम के कनिष्ठ अभियन्ताओं से सत्यापन कराया जा रहा है।

वर्ष 2005 में हुये सर्वे के आधार पर कायम की गई मांग में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं संशोधनों के आधार पर वास्तविक मांग पेरा में वर्णित से उक्त सर्वे

को आधार मानकर गणना करने पर कम प्राप्त होती है। ओसवाल डाटा प्रोसेस के जरिये नगर निगम कोटा द्वारा उक्त सर्वे के आधार पर प्रतिवर्ष नगरीय विकास कर के बिलों का संधारण किया जा रहा है एवं कर योग्य सम्पत्तियों के बिलों को वितरित भी करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में नये सिरे से करवाये जा रहे सर्वे के उपरांत ही वास्तिविक मांग का निर्धारण किया जा सकेगा। पूर्व के सर्वे के आधार पर प्रतिवर्ष बकाया मांग पंजिका भी कम्प्यूटराईज रूप से संधारित की जा रही है।

क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं एवं प्रोफेशनल एवं टेकनिकल एज्यूकेशन निजि शिक्षण संस्थाओं से व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय दर से नगरीय विकास कर वसूल करने हेतु आदेश जारी किये गये है एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों से बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को समाप्त कर दिया गया है, साथ ही होटलों पर नगरीय विकास कर औद्योगिक दर से संग्रहित करने के आदेश है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एक मुश्त नगरीय विकास कर राशि जमा कराने पर पेनल्टी/शास्ति पर छूट दी जाती है और जो मांग कायम की गई है वह मय पेनल्टी/शास्ति है। ऐसी स्थिति में नगरीय विकास कर की सही मांग एवं संग्रहण की राशि के संबंध में पेरा में वर्णित मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। सही सर्वे होने के बाद ही नगरीय विकास कर की सही मांग कायम हो सकेगी।

समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित आदेशों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है। जिससे वसूली प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अब तक वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक राशि 40,54,48,275/- वसूल की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली के पूर्ण प्रयास किये जा रहे है ।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 30.07.2019) :

- क्रियान्विति अन्तरिम है, नगर निगम बीकानेर (जनवरी 2016 तक रू 4,725.31 लाख), नगर परिषद अलवर (वर्ष 2007-14: रू. 294.29 लाख), धौलपुर (वर्ष 2010-15: रू. 252.84 लाख), एवं गंगापुरसिटी (वर्ष 2012-14: रू. 39.97 लाख) द्वारा शहरी विकास कर की आक्षेपित राशि का विभागीय प्रत्युत्तर प्रतिक्षित है, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- अगस्त 2007 में जारी अधिसूचना से ही शहरी विकास कर उद्ग्रहित किया जाना था 2007 से 2015 की अवधि का शहरी विकास कर की वसूलनीय राशि का आक्षेप लिया गया था, जिसमें अभी तक (जुलाई 2019) वसूली की वृहद राशि बकाया है, वसूली में विलम्ब के कारणों

एवं वसूली हेतु किये गये ठोस प्रयासों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- अधिसूचना के अनुच्छेद 6 के अनुसार शास्ति/अतिरिक्त शास्ति उद्ग्रहित की जानी थी, क्या मांग राशि की गणना में शास्ति को सम्मिलित किया गया है, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- नगर निगम, जोधपुर (वर्ष 2007-14 तक) की आक्षेपानुसार राशि रू. 9,676.27 लाख के विरूद्ध वसूली एवं बकाया राशि की अद्यतन स्थिति से अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें। जोधपुर द्वारा 2007-08 से 2017-18 तक शहरी विकास कर की मांग राशि के विरूद्ध मात्र 39 प्रतिशत की वसूली की गई। बकाया वसूली हेतु क्या ठोस कार्यवाही की जा रही अवगत करावें।

- नगर परिषद, पाली (वर्ष 2013-14 तक) आक्षेपानुसार राशि रू. 150.62 लाख के विरूद्ध वसूली की गई राशि एवं बकाया राशि से अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें।

- नगर परिषद, टोंक (वर्ष 2013-14 तक) रू. 13.60 लाख की आक्षेपित राशि अभी तक (जुलाई 2019) बकाया रहने के कारणों एवं बकाया की वसूली कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- नगर परिषद, भीलवाड़ा (वर्ष 2010-15 तक) आक्षेपित राशि रू. 954.44 लाख के विरूद्ध मात्र रू. 70.89 लाख (7.42 प्रतिषत) की वसूली की गई जबकि शेष रू. 883.55 लाख अभी तक (जुलाई 2019) बकाया रहने के कारणों एवं बकाया की वसूली कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- नगर परिषद, करौली (वर्ष 2010-15) अधिसूचना के अनुच्छेद 6 के अनुसार शास्ति/ अतिरिक्त शास्ति उद्ग्रहित की जानी थी क्या मांग की गणना में इसकी पालना की गई है, अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें तथा वर्ष 2010-15 तक आक्षेपित राशि रू. 19.64 लाख के विरूद्ध वसूली गई राशि एवं बकाया राशि से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है। क्या 2007-08 में नगरीय विकास कर योग्य संबंधी 396 प्रकरणों में 2017-18 तक कोई परिवर्तलन (नव निर्माण/पुनः सनिर्माण/विस्तार आदि) नहीं हुआ अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें।

- नगर परिषद, बांसवाड़ा (वर्ष 2007-15 तक) आक्षेपानुसार राशि रू. 36.76 लाख के विरूद्ध वसूल की गई एवं बकाया राशि से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है। बांसवाड़ा द्वारा 2007-08 से 2018-19 तक शहरी विकास कर की मांग राशि के विरूद्ध मात्र

7.85 प्रतिषत की वसूली की गई। बकाया वसूली हेतु क्या ठोस कार्यवाही की जा रही अवगत करावें।

- नगर परिषद, चूरू (वर्ष 2010-15 तक) की आक्षेपित राशि रू. 343.90 लाख के विरूद्ध मात्र रू. 28.99 लाख (8.42 प्रतिशत) की वसूली होना अवगत कराया गया है, शेष बकाया राशि की वसूली कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

चूरू परिषद द्वारा 2010-11 से 2015-16 तक रू. 28.99 लाख, 2017-18 में रू. 19.27 लाख एवं चालू वर्ष में रू. 11 लाख (कुल रू. 59.26 लाख होती है) जबकि रू. 90.40 लाख की वसूली होना अवगत कराया गया है, स्थिति से अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें।

- नगर परिषद प्रतापगढ़ (वर्ष 2013-14 तक) में आक्षेपित राशि रू. 75.94 लाख के विरूद्ध वसूली गई एवं बकाया राशि से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2016-17, 2017-18 2018-19 में शहरी विकास कर की मांग राशि से भी अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें।

- नगर निगम, कोटा (वर्ष 2010-15 तक) की आक्षेपित राशि रू. 3,663.40 लाख के विरूद्ध वसूली गई एवं बकाया राशि से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक शहरी विकास कर की मांग राशि से भी अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर परिषद पाली - उक्त आक्षेप के संबंध में नगर परिषद् पाली के वर्ष 2013-14 तक नगरीय विकास कर की राशि रू. 150.61 लाख बकाया थी। उक्त आक्षेपित राशि में से दिनांक 14.02.2022 तक रूपये 143.90 लाख की वसूली की जा चुकी हैं। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न है। आक्षेपित बकाया राशि में से अब केवल 06.71 लाख रूपये बकाया है। उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु बकायादारों को निरन्तर नोटिस जारी किये जा रहे है। शीघ्र वसूली की जाकर अगवत कराया जायेगा।

नगर परिषद करौली :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) नियम 2007 में परिषद क्षेत्र में शहरी विकास कर के उदग्रहण के लिए स्वायत्त शासन विभाग जयपुर - 8 (G (327)Rl es/l,sg/95/6575 दिनांक 29.08.2007 द्वारा राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) नियम 2007, दिनांक 29.08.2007 से प्रभावी किया गया है। जिसकी पालना में पालिका द्वारा NGO से सर्वे का कार्य कराया गया था वर्ष 2007-08 में नगरीय

विकास कर योग्य संबंधी प्रकरण की संख्या 396 आई थी जिस पर नगरीय विकास कर की राशि 229617 रूपये निर्धारित कर निम्न प्रकार वसूली की आडिट दल द्वारा वर्ष 2013-14 में पैरा 9 में बकाया राशि 17,33,948 में वर्ष 2014-15 की मांग राशि 2,29,617 रू. को जोडते हुए कुल राशि 19,63,565/- होती है। जिसके विरूद्व अब तक कुल राशि रू. 16,90,692/- की वसूली की जा चुकी है शेष राशि 2,72,873/- की वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं। वसूली होते ही अवगत करा दिया जायेगा।

वर्ष	नगरीय विकास कर वसूली राशि
2014-15	98344
2015-16	637761
2016-17	82164
2017-18	220252
2018-19	125255
2019-20	65372
कुल राशि	**12,29,148**

उपरोक्त राशि 12,29,148/- रू की नगरीय विकास कर की वसूली की जा चुकी है। उक्त पैरा आगमी प्रतिवेदन में गढित है जिसकी पुनावृति होती रहती है बकाया राशि की आगामी वर्षो में वसूली की कार्यवाही की जा रही है। उक्त पैरा निरस्त योग्य फरमाया जावे।

नगर निगम बीकानेर :- सीएजी प्रतिवेदन 2015-16 में समाविष्ट आक्षेप संख्या 4.3 शहरी विकास कर की वसूली का अभाव के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

1. नगरीय विकास कर मय शास्ति की प्रभावी वसूली हेतु समस्त करदाताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने पर धारा 128, 129ब के तहत सम्पूर्ण बकाया मय शास्ति सहित बिल जारी किये जाते है तथा उन्हे डाक द्वारा प्रेषित किये जाते है। तत्पश्चात नियमानुसार समयावधी पश्चात धारा 130 के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किये जाते है। बकायादारों से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए कर वसूली के प्रयास किये जाते हैं। निगम द्वारा पूर्व में दो सीज सम्पति क्रमशः गिरीराज कटला तथा प्रकाशचित्र में से गिरीराज कटला की मार्च 2020 तक की बकाया राशि वसूल कर ली गई है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में गणेश इडी धर्मकांटा की सम्पत्ति को भी सीज किया गया था बकाया राशि वसूल की गई थी।

2. प्रतिवर्ष अखबारों में कर जमा करवाने की विज्ञप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा शास्ति तथा अन्य में देय छूट का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। आम रास्तों पर होर्डिग्स तथा एफएम रेडियो द्वारा भी व्यापक प्रचार करते हुए बकाया वसूली का प्रयास किया जाता है।

3. सम्पूर्ण बकाया राशि में राज्य सरकार के उपक्रम जैसे-ऊनमंडी, फल-सब्जी मंडी, रोडवेज बस स्टेण्ड, बिजली बोर्ड कार्यालय तथा सहकारी उपभोक्ता भंडार की बकाया राशि भी शामिल है जिसके लिये अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किये जा रहे है।

वर्ष 2007-08 में 539801, 2008-09 में 11868069, 2009-10 में 15983827, 2010-11 में 7180978, 2011-12 में 6621271, 2012-13 में 7496077, 2013-14 में 11103204, 2014-15 में 12982168, 2015-16 में 61653299, 2016-17 में 44999265, 2017-18 में 39353324, 2018-19 में 48841780, 2019-20 रूपये 44657609, 2020-21 में 32003354 एवं वर्ष 2021-22 में 7730309 वसूल की गई।

नगर परिषद चूरू :- सीएजी ऑडिट द्वारा शहरी विकास कर राशि के संबंध में परिषद द्वारा वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक 28.99 लाख, 2017-18 में 19.27 लाख व वर्ष 2018-19 में 11.00 लाख रूपये, वर्ष 2019-20 में 30.02 लाख, वर्ष 2020-21 में 40.88 लाख व चालू वर्ष 2021-22 में 9.76 लाख रूपये इस प्रकार कुल 128.51 लाख रूपये वसूल किये जा चुके हैं। बकाया वसूली हेतु संबंधित को नोटिस जारी किये जाकर वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम कोटा :- नगर निगम कोटा में कतिपय कारणों एवं राजनैतिक विरोध के चलते गृहकर अधिरोपित नहीं किया जा सका। परन्तु गृहकर के लिये पूर्व में आरयूआईडीपी के तहत वर्ष 2005 में ओसवाल डाटा प्रोसेस द्वारा कर योग्य सम्पत्तियों का सर्वे कराया गया था।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6275 दिनांक 29.08.2007 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम 2007, प्रवृत्त किये गये है जो कि सभी नगर पालिका क्षेत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 104 के अधीन वसूलनीय है। उपरोक्तानुसार किये गये सर्वे को ही आधार मानकर वर्ष 2007 से नगरीय विकास कर नियमों के अनुसार कर योग्य सम्पत्तियों के स्वामियों के बिल जारी किये गये थे तथा उन बिलों के पीछे ही पृष्ठांकन कर सम्पति स्वामियों से जारी बिलों पर आपत्ति मांगी गई थी।

संबंधित सम्पत्ति स्वामियों से नगरीय विकास कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिये भी मांगा गया था। लेकिन कोटा शहर में नगरीय विकास कर नहीं देने की प्रवृत्ति एवं जन विरोध के कारण अधिकांश सम्पत्ति स्वामियों द्वारा नगरीय विकास कर जमा नहीं कराया गया है तथा उक्त जारी बिलों पर पूरी आपत्तियां भी समय पर पेश नहीं की गई।

वर्तमान में नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने हेतु डोर-टू-डोर प्रयास करने पर भी सम्पत्ति स्वामियों द्वारा बिलों पर आपत्ति करते हुये स्व निर्धारण के आधार पर बहुत कम सम्पत्ति स्वामियों द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा कराई गई है। जिनका निगम के कनिष्ठ अभियन्ताओं से सत्यापन कराया जा रहा है।

वर्ष 2005 में हुये सर्वे के आधार पर कायम की गई मांग में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं संशोधनों के आधार पर वास्तिविक मांग पेरा में वर्णित से उक्त सर्वे को आधार मानकर गणना करने पर कम प्राप्त होती है। ओसवाल डाटा प्रोसेस के जरिये नगर निगम कोटा द्वारा उक्त सर्वे के आधार पर प्रतिवर्ष नगरीय विकास कर के बिलों का संधारण किया जा रहा है एवं कर योग्य सम्पत्तियों के बिलों को वितरित भी करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में नये सिरे से करवाये जा रहे सर्वे के उपरांत ही वास्तिविक मांग का निर्धारण किया जा सकेगा। पूर्व के सर्वे के आधार पर प्रतिवर्ष बकाया मांग पंजिका भी कम्प्यूटराईज रूप से संधारित की जा रही है।

क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं एवं प्रोफेशनल एवं टेकनिकल एज्यूकेशन निजि शिक्षण संस्थाओं से व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय दर से नगरीय विकास कर वसूल करने हेतु आदेश जारी किये गये है एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों से बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को समाप्त कर दिया गया है, साथ ही होटलों पर नगरीय विकास कर औद्योगिक दर से संग्रहित करने के आदेश है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एक मुश्त नगरीय विकास कर राशि जमा कराने पर पेनल्टी/शास्ति पर छूट दी जाती है और जो मांग कायम की गई है वह मय पेनल्टी/शास्ति है। ऐसी स्थिति में नगरीय विकास कर की सही मांग एवं संग्रहण की राशि के संबंध में पेरा में वर्णित मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। सही सर्वे होने के बाद ही नगरीय विकास कर की सही मांग कायम हो सकेगी।

समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित आदेशों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता है। जिससे वसूली प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अब तक वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक राशि 40,54,48,275/- वसूल की जा चुकी है।

राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही कर पुनः सही मांग कायम की जा रही है। निगम द्वारा नगरीय विकास कर की राशि वसूली हेतु अथक प्रयास किये जा रहे है जिससे वास्तविक मांग के आधार पर अधिक से अधिक नगरीय विकास कर की वसूली की जा सकेगी।

मैसर्स फार्थ डायमेन्शन के सर्वे पूर्ण होने के पश्चात मांग राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार की जाने की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में पूर्व में प्रचलित सर्वे के आधार पर मांग कायम कर वसूली की जा रही है। जो एक सतत् प्रक्रिया है। प्रतिवर्ष प्रारम्भिक बैलेन्स में वर्तमान मांग जोडने पर कुल योग से वसूली प्रारम्भ की जाती है। जिसका प्रतिवर्ष यही क्रम रहता है। वर्ष 2017-18 से की गई वसूली का भौतिक सत्यापन आगामी जांच दल को करवा दिया जायेगा।

नगर परिषद गंगापुरसिटी :- सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 एवं विभागीय अंकेक्षण वर्ष 2012-14 के आक्षेप संख्या 4.3 की अनुपालना में निर्धारित लक्ष्यानुरूप शहरी निकाय कर की वसूली नियमित रूप से की जा रही है। वर्षवार आवंटित लक्ष्य से शेष रही राशि की वसूली हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। लक्ष्य अनुरूप वसूली की राशि निम्न प्रकार है-

वर्ष	चालू वर्ष की मांग राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	बकाया राशि
2015-16	754564	1842426	3230618
2016-17	754564	2665416	1319766
2017-18	1050000	2129700	240066
2018-19	1520000	1513975	246091

शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे है।

नगर परिषद भीलवाड़ा - अंकक्षेण वर्ष 2011-13 में नगरीय विकास की बकाया राशि रू. 83151084/- के क्रम में निवेदन है कि परिषद द्वारा उक्त बकाया राशि पेटे दिनांक 30.06.2019 तक रू. 2,83,31,283/- की वसूली की जा चुकी है। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ठ-1 में अंकित है। शेष बकाया राशि वसूली के प्रयास किये जा रहे है। अतः उक्त तथ्यात्मक विवरण के अनुसार आक्षेप निरस्त फरमावे।

नगर परिषद पाली :- उक्त आक्षेप के संबंध में नगर परिषद पाली के वर्ष 2013-14 तक नगरीय विकास कर की राशि रू. 150.61 लाख बकाया थी। उक्त आक्षेपित राशि में से दिनांक 13.12.2019 तक रूपये 107.15 लाख की वसूली की जा चुकी है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न है। आक्षेपित बकाया राशि में से अब केवल 43.46 लाख रूपये बकाया है। उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु बकायादारों को निरंतर नोटिस जारी किये जा रहे है। शीघ्र वसूली की जाकर अवगत करवाया जायेगा।

नगर परिषद अलवर :- वर्ष 2015-16 में नगर परिषद अलवर द्वारा 1.72 करोड़ रूपये का नगरीय विकास कर वसूल किया गया । शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे है।

नगर परिषद बांसवाडा - आलोच्य अवधि में नगरीय विकास कर में वर्ष 2007-08 से 2018-19 में चिन्हित सम्पतियों में वार्षिक मांग राशि रू. 8.02 लाख की उक्त अवधि 2007-08 से 2018-19 तक कुल बकाया राशि रू. 325.29 लाख में से 25.56 लाख वसूल की गई है शेष राशि वसूली हेतु नोटिस जारी किए गये है एवं बकाया वसूली के प्रयास किए जा रहे है।

नगर परिषद टोंक:- (वर्ष 2013-14 तक) रू.13.60 लाख के विरूद्व जनवरी 2022 तक राशि

13.59 लाख की वसूली की जा चुकी है शेष राशि 0.01 लाख हेतु संबंधित बकायादारों को नोटिस जारी किये जा चुके है। राजस्व शाखा में कर निर्धारक, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक के पदो के रिक्त रहने के कारण वसूली में अपेक्षित प्रगति नही रही थी। शेष राशि वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जा रही है।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(24) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित तीनों नगर निगमों एवं 10 नगर परिषदों में शहरी विकास कर की बकाया वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली कर नवीनतम प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.4 : राजस्व वसूली का अभाव

कृषि भूमि के गैर-कृषि भूमि में रूपान्तरण की कार्यवाही समय पर करने में नगर परिषद, बारां की शिथिलता के कारण रूपान्तरण प्रभार, नगरीय निर्धारण एवं आश्रय निधि राजस्व रूपये 41.12 लाख की हानि।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-अ उपबन्धित करती है कि कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्रों (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 में रूपान्तरण अनुमति की रूपरेखाएं प्रदान की गई हैं।

राजस्थान नगरीय क्षेत्रों (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 का नियम 9 प्रावधित करता है कि कृषि से गैर-कृषि उद्देश्य के लिए भू-रूपान्तरण की प्रीमियम दरें नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा तय की जानी थी। राजस्थान सरकार ने शिक्षण संस्थानों से वसूलनीय रूपान्तरण प्रभार एवं प्रीमियम की दरें पहले 5,000 वर्ग गज भूमि हेतु रूपये 60 प्रति वर्ग गज और 5,000 वर्ग गज से अधिक की शेष भूमि हेतु रूपये 30 प्रति वर्ग गज अधिसूचित (सितम्बर 2012) की। ये दरें मार्च 2014 तक के लिए लागू थी तत्पश्चात् प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। अग्रेतर, पूर्वोक्त प्रावधानों का नियम 20 प्रावधित करता है कि रूपान्तरण प्रभार के चार गुणा का 2.50 प्रतिशत की दर से स्वामियों से नगरीय निर्धारण अथवा भूमि किराया वसूलनीय है। इन प्रभारों के अलावा, बीएसयूपी (आश्रय) निधि के सजृन हेतु रूपये 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से शहरी गरीब के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी) हेतु प्रभार भी उद्ग्रहीत (मई 2009) किए जाने थे।

नगर परिषद, बारां के अवधि 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2016) में प्रकट हुआ कि नगर परिषद, बारां की अनुमति के बिना नगरपालिका क्षेत्र में स्थित

5.48 हैक्टेयर (65,541 वर्ग गज) कृषि भूमि पर तीन शिक्षण संस्थानों का कब्जा था और कृषि से गैर-कृषि उद्देश्य हेतु इस भूमि के रूपान्तरण के लिए प्रभार्य रूपान्तरण एवं अन्य प्रभारों का भुगतान नहीं किया। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-स्वामियों से रूपान्तरण प्रभार, लीज राशि और बीएसयूपी (आश्रय) निधि प्रभार के रूपये 41.12 लाख वसूलनीय थे, विवरण तालिका 4.14 में दिया गया है:

तालिका 4.14

शिक्षण संस्थानों का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल			वसूली योग्य प्रभार		
		हैक्टेयर में	वर्ग गज में	वर्ग मीटर में	रूपान्तरण प्रभार*	नगरीय निर्धारण अथवा भूमि किराया**	बीएसयूपी (आश्रय) निधि***
					(रूपये लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
गायत्री बाल विद्या मन्दिर और नेहरू बाल विद्या मन्दिर (फतेहपुर गाँव) (2007 से)	1,382	1.28	15,309	12,800	6.70	0.67	3.20
राधा कृष्ण विद्या मन्दिर (बातावाड़ा गाँव (2009 से)	641	4.20	50,232	42,000	18.23	1.82	10.50
योग		5.48	65,541	54,800	24.93	2.49	13.70
				योग	रूपये 41.12 लाख		

* 5,000 वर्ग गज भूमि तक रूपये 66 (रूपये 60 + 10 प्रतिशत दो वर्ष के लिए वृद्धि) प्रति वर्ग गज की दर से और शेष भूमि पर रूपये 33 (रूपये 30 + 10 प्रतिशत दो वर्ष के लिए वृद्धि) प्रति वर्ग गज की दर से

** रूपान्तरण प्रभार के चार गुणा का 2.50 प्रतिशत अर्थात (कालम 6 4) का 2.50 प्रतिशत

*** रूपये 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से अर्थात (कालम 5 रूपये 25)

इस प्रकार, कृषि भूमि के गैर-कृषि भूमि में रूपान्तरण की कार्यवाही समय पर नहीं करने में नगर परिषद, बारां की शिथिलता के परिणामस्वरूप रूपये 41.12 लाख की राजस्व वसूली का अभाव रहा।

ध्यान में लाए जाने पर, नगर परिषद, बारां ने अवगत कराया (जून 2016) कि पूर्वोक्त तीनो शिक्षण संस्थाएं नगरपालिका क्षेत्र में अनियमित रूप से चल रहे थे तथा इन संस्थाओं द्वारा अभी तक भू-रूपान्तरण हेतु पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की थी। यह भी अवगत कराया गया कि भू-रूपान्तरण पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु स्वामियों को नोटिस जारी (मार्च 2016) किए गए। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि नगर परिषद, बारां द्वारा या तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

की धारा 90 (अ) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी अथवा धारा 91 के अनुसरण में ऐसी भूमि से बेदखली की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने के पश्चात् रूपान्तरण हेतु नोटिस जारी किए गए जो कि अनुश्रवण तंत्र में खामियों को इंगित करता है। प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (मार्च 2016) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2017) था।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 18.07.2019) :

अनुच्छेद में सम्मिलित स्कूल संचालकों को पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी कर रूपान्तरण हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। परन्तु स्कूल संचालकों द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है ना ही आवेदन किया है। उक्त स्कूल बारां नगर परिषद के परिधि क्षेत्र में आते हैं। जिनके खिलाफ कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग को भी स्कूलो की मान्यता रद्द करने हेतु लिखा गया है। साथ ही स्कूलों को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है।

स्कूल संचालकों को जारी किये गये नोटिस का विवरण:-

क्र. सं.	संस्था का नाम	नोटिस क्रमांक एवं दिनांक
1	व्यवस्थापक श्री राधाकृष्ण विद्या मंदिर, ग्राम बटावदा।	8491 दिनांक 10.07.2019
2	व्यवस्थापक श्री नेहरू बाल विद्या मंदिर, ग्राम फतेहपुर।	8490 दिनांक 10.07.2019
3	व्यवस्थापक श्री गायत्री बाल विद्या मंदिर, ग्राम फतेहपुर।	8492 दिनांक 10.07.2019
4	व्यवस्थापक श्री गायत्री बाल विद्या मंदिर, ग्राम फतेहपुर।	2028 दिनांक 17.06.2019
5	व्यवस्थापक श्री राधाकृष्ण विद्या मंदिर, ग्राम बटावदा।	2029 दिनांक 17.06.2019

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 30.07.2019) :

- लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2016 में ध्यान में लाए जाने के पश्चात् भी नगरपालिका क्षेत्र में गायत्री बाल विद्या मंदिर और नेहरू बाल विद्या मंदिर, शिक्षण संस्थाएं ग्राम फतेहपुर (वर्ष 2007 से) एवं राधा कृष्ण विद्या मन्दिर, शिक्षण संस्था, ग्राम बातावाढ़ा में(वर्ष 2009 से) अनियमित रूप से अभी तक (जुलाई 2019) चल रही है। इस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (अ) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तित करने की कार्यवाही पूर्ण कर अथवा धारा 91 के अनुसरण में ऐसी भूमि से बेदखली की प्रक्रिया पूर्ण कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- अनुच्छेद में लेखापरीक्षा द्वारा रूपान्तरण प्रभार एवं नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) की दरों की गणना मार्च 2016 में प्रचलित दरों के आधार पर की गई है। इसी आधार पर मार्च 2019 की प्रचलित दरों (जो मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगी) के आधार पर निम्नलिखित दरें भू-

रूपान्तरण हेतु प्रभार्य होगी, तद्नुसार कार्यवाही कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

शिक्षण संस्थानों का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल		वसूली योग्य प्रभार		
		वर्ग गज में	वर्ग मीटर में	रूपान्तरण प्रभार*	नगरीय निर्धारण अथवा भूमि किराया**	बीएसयूपी (आश्रय) निधि***
				(रूपये लाख में)		
1	2	4	5	6	7	8
गायत्री बाल विद्या मन्दिर और नेहरू बाल विद्या मन्दिर (फतेहपुर गाँव) (2007 से)	1,382	15,309	12,800	7.62	0.76	3.20
राधा कृष्ण विद्या मन्दिर (बातावाड़ा गाँव (2009 से)	641	50,232	42,000	20.71	2.07	10.50
योग		65,541	54,800	28.33	2.83	13.70
			योग	रूपये 44.86 लाख		

* 5,000 वर्ग गज भूमि तक रूपये 75 (रूपये 60 + रूपये 25 प्रतिशत पांच वर्ष के लिए वृद्धि) प्रति वर्ग गज की दर से और शेष भूमि पर रूपये 37.50 (रूपये 30 + 25 प्रतिशत पांच वर्ष के लिए वृद्धि) प्रति वर्ग गज की दर से

** रूपान्तरण प्रभार के चार गुणा का 2.50 प्रतिशत अर्थात (कालम 6 4 बार) का 2.50 प्रतिशत

*** रूपये 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से अर्थात (कालम 5 रूपये 25)

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

अनुच्छेद में सम्मिलित स्कूल संचालकों को पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी कर रूपान्तरण हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। परन्तु स्कूल संचालकों द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है ना ही आवेदन किया है। उक्त स्कूल बारां नगर परिषद के परिधि क्षेत्र में आते हैं। जिनके खिलाफ कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग को भी स्कूलो की मान्यता रद्द करने हेतु लिखा गया है। वर्तमान में कोई स्कूल संचालित नहीं हैं।

समिति की सिफारिश :

(25) समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका बारां क्षेत्र में अनियमित रूप से चल रही शिक्षण संस्थानों से **भूमि रूपांतरण प्रभार की वसूली** /भूमि से बेदखली की प्रक्रिया पूर्ण कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।

अनुच्छेद 4.5 : सामान्य भविष्य निधि में ब्याज राशि का कम जमा होना

नगर निगम, जयपुर के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर ब्याज जमा करने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में रूपये 1.32 करोड़ का ब्याज कम जमा हुआ।

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 1997 का नियम 14 (1)(अ) प्रावधित करता है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ एवं इसके दौरान जमाओं के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज अगले वर्ष के अप्रैल माह में खाताधारक के खाते में जमा होगा। तत्रैव नियम 14(2) प्रावधित करता है कि ब्याज राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार लागू होगा। तत्रैव नियम 14(3) अग्रेतर प्रावधित करता है कि सामान्य भविष्य निधि शेष पर ब्याज की गणना राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों पर आदेश जारी होने की दिनांक से की जाएगी। राज्य सरकार ने ब्याज दरें 8.60 प्रतिशत (1 दिसम्बर 2011 से) 8.80 प्रतिशत (1 अप्रैल 2012 से) तथा 8.70 प्रतिशत (1 अप्रैल 2013 से) घोषित की एवं सामान्य भविष्य निधि खातों के संचित जमा शेष पर उक्त दरों के अनुसार उपार्जित ब्याज की राशि जमा की।

नगर निगम, जयपुर के वर्ष 2014-15 के लिए अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2016) में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर अपने सभी कर्मचारियों के खाते संधारित कर रहा था एवं सरकार के हिस्से के अंशदान सहित सभी कर्मचारियों का अंशदान राज्य सरकार के निजी निक्षेप खाते मे जमा किया जा रहा था। राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमित रूप से ब्याज निजी निक्षेप खाते में जमा कर रही थी। अग्रेतर, जांच में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर ने प्रत्येक कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में 1 जनवरी 2011 से मार्च 2016 तक प्रभावी 8.60 से 8.80 प्रतिशत की दरों के विरूद्ध आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज जमा किया जिसका विवरण तालिका 4.15 में दिया गया है:

तालिका 4.15

(रूपये लाख में)

अवधि	जमा ब्याज				ब्याज की दर में अन्तर	सामान्य भविष्य निधि खातों में कम जमा ब्याज राशि
	राज्य सरकार द्वारा निजी निक्षेप खातो में		नगर निगम द्वारा सामान्य भविष्य निधि खातों में			
	दर	राशि	दर	राशि		
01-12-2011 से 31-03-2012	8.60	95.49	8.00	88.83	0.60	6.66
01-04-2012 से 31-03-2013	8.80	346.94	8.00	315.40	0.80	31.54
01-04-2013 से 31-03-2014	8.70	350.14	8.00	321.97	0.70	28.17
01-04-2014 lS 31-03-2015	8.70	384.13	8.00	353.23	0.70	30.90
01-04-2015 से 31-03-2016	8.70	427.90	8.00	393.47	0.70	34.43
कुल		1,604.60		1,472.90		131.70

रूपये करोड़ में		16-05		14-73		1-32

इस प्रकार, नगर निगम, जयपुर ने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा योग्य रूपये 16.05 करोड़ के ब्याज के विरूद्ध रूपये 14.73 करोड़ का ब्याज कम दर के आधार पर जमा किया। जिसके परिणामस्वरूप रूपये 1.32 करोड़ का ब्याज कम जमा हुआ।

नगर निगम, जयपुर ने अवगत (मई 2016) कराया कि प्रत्येक कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खातों में ब्याज के कम जमा होने की जांच की जा रही है और नगर निगम, जयपुर के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वास्तविक ब्याज के निर्धारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार, राज्य सरकार के जारी आदेशों की गैर-अनुपालना के परिणामस्वरूप नगर निगम, जयुपर के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में रूपये 1.32 करोड़ का ब्याज कम जमा हुआ।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2016); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 13.03.2018) :

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम 1997 के नियम 14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ एवं इसके दौरान जमाओं के लिए सामान्य भविष्य निधि पर सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित जमाओं के अनुसार ब्याज जमा कराया जायेगा,का प्रावधान है। नगर निगम, जयपुर में भूलवश राज्य सरकार द्वारा घोषित दर दिनांक 01.12.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक 8.60 प्रतिशत, दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक 8.80 प्रतिशत तथा दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2016 तक 8.70 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा कराने के बजाय 8 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा किया गया। इस प्रकार भविष्य निधि खातें में राशि रूपये 1.32 करोड़ ब्याज के पेटे कम जमा हुए। अंकेक्षण के दौरान जानकारी मिलने पर प्रत्येक कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खातों में राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज की गणना करते हुए खातों में सही ब्याज की राशि जमा करवाई जा रही है। निगम में लगभग 6 हजार कर्मचारी होने के कारण इसमें कुछ समय लग रहा है। इस हेतु आक्षेप में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज की राशि जमा करवाई जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार के वेतन पोर्टल पर कोषालय के माध्यम से बिल पारित हो रहे है तथा ब्याज की दर भी राज्य सरकार की घोषित दर के अनुसार ही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 17.05.2018) :

- नगर निगम, जयपुर के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से गणना कर, ब्याज राशि को संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा करा कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- निम्न दर पर जमा ब्याज अवधि के दौरान सेवा निवृत हुए कर्मचारियों को ब्याज अन्तर राशि के भुगतान की व्यवस्था एवं किए गए भुगतानों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

इस आक्षेप के क्रम में निवेदन है कि आक्षेप में वर्णित निर्देशानुसार नगर निगम जयपुर के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से गणना कर राज्य सरकार के विभिन्न आदेशानुसार निम्नलिखित दर से सामान्य भविष्य निधि पी.डी. खाते में राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज राशि में से निगम कर्मचारियों को देय ब्याज से कम ब्याज का भुगतान के विषय में आवश्यक गणना करवाते हुए कम ब्याज राशि का लेखा सुधार करते हुए निगम कोष से उक्त राशि सम्बन्धित कर्मचारियों के खातों में जमा करवाई जा चुकी है:-

क्र. सं.	वित्त विभाग के आरेश के क्रमांक	प्रभावी वर्ष	भुगतान की जा रही दर	संशोधित ब्याज दर
1	F21(5)FWM/2007/03.03.2011	2010-11 04.01.2010	8%	8%
2	F21(5)FWM/2007/18.04.2012	2011-12 01.12.2011	8%	8.6%
3	F21(5)FWM/2007/19.06.2012	2012-12 01.04.2012	8%	8.8%
4	F21(5)FWM/2007/19.07.2013	2013-14 01.04.2013	8%	8.7%
5	F21(5)FWM/2007/11.07.2017	2014-15 01.04.2014	8%	8.7%
6	F21(5)FWM/2007/24.09.2015	2015-16.01.04.2015	8%	8.7%

इस सम्बन्ध में संशोधित दर से जमा कराये गये ब्याज की राशि की गणना प्रपत्र एवं कर्मचारियों की पास बुकों की फोटोप्रतियां आपके सुलभ अवलोकन हेतु संलग्न है। इस प्रकार पैरा में वांछित अनुपालना स्वरूप ब्याज दर संशोधित करते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों के खातों में सक्षम स्वीकृति द्वारा राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश : कोई सिफारिश नही ।

अनुच्छेद 4.6 : निधियों का अनियमित अवरोधन

नगर निगम, जयपुर द्वारा भूमि के विक्रय/नीलामी द्वारा हस्तांतरण से अर्जित आय रूपये 2.89 करोड़ का अनियमित अवरोधन।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 ने नगरपालिकाओं को शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली समस्त सरकारी भूमि के विक्रय, आवंटन अथवा नियमीतिकरण द्वारा निस्तारण से राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान किया है। अग्रेतर, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने सभी नगरपालिकाओं को ऐसी भूमि के निस्तारण से अर्जित आय का 2.50 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश (8 दिसम्बर 2010) दिए।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2015-मई 2016) में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयुपर ने वर्ष 2010-15 के दौरान भूमि के विक्रय/नीलामी द्वारा रूपये 115.55 करोड़[48] अर्जित किए। राजस्थान सरकार के पूर्वोक्त आदेशानुसार रूपये 2.89 करोड़[49] राज्य की संचित निधि में जमा कराए जाने थे। तथापि, नगर निगम, जयपुर ने राजस्थान सरकार के आदेशो का उल्लंघन कर राशि को सरकारी खातों में जमा/हस्तांतरित नहीं किया और इसको स्वयं के पास रोके रखा। नगर निगम, जयपुर ने अवगत कराया (मई 2016) कि राशि को राज्य सरकार की संचित निधि में हस्तांतरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2016); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 13.03.2018) :

नगर निगम, जयपुर: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में नगरपालिकाओं को शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली समस्त सरकारी भूमि के विक्रय, आवंटन अथवा नियमीतिकरण द्वारा निस्तारण से राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान किया है। अग्रेतर राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने सभी नगरपालिकाओं को ऐसी भूमि के निस्तारण से अर्जित आय का 2.50 प्रतिशत राज्य सरकार के खातें में जमा कराने के आदेश 8 दिसम्बर 2010 को दिए गए है किन्तु निगम की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होने के कारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि की राशि जमा नहीं करवाई जा सकी। निगम स्तर पर इस विषय में राजस्व बढ़ाने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्व राशि जमा होते ही राज्य सरकार की समेकित निधि में उक्त राशि जमा करवा दी जावेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 14.05.2018) :

---

48 वर्ष 2010-11: रूपये 57.39 करोड़, 2011-12: रूपये 6.87 करोड़, 2012-13: रूपये 33.41 करोड़, 2013-14: रूपये 8.02 करोड़ और 2014-15: रूपये 9.86 करोड (कुल : रूपये 115.55 करोड़)

49 रूपये 115.55 करोड़ का 2.50 प्रतिशत।

- प्रकरण में नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान भूमि के विक्रय/निलामी द्वारा अर्जित राशि रूपये 115.55 करोड़ का 2.50 प्रतिशत राशि रूपये 2.89 करोड़ राज्य की संचित निधि में जमा करवा कर अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- निगम स्तर पर राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों एवं परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान भूमि के विक्रय/निलामी के द्वारा अर्जित आय रू. 115.55 करोड का 2.50 प्रतिशत रू. 2.89 करोड़, नगर निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राज्य की संचित निधि में समय पर जमा नहीं कराया जा सका। इस संदर्भ में निगम की आय बढ़ाने हेतु निगम ने आय के विभिन्न स्त्रोतों यथा नगरीय विकास कर, गृहकर, होर्डिंग्स व पार्किंग स्थलों की नीलामी, मोबाइल टॉवर की शुल्क वसूली, राजस्थान आवासन मण्डल/राजस्थान डेयरी/ जयपुर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग आदि से नियमानुसार प्राप्त होने वाली आय के संबंध में सतत् प्रयास किए जा रहे है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति वर्तमान में अत्यन्त कमजोर है। निगम वर्तमान में अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में अत्यन्त कठिनाई महसूस कर रहा है। निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही उक्त राशि राज्य की संचित निधि में जमा करवा दी जायेगी।

निगम की आय बढ़ाने हेतु निगम के आय के विभिन्न स्त्रोतों यथा नगरीय विकास कर, गृहकर, होर्डिंग्स व पार्किंग स्थलों की नीलामी, मोबाइल टॉवर की शुल्क वसूली, राजस्थान आवासन मण्डल/राजस्थान डेयरी/ जयपुर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग आदि से प्राप्त होने वाली आय के संबंध में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व की विभिन्न मदों में वृद्धि हुई है। इसका वर्षवार मदवार विवरण इस प्रकार है:-

मद का नाम	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 Up to 31.03.19
नगरीय कर	4065.72	6532.61	6248.57	6341.97	4428.32
होर्डिंग	3185.93	2087.07	3545.89	5416.47	4689.24
शहरी असेसमेंट	224.86	2958.89	827.29	2451.15	313.36
निर्माण	3030.62	1585.77	1366.90	2191.07	1396.90
पार्किंग	170.68	197.26	171.78	167.03	171.68
विवाह स्थल	341.03	600.12	386.68	448.41	441.78
मोबाइल टॉवर	0.00	0.00	0.00	654.60	729.21
होटल रेस्टोरेंट	42.28	82.07	94.40	65.69	67.92
रोड़ कटिंग	286.33	406.96	786.36	894.12	132.96

सीवर	86.43	21.66	15.42	21.34	1.38
कैरिंग चार्जेज	55.24	81.13	143.29	232.44	329.73
ज.वि.प्रा.	9000.00	5500.00	2000.00	1000.00	0.00
अन्य	3131.48	3566.36	2786.02	3098.35	1436.88
कुल योग	**14620.60**	**18119.90**	**16372.60**	**22982.64**	**14139.36**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम जयपुर को अन्य स्वायतशासी निकाय यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर डेयरी आदि संस्थाओं से नियमानुसार निर्धारित आय नगर निगम को जमा कराने के राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित राशि निगम को जमा नहीं कराई जा रही है।

समिति की सिफारिश :

(26) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भूमि के विक्रय/नीलामी द्वारा हस्तांतरण से अर्जित आय रूपये 2.89 करोड़ को राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद 4.7 : चैसिस क्रय पर निष्फल व्यय

अग्नि शमन वाहनों में रूपान्तरण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चैसिस क्रय पर रूपये 1.16 करोड़ का निष्फल व्यय।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार ने नगर निगम, जयपुर को 20 चैसिस के क्रय तथा अग्नि शमन वाहन की बॉडी बनाने हेतु रूपये 6.35 करोड़ की राशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करने की शर्त सहित जारी (फरवरी और मार्च 2013 में) की।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2015 से मई 2016) में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर ने फर्म को रूपये 1.16 करोड़ में 10 चैसिस की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किया (अगस्त 2013) तथा उसके द्वारा इनकी आपूर्ति (15 मई 2014) की गई थी। यह भी पाया गया कि नगर निगम, जयपुर ने पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के बावजूद 20 चैसिस के स्थान पर केवल 10 चैसिस ही क्रय किए। इस प्रकार रूपये 5.19 करोड़ मई 2016 तक अनुपयुक्त पड़े रहे। नगर निगम, जयपुर ने आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को वर्ष 2015-16 के दौरान उपरोक्त निधि को चैसिस पर अग्नि शमन वाहन की बॉडी बनाने हेतु उपयोग में लेने का एक प्रस्ताव प्रेषित किया (20 मार्च 2015)। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने स्वीकार नहीं

किया (26 अक्टूबर 2015) क्योंकि राशि को स्वीकृति वर्ष में उपयोग नहीं किया गया था और इसे ब्याज सहित लौटाने हेतु निर्देशित किया गया। अग्रेतर, 8 मार्च 2016 को सहायक अग्नि शमन अधिकारी के साथ लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि सभी 10 चैसिस अग्नि शमन वाहन में परिवर्तित किए बिना मई 2014 से अनुपयोगी पड़े थे। चैसिस के लिए 12 माह की वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

नगर निगम, जयपुर के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (अप्रैल 2016) कि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण चैसिस पर अग्नि शमन वाहन की बाडी का निर्माण नहीं किया जा सका। यदि नगर निगम, जयपुर ने निर्धारित समयावधि के दौरान निधियों का उपयोग किया होता अथवा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से पुनर्वैधिकरण के लिए संशोधित स्वीकृति का प्रस्ताव समय पर भेजा होता तो चैसिस उपयोग में लिए जा सकते थे।

इस प्रकार निर्धारित समयावधि के दौरान निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण चैसिस क्रय पर रूपये 1.16 करोड़ का व्यय निष्फल रहा इसके अतिरिक्त रूपये 5.19 करोड़ की निधियां निष्क्रिय पड़ी रही।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2016); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 13.03.2018) :

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार ने नगर निगम जयपुर को 20 चैसिस के क्रय तथा अग्नि शमन वाहन की बॉडी बनाने हेतु राशि रूपये 6.35 करोड़ की राशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करने की शर्त सहित जारी की थी। इन आदेशों के तहत नगर निगम, जयपुर ने अगस्त 2013 में राशि रूपये 1.16 करोड़ 10 चैसिस की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किए तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को चैसिस पर बॉडी निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया किन्तु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने संबंधित वित्तीय वर्ष (2012-13) में राशि का उपयोग नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की। नगर निगम, की उक्त राशि वित्तीय वर्ष (2012-13) के अन्त में प्राप्त हुई थी। निगम द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय आदेश जारी किए गए। प्रक्रिया के अनुमोदन में कुछ समय लगा इस कारण से उसी वित्तीय वर्ष (2012-13) में राशि का उपयोग होना संभव नहीं था। बिना निविदा प्रक्रिया के क्रय नहीं किया जा सकता था। निगम द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को उक्त चैसिस की अग्निशमन बॉडी बनाने हेतु लगातार प्रस्ताव भिजवाये जाते रहे है

किन्तु स्वीकृति के अभाव में उक्त चैसिस का उपयोग नहीं हो सका है। इस हेतु पुनः निगम स्तर पर सार्थक प्रयास किए जा रहे है। आशा है कि राज्य सरकार/ आपदा प्रबनधन एवं सहायता विभाग से वांछित स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ताकि पैरा में वर्णित निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पन्न करवा ली जावेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 04.06.2018) :

○ आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार ने नगर निगम, जयपुर को चैसिस के क्रय तथा अग्नि शमन वाहन की बॉडी बनाने हेतु रूपये 6.35 करोड़ की राशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करने की शर्त सहित जारी (फरवरी और मार्च 2013 में) करने के पश्चात भी नगर निगम, जयपुर द्वारा क्रय की गई 10 चैसिस पर मार्च 2018 तक (लगभग 4 वर्षो) बॉडी निर्माण (अग्नि शमन वाहन हेतु) पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के पश्चात् भी नहीं किए जाने के कारणों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

○ स्वीकृत राशि की उपयोग अवधि बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही/ सक्षम स्वीकृति ली गई थी अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

○ चैसिसों के उपयोग में लाने हेतु किए गए प्रयासों से व वर्तमान में की जा रही कार्यवाही से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

○ बॉडी निर्माण के अभाव में लगभग 4 वर्षों से अनुपयोजित पड़े 10 चैसिसों के संधारण/रख-रखाव किस प्रकार किया जा रहा है तथा क्या वर्तमान में बिना किसी मरम्मत व्यय के उपयोग में लिए जाने की स्थिति में हैं? अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि फायर व्यवस्था को सुदृढीकरण हेतु आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा वर्ष 2011 में नगर निगम, जयपुर को राशि उपलब्ध करवाई गई थी किन्तु यह राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद पुनः इस्तेमाल हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में राशि रूपये 1.16 करोड़ के चैसिस बर्बाद हो रहे है, के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

- अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 फोम टेण्डर तथा 10 बाउजर के क्रय हेतु 19.05.2011 को आपदा विभाग द्वारा राशि रूपये 7.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- पुनः 20 नग चैसिस क्रय हेतु राशि रूपये 3.00 करोड़ की संशोधित स्वीकृति क्रमांक 2963-68 दिनांक 25.08.2013 को जारी की गई थी।

- इस क्रम में शेष राशि रूपये 4.00 करोड़ की स्वीकृति फायर/विविध/डीएलबी /13/4408 दिनांक 14.03.2013 द्वारा जारी की गई थी।

- कुल स्वीकृति राशि रू. 7.00 करोड़ में से राशि रूपये 6,35,16,000/- नगर निगम, जयपुर को प्राप्त हुए।

- उक्त प्राप्त राशि में जिसमें से राशि रूपये 1,16,41,113/- से 10 नग अशोका लीलैण्ड 1616 चैसिस वर्ष 2013-14 में क्रय किए गए।

- किन्तु उक्त चैसिस 2014 के अन्त में नगर निगम को प्राप्त होने के कारण तथा उन पर फोम टेण्डर हेतु फैब्रिकेशन नहीं हो पाने के कारण आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत राशि में से शेष राशि के उपयोग हेतु पत्र दिनांक 20.03.2015 आपदा प्रबन्धक विभाग को लिखा गया था तथा दिनांक 21.08.2015 को उक्त चैसिस का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी आपदा विभाग को प्रेषित कर दिया गया था।

- किन्तु आपदा विभाग द्वारा दिनांक 26.10.2015 के पत्र संख्या एफ.6(4)आप्रा. एवं सहा./आ.प्र./2011/12286-87 द्वारा शेष राशि के व्यय की अनुमति देने से मना करते हुए ब्याज सहित शेष राशि वापिस मांग ली गई साथ ही उक्त पत्र द्वारा आपदा विभाग ने नगर निगम, जयपुर के खाते में कुल जमा राशि रूपये 6,35,16,000/- में राशि रूपये 65,00,000/- भी जोड़ दिये जो कि नगर निगम को कभी प्राप्त ही नहीं हुए थे।

नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त चैसिसों को प्रयोग में लाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है, जिस क्रम में उपरोक्त चैसिसों पर मल्टीपरपज फायर टेण्डर फेब्रीकेशन हेतु वर्ष 2017-18 में निविदा संख्या 3(2017-18) दिनांक 23.03.2018 आमंत्रित की गई थी, परन्तु एकल निविदा में स्वीकृत दर से अत्यधिक ज्यादा दर प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण निविदा निरस्त हो गई। अब 2018-19 में पुनः उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित करने हेतु सक्षम स्तर पर स्वीकृति ली गई है एवं निविदा जल्द प्रकाशित कर दी जाएगी।

बॉडी निर्माण के अभाव में लगभग 4 वर्षों से अनुपयोजित पड़े 10 चैसिसों के संधारण/रख-रखाव किया जा रहा है। समय-समय पर उपरोक्त चैसिसों में डीजल डालकर चालू किया गया साथ ही चैसिसों के फेब्रीकेशन से पूर्व मरम्मत कराने की स्वीकृति भी सक्षम स्तर से ली जा चुकी है, जिसके क्रम में अशोका लीलैण्ड कम्पनी से उक्त चैसिसों को चालू हालत में लाने के लिए राशि रूपये 4,69,841/- की सक्षम स्वीकृति पश्चात् कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार आक्षेप में वर्णित निर्देशों की पालना हो चुकी है। आपदा प्रबन्धन विभाग से नगर निगम को आवंटित राशि का सदुपयोग भी किया जा रहा है। अग्निशमन सेवा अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है। उक्त चैसिसों के बॉडी निर्माण एवं चालू हालत में करने हेतु सम्बन्धित कम्पनी को सक्षम स्वीकृति के आधार पर कार्यादेश जारी हो चुका है। कृपया पैरा निरस्त फरमावे।

समिति की सिफारिश :

(27) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर द्वारा अग्निशमन में परिवर्तित किये बिना रहे 10 चैसिसों को मल्टीपरपज फायर फेब्रिकेशन हेतु प्रयोग में लिये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें

अनुच्छेद 4.8 : राजस्व की कम वसूली

नगर परिषद, किशनगढ़ द्वारा गलत मांग जारी करने के कारण रूपये 1.20 करोड़ के राजस्व की कम वसूली।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में 4-जी मोबाईल सेवाएं प्रारंभ करने हेतु ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने एवं ग्राउंड बेस्ड मास्ट निर्माण हेतु आदेश[50] जारी (अगस्त 2012) किए। पूर्वोक्त आदेश के अनुच्छेद 5 के अनुसार, ग्राउंड बेस्ड मास्ट निर्माण एवं भूमिगत केबल डालने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढों को भरने का कार्य संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा तथा उपरोक्त कार्य के लिए स्थानीय निकाय द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की पूरी लागत दौगुनी दर से सेवा प्रदाता से प्रभारित की जाएगी। ऐसे प्रभार अग्रिम के रूप में या तो 100 प्रतिशत नगद अथवा 50 प्रतिशत नगद के साथ 50 प्रतिशत एक वर्ष तक वैध बैंक गारण्टी के रूप में लिए जाएंगे।

---

[50] आदेश संख्या. एफ.10(147)/यूडीडी/3/2008 भाग-II दिनांक 31 अगस्त 2012

नगर परिषद, किशनगढ़ (अजमेर) के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2015) में प्रकट हुआ कि किशनगढ़ शहर (कुल लम्बाई 35,500 मीटर) के विभिन्न मार्गों पर ऑप्टिक फाईबर केबल डालने की अनुमति के लिए एक फर्म[51] ने आवेदन (मई 2013) किया। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, किशनगढ़ ने रूपये 1.20 करोड़[52] के अनुमान तैयार (सितम्बर 2013) किए और इन्हें जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2013) किया गया। तत्पश्चात् फर्म को रूपये 1.20 करोड़ की मांग जारी (नवम्बर 2013) की गई जो कि सरकार के आदेश (अगस्त 2012) के प्रावधानों के अनुसार रूपये 2.40 करोड़ होनी चाहिए थी। तथापि, मांग के अनुसार, फर्म ने रूपये 1.20 करोड़ की शेष राशि के लिए किसी भी अतिरिक्त बैंक गारण्टी के बिना राशि रूपये 1.20 करोड़ जमा करा दिए (8 नवम्बर 2013)। नगर परिषद, किशनगढ़ ने सड़क की खुदाई की अनुमति प्रदान की (नवम्बर 2013) और कार्य पूर्ण किया गया (अक्टूबर 2014)। इस प्रकार, नगर परिषद, किशनगढ़ गलत मांग जारी करने के कारण रूपये 2.40 करोड़ के स्थान पर केवल अनुमानित लागत रूपये 1.20 करोड़ ही फर्म से वसूल सका।

ध्यान मे लाए जाने पर (मार्च 2016), स्वायत्त शासन विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2016) कि आदेशों (अगस्त 2012) की अनुपालना में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुमानित लागत के रूपये 1.20 करोड़ अग्रिम जमा किए गए थे और फर्म से अब बैंक गारण्टी 14 मार्च 2016 को (मार्च 2017 तक वैध) प्राप्त की गई थी।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग को अपने आदेश (अगस्त 2012) की अनुपालना में दोगुनी दर के अनुसार पूरी लागत में वृद्धि करनी चाहिए थी और रूपये 1.20 करोड़ के बजाए रूपये 2.40 करोड़ की मांग की जानी चाहिए थी। चूंकि निर्माण की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी (अक्टूबर 2014), नगद के बजाए बैंक गारण्टी जमा किया जाना नियमानुकुल नहीं था। इससे रूपये 1.20 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 01.01.2018) :

51 रिलायंस जियोइन्फोकोम लिमिटेड, जयपुर।

52 बुनियादी दर अनुसूची (2012 एवं 2013) के आधार पर।

वर्ष 2013 में रिलायन्स जियो इन्फोकोम लि. को परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर केबल डालने के लिए अनुमति श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर की अध्यक्षत में गठित कमेटी के निर्णय अनुसार दी गई थी।

राजस्थान सरकार के यू.डी. एच. एवं एल.एस. जी. विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (147) यूडीडी/3/2008 पार्ट- जयपुर दिनांक 31 अगस्त 2012 के बिन्दु संख्या 05 के Damages of road and filling up of pits caused during of erection of GBMs & laying of underground cabling will be repaired by concerned ULB and the entire cost at double rate of the above work for restoration of damaged road portion shall be charged by the local bodies from the services provider. Such charge may be taken in advance in the form of 100% cash or 50% cash plus 50% Bank Guarantee valid for one year, the amount of deposit money will be decided by State Government.

उपरोक्त आदेशों की पालना में परिषद द्वारा मूल अनुमान पत्र की राशि रूपये 1,19,63,321 दिनांक 08.11.2013 को जमा कर लिये गये। किन्तु बैंक गारन्टी या नकद देय राशि नहीं ली गई। इस कारण से परिषद द्वारा संबंधित कम्पनी को आगे की अनुमतियां रोक दी गई है। परिषद द्वारा रिलायन्स जियों इन्फोकोम लि. के प्रतिनिधि को इस बाबत सूचित किया गया इस क्रम में कम्पनी द्वारा यस बैंक लि. द्वारा दिनांक 14.03.2016 को जारी बैंक गारन्टी दिनांक 13.03.2017 तक एक वर्ष की अवधि की परिषद में दिनांक 16.03.2016 को जमा करा दी गई है।

उपरोक्त जमा बैंक गारन्टी जो कि तात्कालीन समय में जमा कराई जानी थी वह भी एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य थी। परिषद द्वारा मूल रकम जमा की जा चुकी है। जिसके द्वारा अब कोई राशि वसूली योग्य नहीं हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 17.01.2018) :

- नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश (अगस्त 2012) की अनुपालना में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की पूरी लागत (रूपये 1.20 करोड़) की दोगुनी लागत (रूपये 2.40 करोड़) के अग्रिम की मांग नहीं किए जाने के कारणों से समिति को अवगत करावें।
- नगर परिषद, किशनगढ़ द्वारा कार्य अक्टूबर 2014 में पूर्ण किया गया, जबकि फर्म से बकाया राशि (रूपये 1.20 करोड़) हेतु बैंक गारन्टी कार्य पूर्ण होने के पश्चात मार्च 2016 में प्राप्त किए जाने के कारणों से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन के आदेश (अगस्त 2012) की अनुपालना में मूल राशि 1.20 करोड़ वसूल कर ली गई थी। किन्तु तात्कालीन समय में बैंक गारण्टी/नकद मूल राशि के बराबर जमा नही की गई थी। इस कारण आगे की अनुमतियों को रोककर बैक गांरटी परिषद द्वारा ले ली गई जो वर्तमान में परिषद के पास उपलब्ध है। यह राशि राजस्व नहीं होकर मात्र गारण्टी राशि थी, जो परिपत्र के नियमानुसार एक वर्ष की अवधि के लिये ही देय थी।

परिषद द्वारा अक्टूबर 2014 में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आक्षेप की एवं परिपत्र की पालनार्थ बैंक गारण्टी ली गई है जो कि एक वर्ष के लिये ली गई थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः अनुपालना प्रस्तुत है।

परिषद द्वारा आक्षेप में उल्लेखित राशि रू. 2.40 करोड़ के विरुद्ध 1.20 करोड़ रूपये वसूल कर ली गई है। शेष राशि की वसूली हेतु आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ को निर्देशित किया गया हैं। अनुपालना प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जायेगी।

<u>समिति की सिफारिश</u> :

(28) **समिति सिफारिश करती है कि शेष राशि की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।**

अनुच्छेद 4.9 : नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) की वसूली का अभाव

नगर निगम, जयपुर की शिथिलता के कारण, 69,547 लीज धारकों से भूमि किराए की वसूलनीय राशि रूपये 96.44 करोड़ बकाया रही।

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 का नियम 7 (1) प्रावधित करता है कि नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि के प्रकरण में क्षेत्र के प्रचलित आरक्षित मूल्य का 2.50 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजन के प्रकरण में पांच प्रतिशत की दर से वसूल किया जाएगा।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 व 103 नियत करती हैं कि प्रत्येक नगरपालिका अपनी नगरीय सीमा में स्थित भूमि और भवन पर कर अधिरोपित एवं उदग्रहित कर सकती है। अग्रेतर, तत्रैव धारा 127 प्रावधित करती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी अधिरोपित करों के उदग्रहण एवं उनकी वसूली हेतु उत्तरदायी होगा।

नगर निगम, जयुपर के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2016) में प्रकट हुआ कि मार्च 2016 तक 69,547 लीज धारकों[53] से भूमि किराए एवं उस पर ब्याज पेटे वसूलनीय राशि रूपये 96.44 करोड़ बकाया थी। पिछले पांच वर्षों[54] के दौरान भूमि किराए की वसूली 5.24 प्रतिशत से 19.44 प्रतिशत के मध्य थी।

ध्यान में लाए जाने (मार्च 2016) पर नगर निगम, जयपुर ने अवगत कराया कि राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि किराए की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रकार, नगर निगम, जयपुर की शिथिलता के कारण, 69,547 लीज धारकों से भूमि किराए की वसूलनीय राशि रूपये 96.44 करोड़ बकाया रही।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2016); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 13.03.2018) :

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम 1974 नियम 7 के अन्तर्गत नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) आवासीय प्रयोजन के लिए आंवटित भूमि के प्रकरण में क्षेत्र की प्रचलित दर के आरक्षित मूल्य का 2.50 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजन के प्रकरण में 5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जायेगा। इस नियम की पालना करते हुए नगर निगम द्वारा संबंधित भू-खण्डधारियों से नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) की वसूली हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस वर्ष में उक्त राजस्व वसूली हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार बकाया की वसूली हेतु विशेष अभियान/कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 01.06.2018) :

---

53 क्षेत्र, मोती डूंगरी (लीज धारकों की संख्या: 9,736, भूमि किराया: रूपये 11.15 करोड़, ब्याज: रूपये 15.14 करोड़), हवा महल-पश्चिम (लीज धारकों की संख्या: 977, भूमि किराया: रूपये 0.27 करोड़, ब्याज: रूपये 0.58 करोड़), हवा महल-पूर्व (लीज धारकों की संख्या: 2,050, भूमि किराया: रूपये 1.05 करोड़, ब्याज: रूपये 1.82 करोड़), विद्याधर नगर (लीज धारकों की संख्या: 31,971, भूमि किराया: रूपये 5.70 करोड़, ब्याज: रूपये 8.48 करोड़), सिविल लाईन्स (लीज धारकों की संख्या: 14,493, भूमि किराया: रूपये 19.27 करोड़, ब्याज: रूपये 27.31 करोड़), सांगानेर (लीज धारकों की संख्या: 4,447, भूमि किराया: रूपये 0.54 करोड़, ब्याज: रूपये 0.81 करोड़), मानसरोवर (लीज धारकों की संख्या: 4,339, भूमि किराया: रूपये 1.54 करोड़, ब्याज: रूपये 1.73 करोड़) और आमेर (लीज धारकों की संख्या: 1,534, भूमि किराया: रूपये 0.41 करोड़, ब्याज रूपये 0.64 करोड़) कुल (लीज धारकों की संख्या: 69,547, भूमि किराया: रूपये 39.93 करोड़, ब्याज: रूपये 56.51 करोड़)।

54 2010-11: 15.79 प्रतिशत, 2011-12: 12.14 प्रतिशत, 2012-13: 19.44 प्रतिशत, 2013-14: 17.84 प्रतिशत और 2014-15: 5.24 प्रतिशत।

- लीज धारकों से भूमि किराए एवं ब्याज पेटे की आक्षेपित राशि रूपये 96.44 करोड़ की वसूली हेतु किए गए प्रयासों एवं वसूल की गई अद्यतन राशि से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी होने के पश्चात् किये गये प्रयास अर्थात् जारी दिशा-निर्देशों एवं वसूल की गई राशि से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भूमि के किराए में ब्याज की वसूली हेतु सतत् प्रयास किए जा रहे है। इस संदर्भ में निगम द्वारा राजस्व वृद्धि में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इन वित्तीय वर्षो में नगर निगम की राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। निगम की राजस्व आय में नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर निगम द्वारा किए गये प्रयासो के फलस्वरूप आय में हुई वृद्धि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	शहरी असेसमेंट
2014-15	224.86
2015-16	2958.89
2016-17	827.29
2017-18	2451.15
2018-19	95.93

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम जयपुर द्वारा राजस्व वृद्धि में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इन वित्तीय वर्षो में नगर निगम की राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है

समिति की सिफारिश : कोई सिफारिश नही ।

अनुच्छेद 4.10 : नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) का अनियमित अवरोधन

नगर निगम, अजमेर और नगर परिषद, बालोतरा द्वारा सम्पूर्ण नगरीय निर्धारण (भूमि किराए) के अनियमित अवरोधन के परिणामस्वरूप रूपये 5.72 करोड़ के राजस्व का राज्य की संचित निधि में जमा होने का अभाव।

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 का नियम 7 (1) प्रावधित करता है कि नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि के प्रकरण में क्षेत्र के प्रचलित आरक्षित मूल्य का 2.50 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजन के

प्रकरण में पांच प्रतिशत की दर से वसूल किया जाएगा। अग्रेतर, तत्रैव नियम 7(4) प्रावधित करता है कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक नगरपालिका बोर्ड के पास जमा नगरीय निर्धारण राज्य की संचित निधि में जमा करा दिया जाएगा, बोर्ड द्वारा संगृहीत राशि का 10 प्रतिशत राशि भूमि किराये के संग्रहण के सेवा प्रभार के रूप में रखा जा सकता है, बशर्ते की वसूली वर्ष में देय कुल राशि की कम से कम 50 प्रतिशत हो।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग-। के नियम 5 व 6 यह प्रावधित करते हैं कि सरकार की बकाया या जमा, प्रेषण या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धन राशियां अविलम्ब राज्य की संचित निधि में/या राज्य के लोक लेखा में जमा की जाएगी।

नगर निगम, अजमेर और नगर परिषद, बालोतरा के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2014 एवं अगस्त 2015) में प्रकट हुआ कि 2007-15 की अवधि के दौरान दोनों नगरपालिकाओं ने रूपये 8.14 करोड़ (नगर निगम, अजमेर: रूपये 2.80 करोड़[55] एवं नगर परिषद, बालोतरा: रूपये 5.34 करोड़[56]) का भूमि किराया संग्रहित किया। इसमें से, रूपये 0.81 करोड़[57] (रूपये 8.14 करोड़ का 10 प्रतिशत) सेवा प्रभार के रूप में रखते हुए शेष रूपये 7.33 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जानी थी। तथापि, दोनों नगरपालिकाओं ने समस्त राशि को अपने पास रखा।

नगर निगम, अजमेर ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि तत्रैव नियम 7 (4) संग्रहित भूमि किराया का केवल 60 प्रतिशत राज्य की संचित निधि में जमा कराने के लिए प्रावधित करता है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 का नियम 7(4) संग्रहित भूमि किराया का 90 प्रतिशत जमा कराने के लिए प्रावधित करता है। राज्य सरकार ने अवगत कराया (जून 2016) कि नगर परिषद, बालोतरा ने अब राज्य की संचित निधि में रूपये 1.61 करोड़ जमा (मई 2016) करा दिए हैं और शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, नगरपालिकाओं द्वारा नियमों की अवहेलना के

---

55 नगर निगम, अजमेर - 2007-08: रूपये 0.18 करोड़, 2008-09: रूपये 0.42 करोड़, 2009-10: रूपये 0.26 करोड़, 2010-11: रूपये 0.18 करोड़, 2011-12: रूपये 0.58 करोड़, 2012-13: रूपये 0.26 करोड़, 2013-14: रूपये 0.15 करोड़ एवं 2014-15: रूपये 0.77 करोड़ (कुल : रूपये 2.80 करोड़)।

56 नगर परिषद, बालोतरा - 2010-11: रूपये 0.75 करोड़, 2011-12: रूपये 0.32 करोड़, 2012-13: रूपये 0.50 करोड़, 2013-14: रूपये 1.73 करोड़ एवं 2014-15: रूपये 2.04 करोड़ (कुल : रूपये 5.34 करोड़)।

57 नगर निगम, अजमेर: रूपये 0.28 करोड़ (रूपये 2.80 करोड़ का 10 प्रतिशत) एवं नगर परिषद, बालोतरा: रूपये 0.53 करोड़ (रूपये 5.34 करोड़ का 10 प्रतिशत) : कुल : रूपये 0.81 करोड़।

परिणामस्वरूप भूमि किराए का अनियमित अवरोधन किया गया, सरकार रूपये 5.72 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 24.05.2019) :

नगर निगम अजमेर स्तर पर राशि रूपये 2,51,85,492/-संग्रहित लीज राशि राज्यांश की राशि राजकोष में जमा कराये जाने हेतु साधारण सभा की स्वीकृति पश्चात् भुगतान जमा करये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद, बालोतरा - आक्षेपानुसार वर्ष 2004-05 से 2009-10 की अवधि में लीज रेंट की राशि कुल रूपये 1.76 करोड़ प्राप्त हुई, जिसमें रूपये 1.58 करोड़ राज्य के संचयी निधि में जमा करवाये जाने थे, जिसमें पालना निम्न प्रकार है:-

1. वर्ष 2004-05 से 2009-10 की अवधि की कुल बकाया रूपये 1.58 करोड़ एवं वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की कुल बकाया रूपये 4.81 करोड़, कुल बकाया रूपये 6.39 करोड़ में से नगरपरिषद द्वारा रूपये 1.61 करोड़ रूपये जमा करा दिये गये हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्राप्त होने वाली लीज राशि की राज्य हिस्सा राशि संबंधित मद में निर्देशानुसार समय पर जमा कराई जा रही है।

3. नगरपरिषद की आर्थिक स्थिति खराब होने से शेष बकाया राशि जमा करवाने में विलम्ब हो रहा है जो नगरपरिषद में राशि उपलब्धता के आधार पर शीघ्र जमा करवायी जावेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 10.06.2019) :

नगर निगम अजमेर :

- नगर निगम, अजमेर द्वारा वर्ष 2007-08: (रूपये 0.16 करोड), 2008-09: (रूपये 0.38 करोड), 2009-10: (रूपये 0.24 करोड), 2010-11: (रूपये 0.16 करोड़), 2011-12: (रूपये 0.52 करोड़), 2012-13: (रूपये 0.23 करोड), 2013-14: (रूपये 0.14 करोड) एवं 2014-15: (रूपये 0.69 करोड़) नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) की संगृहित राशि को संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं कराए जाने के कारणों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को जुलाई 2015 में अवगत कराए जाने के पश्चात भी मई 2019 तक राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा नहीं कराये जाने के कारणों एवं बकाया राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा कराकर अद्यतन स्थिति से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

नगर परिषद, बालोतरा :

- लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) की संगृहित राशि वर्ष 2010-11 (रूपये 0.68 करोड़), 2011-12 (रूपये 0.29 करोड़), 2012-13 (रूपये 0.45 करोड़), 2013-14 (रूपये 1.56 करोड़) एवं 2014-15 (रूपये 1.83 करोड़) को संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं कराए जाने के कारणों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को आयुक्त, नगरपरिषद, बालोतरा को अप्रैल 2014 में अवगत कराए जाने के पश्चात भी मई 2019 तक राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा नहीं कराये जाने के कारणों एवं बकाया राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा कराकर अद्यतन स्थिति से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- नगरपरिषद के राजस्व वृद्धि हेतु क्या ठोस प्रयास किए जा रहे है, अन्तिम अनुपालना में अवगत करावें।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

नगर निगम अजमेर :- नगर निगम अजमेर द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुच्छेद में वर्णित लीज की राज्यांश राशि रू. 2.52 करोड़ जमा कराये जाने हेतु साधारण सभा की बैठक दिनांक 14.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 6 में मण्डल की स्वीकृति हेतु रखा गया। सदन द्वारा आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

मण्डल की स्वीकृति पश्चात राशि राज्य की संचित निधि में जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी। राशि राजकोष में जमा होने पर अनुपालना पुनः प्रेषित कर दी जायेगी।

नगर परिषद बालोतरा:-

1. वर्ष 2004-05 से 2009-10 अवधि की कुल बकाया 1.58 करोड एवं वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की कुल बकाया 4.81 करोड कुल बकाया 6.39 करोड बकाया में से नगर परिषद द्वारा 1.61 करोड रूपयें जमा करा दिये गये।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्राप्त होने वाली लीज राशि की राज्य हिस्सा राशि संबंधित मद में निर्देशानुसार समय पर जमा करवाई जा रही है।

3. नगर परिषद की आर्थिक स्थिति खराब होने से शेष बकाया राशि जमा करवाने में विलम्ब हो रहा है, जो नगर परिषद में राशि उपलब्धता के आधार पर शीघ्र जमा करवा दी जायेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2014 में अवगत कराने पर पूर्व बकाया में से रूपयें 1.61 करोड जमा करवाये गये है तथा वर्ष 2015-16 से नियमित रूप से लीज राशि संचित निधि में जमा करवायी जा रही है।

नगर परिषद की आर्थिक स्थिति खराब होने से शेष बकाया राशि जमा करवाने में विलम्ब हो रहा है, जो नगर परिषद में राशि उपलब्धता के आधार पर शीघ्र जमा करवा दी जायेगी।

समिति का अभिमत : समिति सिफारिश ना कर अपेक्षा करती है कि नगर निगम, अजमेर एवं नगर परिषद् बालोतरा द्वारा आक्षेपित नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) की राशि राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगें ।

अनुच्छेद 4.11 : सैनेट्री लैण्डफिल के विकास पर निष्फल व्यय

नगर निगम, जयपुर की उचित योजना के अभाव में 'अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र' के निर्माण के बिना सैनेट्री लैण्डफिल के विकास पर रूपये 10.93 करोड़ का निष्फल व्यय।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 की अनुसुची- II के अनुसार शहर या कस्बों में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण व निस्तारण का प्रबंधन और संचालन, इसमें निर्धारित प्रक्रिया और मानदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए।

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने जयपुर शहर में ठोस अपशिष्ट निस्तारण व इसके पांच वर्षो के संचालन और रखरखाव हेतु राशि रूपये 20.74 करोड़[58] स्वीकृत (सितम्बर 2008) किए। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने परियोजना के लिए ग्राम लांगरियावास में नगर निगम, जयपुर को 483 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटित की थी। लैण्डफिल

[58] रूपये 10.93 करोड़ सैनेट्री लैण्डफिल के विकास और रूपये 9.81 करोड़ पांच वर्ष के संचालन एवं रखरखाव हेतु।

साईट को 100 बीघा क्षेत्र में विकसित किया जाना था तथा शेष क्षेत्र 'अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र' के लिए चिन्हित किया गया था।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2016) में प्रकट हुआ कि 'सैनेट्री एवं लैण्डफिल सुविधाओं के विकास एवं डिजाईन' कार्य टर्नकी आधार पर तथा पांच वर्ष के संचालन एवं रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित (जनवरी 2008) की गई। तथापि, उस स्तर पर 'अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र' के निर्माण के लिए कोई निविदाएं जारी नहीं की गई थी। रूपये 20.74 करोड़ (संचालन एवं रखरखाव का व्यय रूपये 9.81 करोड़ सहित) में यह कार्य संवेदक को आवंटित (अक्टूबर 2008) किया गया एवं कार्य के प्रारम्भ व पूर्णता की निर्धारित दिनांक क्रमशः 6 अक्टूबर 2008 तथा 5 अप्रैल 2010 थी। सैनेट्री लैण्डफिल साईट जिसमें लाइनर प्रणाली, आन्तरिक सड़के, चारदीवारी, कार्यालय एवं प्रयोगशाला ढांचा, अंधड़ जल निकास प्रणाली आदि, कार्य सम्मिलित थे, रूपये 10.93 करोड़ के व्यय पश्चात दो वर्ष के विलम्ब से पूर्ण (मार्च 2012) हुआ था। तथापि, यह पाया गया कि सैनेट्री लैण्डफिल साईट पूर्ण (मार्च 2012) होने से अब तक (अप्रैल 2016) उपयोग नहीं हुई थी क्योंकि 'अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र' जिससे परिवर्तित व निष्क्रिय अपशिष्ट, लैण्डफिल को आपूर्ति करना अपेक्षित था, को निर्धारित निकटवर्ती भूमि पर स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार चार वर्षो की अवधि (अप्रैल 2016) के पश्चात भी लैण्डफिल अनुपयोगी रही।

लेखापरीक्षा एवं सहायक अभियंता, नगर निगम, जयपुर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (9 मार्च 2016) से पुष्टि हुई कि लैण्डफिल, भवन, अन्य आंतरिक सड़के, वजन कांटा तथा मिट्टी ढेर की परते, सभी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। नगर निगम द्वारा नुकसानों का अनुमान अभी तक तैयार नहीं किया गया था। नगर निगम, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकारते हुये यह अवगत कराया (अप्रैल 2016) कि निष्क्रिय अपशिष्ट के निस्तारण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी क्योंकि ऐसा कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं हुआ था तथा स्वीकृत राशि रूपये 9.81 करोड़ के विपरीत संचालन एवं रखरखाव पर कोई व्यय नहीं किया गया।

परिवर्तित व निष्क्रिय अपशिष्ट की लैण्डफिल को आपूर्ति हेतु अपेक्षित 'अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र' के निर्माण के बिना, उचित योजना के अभाव में सैनेट्री लैण्डफिल के विकास पर रूपये 10.93 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। गत चार वर्षो के दौरान अनुपयोगी लैण्डफिल परिसर पहले से ही नष्ट हो चुका था।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2016); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

विभागीय अनुपालना (दिनांक 13.03.2018) :

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2000 व 2016 की अनुसूची-II के अनुसार शहर या कस्बों में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण परिवहन, प्रसंस्करण व निस्तारण का प्रबन्धन और संचालन, इसमें निर्धारित प्रक्रिया और मानदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए। इस हेतु राज्य सरकार से प्राप्त व स्वीकृत राशि रूपये 20.74 करोड़ के उपयोग हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से आंवटित भूमि में लैण्डफिल साइट को विकसित किया जा रहा है। इस हेतु निगम स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए निष्क्रिय अपशिष्ट की निस्तारण प्रक्रिया निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रियानुसार की जा रही है। वर्तमान में निगम क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण प्रोजेक्ट शुरू होने के पश्चात्तथा वर्तमान में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में उक्त कार्य में काफी प्रगति हुई है। शीघ्र ही नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2000 व 2016 के मापदण्डों व प्रक्रिया के अनुसार सैनट्री लैण्डफिल का विकास ग्राम लांगडरियावास में पूर्ण हो जायेगा।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी (दिनांक 21.05.2018) :

- 'अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र' जिसे निकटवर्ती भूमि पर स्थापित किया जाना था, का निर्माण कर उपयोग में लिया जा रहा है, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- सैनेट्री लैण्डफिल साईट जो मार्च 2012 में पूर्ण हो गई थी, अप्रैल 2016 तक उपयोग में नहीं लिए जाने के कारणों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- सहायक अभियंता, नगर निगम, जयपुर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (9 मार्च 2016) से पुष्टि हुई कि लैण्डफिल, भवन, अन्य आंतरिक सड़के, वजन कांटा तथा मिट्टी ढेर की परते, सभी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। इनकी वर्तमान स्थिति एवं क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत/रख-रखाव व संचालन पर कोई व्यय किया गया है, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- अप्रैल 2016 तक निष्क्रिय अपशिष्ट के निस्तारण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी क्योंकि ऐसा कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं हुआ था, वर्तमान स्थिति से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरांत विभागीय अनुपालना (दिनांक 15.03.2022) :

इस आक्षेप के संबंध मे निवेदन है कि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र बनाये जाने हेतु मैसर्स जे.आई.टी.एफ. अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. से नगर निगम का अनुबन्ध दिनांक 18.04.2017 का हो चुका है एव संवेदक द्वारा इस संदर्भ में कार्य भी साइट पर शुरू किया जा चुका है।

नगर निगम. जयपुर क्षेत्र एवं घर-घर कचरा संग्रहण हेतु नगर निगम. जयपुर एवं मैसर्स बी.वी.जी. इण्डिया लिमिटेड. चिन्चवाड पुने के मध्य भी अनुबन्ध हो चुका है. जिससे घर-घर कचरा संग्रहित करते हुए कचरागाहों पर नियमित रूप से पहुंचाया जा रहा है एवं इन कचरागाहों पर कचरे के निस्तारण हेतु साइट पर भवन. अन्य आन्तरिक सड़के. नया वजन कांटा. मिट्टी के ढेर की परते आदि के संदर्भ में पैरा में वर्णित निर्देशानुसार व सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है। कचरागाह पर वजन कांटे पर तथा कचरागाह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे द्वारा निगरानी रखी जा रही हैं तथा साइट पर ही इस हेतु लगातार पर्यवेक्षण हेतु सहायक अभियनता को भी प्रतिनियुकत किया हुआ है

वर्तमान मेंवर्णित अनुपालना पूर्ण हो चुकी है तथा उक्त कार्य हेतु नवीन अनुब्न्ध भी संपादित हो चुके है। आक्षेप में वर्णित निर्देशानसार एवं सुझावानुसार अपवश्यक कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है।

(51) समिति की सिफारिश

समित की काई टिप्पणी नही

डॉ. राजकुमार शर्मा
सभापति
स्थानीय निकायो और पंचायती राज
संस्थाओ संबंधी समिति वर्ष 2022-23

विधान सभा भवन
जयपुर
दिनांक: 20/12/ 2022

18वां प्रतिवेदन

स्थानीय निकायो और पंचायती राज संस्थाओ संबंधी समिति

वर्ष 2022-23

परिशिष्ट – एक

सिफारिशो का सार

क्र.स.	अनुच्छेद संख्या	सिफारिश संख्या	पृष्ठ संख्या	सिफारिश का विवरण
1	4.1.2.2(i)	1	11	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मंडलों में स्थापित 196 मोबाईल टॉवर्स (*लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट-VI के अनुसार*) से वसूली योग्य पंजीयन शुल्क/वार्षिक प्रभार की बकाया राशि की वसूली से एवं वसूली के अभाव में की गयी कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
2	4.1.2.2(i)	2	11	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका सांचौर नगरीय क्षेत्र के 13 मोबाइल टॉवरों से वसूली हेतु हाईकार्ट में विचाराधीन प्रकरण की नवीनतम प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
3	4.1.2.2(i)	3	11	समिति सिफारिश करती है कि अनाधिकृत मोबाइल टॉवर जब्त/हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारणो से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
4	4.1.2.2(ii)	4	15	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित 17 नगरपालिका मंडलों द्वारा मॉडल उप-विधियों को अंगीकार/संशोधित करने अद्यतन स्थिति से एवं नगरपालिका मंडलों (चाकसू, मेड़तासिटी, नाथद्वारा,

				रामगंजमण्डी, सरदारशहर, सुमेरपुर और सूरतगढ़) में बिना पंजीयन/अनुमति से संचालित विवाह स्थलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
5	4.1.2.2(iii)	5	19	समिति सिफारिश करती है कि होटल/रेस्त्रां और मीट दुकानों की गतिविधियों हेतु आक्षेपित 12 नगरपालिका मंडलों द्वारा बनाई गई उप-विधियां की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
6	4.1.2.3	6	21	समिति सिफारिश करती है कि प्रकरणार्न्तगत 7 नर्सिंग होम/अस्पतालों से बकाया राशि रूपये 20800 की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
7	4.1.2.4 (i)	7	22	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डलों (देवली, फतेहपुर, सांगवाडा एवं नाथद्वारा) की आक्षेपित बकाया बेहतरी प्रभार की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
8	4.1.2.4 (ii)	8	24	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डलों (फतेहपुर, सांगवाडा एवं मेड़तासिटी) में आक्षेपित वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की अनुमति, नक्शा अनुमोदन शुल्क एवं निरीक्षण प्रभार की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
9	4.1.2.5	9	25	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डलों (सुमेरपुर एवं नाथद्वारा) में आक्षेपित अग्नि उपकर की

				बकाया राशि की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
10	4.1.2.7	10	30	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपानुसार नगर पालिका मंडल देवली, माउन्ट आबू तथा सूरतगढ के प्रकरणों में बकाया लीज किराए की राशि की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
11	4.1.2.8	11	32	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मंडल लाडनूं, सरदारशहर, सुमेरपुर, रामगंजमंडी तथा सूरतगढ़ में बीएसयूपी प्रभार की आक्षेपित राशि की वसूली की प्रगति से एवं शेष नगरपालिकाओं (भीनमाल, फतेहपुर, माउंट आबू एवं सांचौर) में बीएसयूपी प्रभार की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
12	4.1.2.9	12	35	समिति सिफारिश करती है कि बकाया किराये राशि की शीघ्र वसूली से तथा नगर पालिका छबडा द्वारा बकायादारों के विरुद्ध LR एक्ट के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
13	4.1.2.11	13	40	समिति सिफारिश करती है कि बकाया गृह कर की वसूली कर तथा वसूली हेतु किये गये प्रयासों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
14	4.1.2.12	14	44	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मंडलों के नगरीय विकास कर की कम वसूली के कारणों तथा शेष राशि की वसूली हेतु किये गये प्रयासों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत

				करावें।
15	4.1.2.13	15	45	नगरपालिका मण्डल नाथद्वारा में सम्बंधित संवेदको से यात्री/वाहन कर की बकाया राशि वसूली हेतु किये गए प्रयासों से एवं वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
16	4.1.2.16(i)	16	51	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगर पालिका मण्डल (भीनमाल, चाकसू, देवली, नाथद्वारा, सरदारशहर, सुमेरपुर एवं सूरतगढ़) में कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त राशि की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
17	4.1.2.16(ii)	17	53	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डल (नगर पालिका मण्डल मालपुरा को छोड़कर) में कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त 60 प्रतिशत राशि का 5 प्रतिशत राशि निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राज्य सरकार की निजी निक्षेप खाते में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
18	4.1.2.16(iii)	18	54	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डल (बयाना, छाबड़ा, फतेहपुर एवं सांगवाडा) में नगरीय निर्धारण/भूमि किराया से प्राप्त 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
19	4.1.2.16(iV)	19	55	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ द्वारा आक्षेपानुसार भूमि के निस्तारण से संगृहित राशि में से रूपये 10.71 करोड़ राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति

				एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
20	4.1.2.17	20	56	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका मण्डल माउंट आबू द्वारा संगृहित यात्री कर में से राशि रूपये 3.85 करोड़ माउंट आबू पर्यावरण समिति के खाते में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
21	4.1.2.18	21	58	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगरपालिका मंडलों (सुमेरपुर एवं सरदारशहर को छोड़कर) में बीएसयूपी निधि के गठन की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
22	4.2.2.1	22	69	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर के प्रकरण में जन्म अथवा मृत्यु, विवाह पंजीकरण से संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण नही करने पर श्रीमती उपा सांखला, उप रजिस्ट्रार (जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन) विद्याधर नगर जोन एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को भवनों के नक्शों की स्वीकृति एवं भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों का समय अवधि में निस्तारण नही करने पर उक्त दोषी कर्मचारियो के विरूद्व की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से एवं साथ ही आक्षेपित शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी की सुनिश्चितता कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
23	4.2.2.13	23	88	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपानुसार नगरपालिका मंडल, बगरू एवं राजगढ़ (अलवर), नगर निगम, उदयपुर, नगर परिषद, अलवर एवं भिवाड़ी (अलवर) की क्रियान्विति से

				समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
24	4.3	24	101	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित तीनों नगर निगमों एवं 10 नगर परिषदों में शहरी विकास कर की बकाया वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली कर नवीनतम प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
25	4.4	25	104	समिति सिफारिश करती है कि नगरपालिका बारां क्षेत्र में अनियमित रूप से चल रही शिक्षण संस्थानों से भूमि रूपांतरण प्रभार की वसूली /भूमि से बेदखली की प्रक्रिया पूर्ण कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।
26	4.6	26	110	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भूमि के विक्रय/नीलामी द्वारा हस्तांतरण से अर्जित आय रूपये 2.89 करोड़ को राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।
27	4.7	27	114	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर द्वारा अग्निशमन में परिवर्तित किये बिना रहे 10 चैसिसों को मल्टीपरपज फायर फेब्रिकेशन हेतु प्रयोग में लिये जाने की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें
28	4.8	28	117	समिति सिफारिश करती है कि शेष राशि की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों पर 15 वीं विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज. संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2022–23 के 18वें प्रतिवेदन से संबंधित नगरीय निकायों की सूची

क्र.स.	अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद का विवरण	नगरीय निकाय
1	4.1.2.2(I)	मोबाईल टॉवर/पोल एंटिना से पंजीकरण शुल्क/वार्षिक प्रभार	देवली, रामगंजमण्डी, लाडनू, सुमेरपुर, सरदारशहर, सांचौर, छबड़ा, सागवाड़ा, मेड़तासिटी
2	4.1.2.2(II)	विवाह स्थलों के लिए पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क	चाकसू, रामगंजमण्डी, लाडनू, सुमेरपुर, सरदारशहर, सांचौर, मेड़तासिटी, नाथद्वारा, सूरतगढ, माउण्ट आबू
3	4.1.2.2(III)	होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकानों आदि से अनुज्ञापन शुल्क	बयाना, भीनमाल, छबड़ा, देवली, फतेहपुर, लाडनू, मालपुरा, मेड़तासिटी, माउण्ट आबू, सरदारशहर, सूरतगढ, सुमेरपुर, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सांचौर, सागवाड़ा, छबड़ा
4	4.1.2.3	निजी नर्सिंग होम (औषधालय) अधिभार नियम	सांचौर
5	4.1.2.4(I)	बेहतरी प्रभार (बैटरमेंट लेवी)	देवली, फतेहपुर, सागवाड़ा, नाथद्वारा
6	4.1.2.4(II)	भवन अनुमति प्रभार	फतेहपुर, सागवाड़ा, मेड़तासिटी
7	4.1.2.5	अग्नि उपकर	सुमेरपुर, नाथद्वारा
8	4.1.2.7	नगरीय निर्धारण (लीज किराया)	देवली, माउण्ट आबू, सूरतगढ
9	4.1.2.8	बुनियादी सेवाओ के लिए शहरी गरीब सुविधा कोष	लाडनू, सरदारशहर, सुमेरपुर, रामगंजमण्डी, सूरतगढ, भीनमाल, फतेहपुर, माउण्ट आबू, सांचौर
10	4.1.2.9	नगर पालिका सम्पतियों से राजस्व	छबड़ा, माउण्ट आबू, मेड़तासिटी, नाथद्वारा, रामगंजमण्डी, सागवाड़ा, सांचौर, सूरतगढ
11	4.1.2.11	गृहकर	देवली, लाडनू, सुमेरपुर, सरदारशहर, छबड़ा, मेड़तासिटी, भीनमाल, चाकसू, फतेहपुर, मालपुरा, सूरतगढ, रामगंजमण्डी, सागवाड़ा, बयाना, माउण्ट आबू, नाथद्वारा, सांचौर
12	4.1.2.12	नगरीय विकास कर	देवली, रामगंजमण्डी, लाडनू, सुमेरपुर, सरदारशहर, सांचौर, सागवाड़ा, मेड़तासिटी, बयाना, भीनमाल, चाकसू, फतेहपुर, माउण्ट आबू, सूरतगढ, मालपुरा
13	4.1.2.13	यात्री/वाहन कर	माउण्ट आबू, नाथद्वारा
14	4.1.2.16(I)	राजकीय हिस्से के राजस्व जमा का अभाव	भीनमाल, चाकसू, देवली, नाथद्वारा, सरदारशहर, सुमेरपुर, सूरतगढ
15	4.1.2.16(II)		देवली, लाडनू
16	4.1.2.16(III)		बयाना, छबड़ा, फतेहपुर, सागवाड़ा
17	4.1.2.16(IV)		सूरतगढ
18	4.1.2.17	यात्री कर के हिस्से का अनियमित अवरोधन	माउण्ट आबू
19	4.1.2.18	बीएसयूपी निधि के गठन का अभाव	सांचौर, छबड़ा, लाडनू, सागवाड़ा,
20	4.2.2.1	अधिसूचित सेवाओं का समय–सीमा में प्रदाय	चाकसू, अलवर, जयपुर, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, भिवाड़ी, बगरू, राजगढ (अलवर)
21	4.2.2.13	आवेदन पत्रों की पावती जारी करना	जयपुर, उदयपुर, अलवर, बालोतरा, बाड़मेर, सलूम्बर, चाकसू, बगरू, राजगढ (अलवर), भिवाड़ी

22	4.3	शहरी विकास कर की वसूली का अभाव	जोधपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, बांसवाड़ा, चूरू, प्रतापगढ, कोटा, बीकानेर, अलवर, धौलपुर, गंगापुरसिटी
23	4.4	राजस्व वसूली का अभाव	बारां
24	4.6	निधियों का अनियमित अवरोधन	जयपुर
25	4.7	चैचिस कय पर निष्फल व्यय	जयपुर
26	4.8	राजस्व की कम वसूली	किशनगढ